नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

मुख्य लेखा परीक्षक की
वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट
मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

मुख्य लेखा परीक्षक
की
वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

विषय सूची

	पैरा संख्या	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		**v**
विहंगावलोकन		**vi**
भाग -क: वर्ष 2012-13 के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा		
अध्याय I : नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के लेखे		
भाग -I		
प्रस्तावना	**1.1**	**1**
परिषद् की वित्तीय स्थिति	**1.2**	**1**
निधि के स्रोत एवं उसका व्यय	**1.3**	**1**
नई दिल्ली नगरपालिका निधि	**1.4**	**2**
राजस्व प्राप्तियाँ	**1.5**	**3**
कर राजस्व	**1.6**	**4**
गैर-कर राजस्व	**1.7**	**6**
सहायता अनुदान	**1.8**	**8**
राजस्व प्राप्तियों के बकाया	**1.9**	**9**
व्यय	**1.10**	**9**
गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता	**1.11**	**10**
आधिक्य एवं आरक्षित निधि	**1.12**	**11**
बजटीय अनुमानों का विश्लेषण	**1.13**	**12**
व्यय की अधिकता	**1.14**	**17**
भाग-II		
वार्षिक लेखाओं पर सामान्य टिप्पणियाँ	**1.15**	**19**
तुलन पत्र		
भाग -III		
आडिट रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्यवाही	**1.16**	**31**

भाग -खः निष्पादन लेखापरीक्षा		
अध्याय -II सिविल विभाग		
कनाट प्लेस का पुनः विकास	**2**	**33**
अध्याय -III स्थापना विभाग		
स्टाफ की हकदारी की स्वीकृति एवं भुगतान में दक्षता	**3**	**41**
अध्याय -IV सिविल एवम् विद्युत विभाग		
न.दि.न.परिषद् में अभियांत्रिक विभाग में अनुबंध प्रबन्धन	**4**	**53**
भाग -ग- अनुपालन लेखापरीक्षा		
अध्याय- V : सिविल इंजिनियरिंग विभाग		
सार्वजनिक निजी भागीदारी छूट के स्थान पर ₹ 16.58 लाख की लाइसेंस फीस की वसूली नहीं हुई ।	**5**	**65**
अध्याय- VI : सम्पदा विभाग		
सेल्यूलर तथा बेसिक टेलीकॉम रेगुलेटर्स द्वारा संचार टॉवरों की स्थापना हेतु लाइसेंस फीस का संशोधन न करना।	**6**	**67**
अध्याय- VII : प्रवर्तन विभाग		
पार्किंग अनुबंध की लाइसैंस फीस की अनियमित कटौती ।	**7**	**69**
अध्याय- VIII : प्रवर्तन भवन नियमन विभाग		
ढहाऊ प्रभारों की दरों के निर्धारण में अनुचित विलंब तथा अनाधिकृत निर्माण पर जुर्माने की वसूली न होना ।	**8**	**71**
अध्याय- IX : वित्त एवम् लेखा विभाग		
विविध अग्रिम ₹ 4.83 करोड़ का समंजन न होना ।	**9**	**73**
अध्याय- X : उद्यान विभाग	**10**	
₹ 15 लाख में 25 पावर लॉन मोअर्स की खरीद अवैध और जल्दबाजी में की गई कार्यवाही ।	**10.1**	**75**
सी पी डब्ल्यू डी कॉलोनी पार्कों के रखरखाव प्रभारों हेतु दावों का कार्यान्वयन न होना।	**10.2**	**77**
अध्याय- XI : जनसम्पर्क विभाग		
नेहरू पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर ₹22.36 लाख का अनियमित व्यय	**11**	**79**

अध्याय- XII : लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलियाँ		
लेखापरीक्षा के कहने पर (अप्रैल, 2014) एन.डी.एम.सी. के विभिन्न विभागों ने कुल ₹ 8.68 करोड़ की वसूलियाँ की ।	**12**	**80**
अनुलग्नक		
31 मार्च 2013 को एनडीएमसी की देयता और परिसम्पत्ति की विवरणी	**I**	**81**
मार्च 2013 को समाप्त वर्ष पर प्रतिकूल शेष दर्शाने वाले लेखाशीर्ष	**II**	**82**
मार्च 2013 को समाप्त वर्ष पर प्रतिकूल शेष दर्शाने वाले लेखा-शीर्ष-परिसम्पत्तियां	**III**	**83**
स्थायी परिसम्पत्तियां	**IV**	**83**
पूंजीगत कार्य में प्रगति की व्यवस्था नहीं करना	**V**	**84**
वर्ष 2012-13 के लिए आय एवं व्यय विवरणी	**VI**	**85**
वर्ष 2012-13 के लिए मास-वार आय एवं व्यय तथा अधिशेष/घाटे का सार	**VII**	**86**
लेखाओं के कोड का गलत वर्गीकरण	**VIII**	**86**
वर्ष 2012-13 के लिए फंक्शन-वार आय एवं व्यय (राजस्व) का	**IX**	**87**
01.04.2012 से 31.03.2013 तक की अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	**X**	**91**
31 मार्च, 2013 में समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरणी	**XI**	**93**
अवकाश, एलटीसी दावों का निपटान, अवकाश नगदीकरण, बाल शिक्षा भत्ता के विल विवरण	**XII**	**94**
स्थापना-वार विषयों का विवरण जहाँ विभिन्न अवसरों पर वेतन का फिक्सेशन/री-फिक्सेशन तथा वेतन के बकायों के भुगतान में 3 माह से अधिक का विलम्ब हुआ	**XIII**	**96**
स्थापना वार विभिन्न कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने में विलम्ब का विवरण	**XIV**	**98**
समयबद्ध पदोन्नित वेतनमानों को प्रदान करने में विलम्ब	**XV**	**100**
हितकारी निधि योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षा की सहायता में विलम्ब की सूची	**XVI**	**100**
हितकारी निधि योजना के तहत मृतक व्यक्ति के परिवार के लिए सहायता की देरी के मामलों की सूची	**XVII**	**101**
सितम्बर, 2012 मास में चिकित्सा बिल कर्मचारियों की सूची	**XVIII**	**102**
सितम्बर-2012 को चिकित्सा बिल, जो लम्बित और मंजूरी देने हेतु कर्मचारियों की सूची	**XIX**	**102**
कर्मचारियों के बच्चों के विवाह हेतु हितकारी निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने में विलम्ब के मामलों की सूची	**XX**	**103**

2013 में सहायक लेखा अधिकारियों की सूची	**XXI**	**104**
स्टाफ की नियुक्ति में विलम्ब	**XXII**	**105**
रोके गये उपदान को न देने के मामले	**XXIII**	**108**
बकाया सुरक्षा जमा का विवरण	**XXIV**	**109**
न.दि.न.परिषद् में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के पेंशन अंशदान और अवकाश वेतन के भुगतान में विलम्ब का विवरण	**XXV**	**111**
रियायती यात्रा भत्ता के अग्रिम की सूची	**XXVI**	**114**
31.10.2013 से टीए/डीए के बकायों की सूची	**XXVII**	**115**
वर्ष 1999-2000 से 2012-13 तक विविध अग्रिम की सूची	**XXVIII**	**116**
एचबीए पर कम/ज्यादा ब्याज की वसूली के मामलों का विवरण।	**XXIX**	**117**
अप्रयुक्त स्टोर मदों तथा गारंटी की हानि	**XXX**	**118**
पालिका सर्विस ऑफिसर्स' संस्थान के सुधार हेतु लिए गए कार्यों की सूची	**XXXI**	**119**
जो वसूल न हुई लाइसेंस शुल्क का विवरण	**XXXII**	**120**
विविध अग्रिम बकाया के आहरण की अवधि दर्शाति तालिका	**XXXIII**	**122**

प्राक्कथन

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष की यह वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 59 की उपधारा 17 के अनुसार परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि मुख्य लेखापरीक्षक परिषद् के पिछले वर्ष के समस्त लेखाओं पर अपनी रिपोर्ट परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

इस रिपोर्ट में वर्ष 2012–13 के वार्षिक लेखाओं ‘‘नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में कॅनाट प्लेस का पुनः विकास, हकदारी की स्वीकृति एवं भुगतान में दक्षता, अभियांत्रिक विभाग में अनुबंध प्रबन्धन की निष्पादन लेखापरीक्षा तथा लेन–देन/मामलों पर टिप्पणियां निहित हैं। इस रिपोर्ट में उल्लिखित लेन–देन/मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2012–13 के दौरान नमूना लेखा परीक्षा के ध्यान में आए तथा जो पिछले वर्षो में ध्यान में आए परन्तु पिछली रिपोर्टों में शामिल नहीं किए जा सके ; 2012–13 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी आवश्यकतानुसार शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रत्येक अवस्था पर विभिन्न विभागों से प्राप्त सहयोग के लिए लेखापरीक्षा अपना आभार व्यक्त करता है।

विहंगावलोकन

इस रिपोर्ट में एक अध्याय नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वर्ष 2012-13 की वित्तीय स्थिति से संबंधित है, तीन अध्याय कनाट प्लेस का पुन: विकास, ''कर्मचारियों की हकदारी की स्वीकृति एवं भुगतान में सक्षमता'' एवं अभियात्रिक विभाग में अनुबंध प्रबधंन शीर्षकों की समीक्षा से संबंधित है तथा सात अध्याय जिसमें 8 पैराग्राफ सम्मिलित है, परिषद् के विभिन्न विभागों की लेखापरीक्षा के परिणामों तथा लेखापरीक्षा के कहने पर ₹8.68 करोड़ की वसूलियों से संबंधित हैं।

वित्त लेखा विभाग

वित्तीय परिणाम

परिषद् की वित्तीय स्थिति मुख्यत: नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 44 के अन्तर्गत परिषद् द्वारा पोषित नई दिल्ली नगरपालिका निधि से प्रदर्शित होती है। सभी प्राप्तियां और व्यय इस निधि में लेखांकित किए जाते हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान ₹274.80 करोड़ का अधिशेष था तथा 31 मार्च, 2013 को ₹173.21 करोड़ का अन्त शेष था।

निम्नलिखित ग्राफ राजस्व प्राप्तियों तथा उसके विभिन्न घटकों की वृद्धि को दर्शाते हैं:

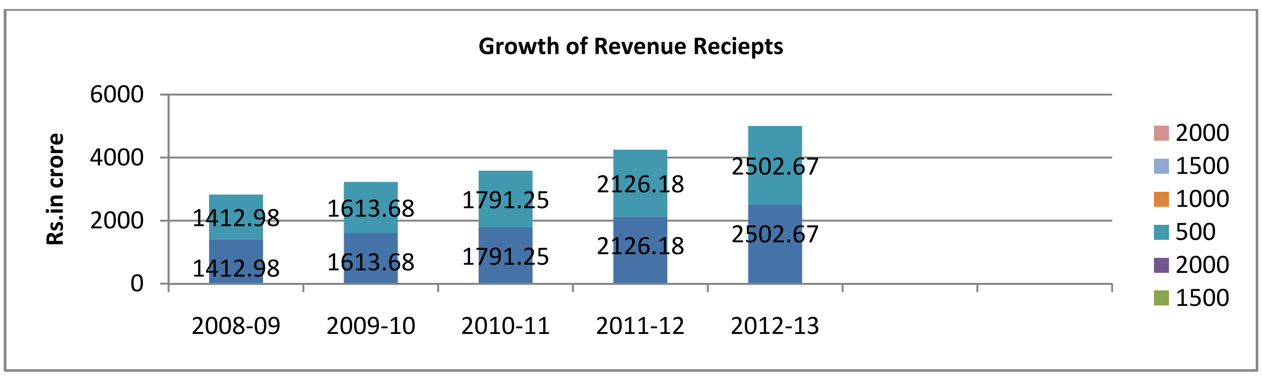

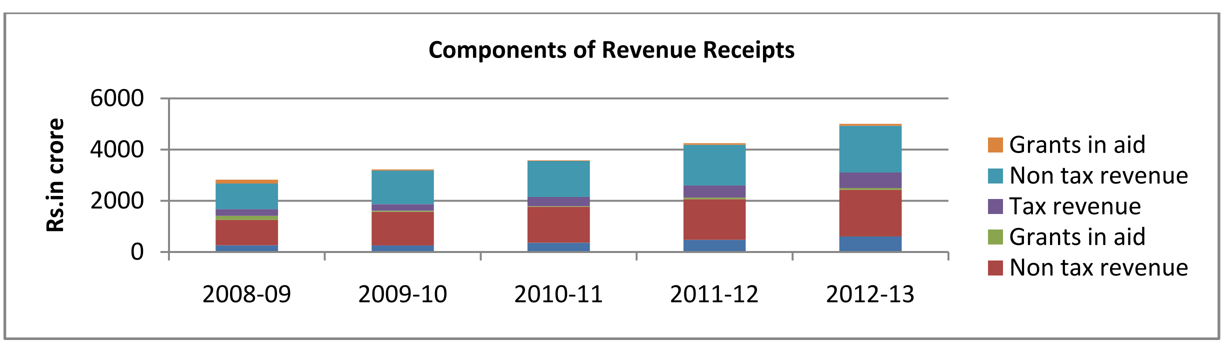

गैर–कर राजस्व के प्रमुख स्रोत्र ऊर्जा की बिक्री (43.01 प्रतिशत), निवेश पर ब्याज (22.86 प्रतिशत) तथा किराया/लाइसेंस शुल्क से प्राप्तियां और अन्य वाणिज्यिक क्रियाकलापों से प्राप्तियां (17.65 प्रतिशत) थी । ऊर्जा की बिक्री से प्राप्तियां पिछले पांच वर्षो से कुल गैर–कर राजस्व के हिस्से के रूप में 35.88 तथा 57.19 प्रतिशत के बीच घट–बढ़ रही थी। पिछले वर्ष से गैर–कर राजस्व में वृद्धि निवेश पर ब्याज में वृद्धि ऊर्जा की बिक्री तथा जल की बिक्री के कारण थी।

परिषद् का व्यय 2011–12 में ₹2258.16 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012–13 में ₹2503.40 करोड हो गया अर्थात पिछले वर्ष की तुलना मे 10.86 प्रतिशत बढ़ गया जिसे निम्न चार्ट में दर्शाया गया है:

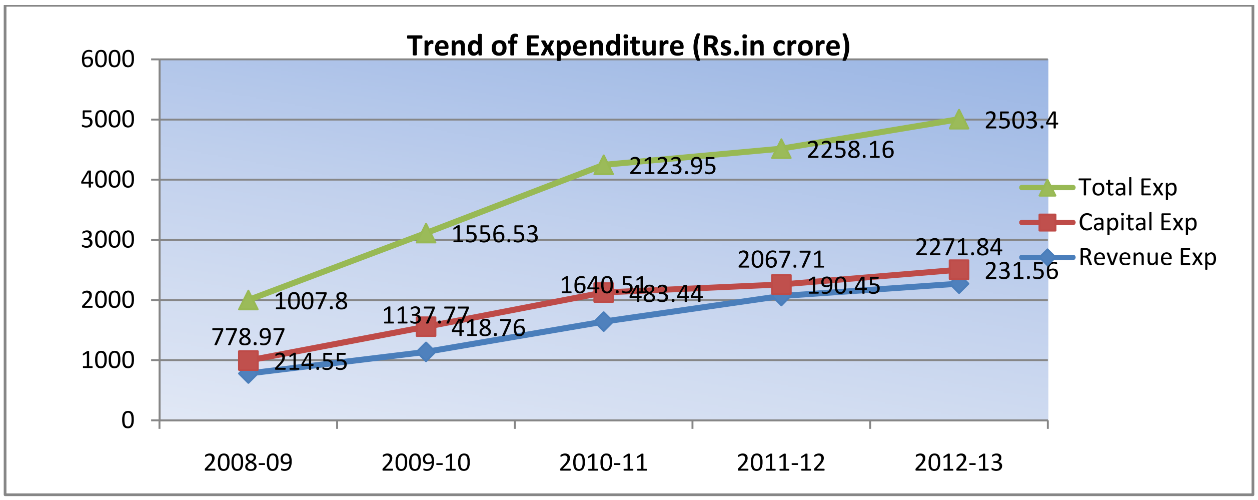

(i) कुल व्यय 2008–09 में ₹1007.80 करोड़ से बढ़कर 2012–13 में ₹2503.40 करोड़ हो गया। 2012–13 के दौरान किया गया व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 10.86 प्रतिशत बढ़ गया।

(ii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यो पर पूंजीगत व्यय 2011–12 में ₹190.45 करोड़ से बढ़कर 2012–13 में ₹231.56 करोड़ हो गया अर्थात् इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 21.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार 2012–13 के दौरान राजस्व व्यय भी पिछले वर्ष की तुलना में 9.87 प्रतिशत बढ़ गया।

परिषद् के लेखाओं पर प्रमुख लेखापरीक्षा आपत्तियां निम्नलिखित हैं:

(क) वर्ष 2012–13 के दौरान वास्तविक व्यय ₹2271.84 करोड़ के संशोधित अनुमानों के प्रति ₹1938.04 करोड़ था। इस प्रकार 2012–13 का व्यय संशोधित अनुमानों से ₹333.80 करोड़ बढ़ गया था। 6 लेखा शीर्षो के अन्तर्गत व्यय संशोधित अनुमान से अधिक किया गया था। अधिक व्यय संशोधित अनुमानों के 9.08 तथा 6934.28 प्रतिशत के बीच था। 1 लेखा शीर्ष में व्यय बिना किसी बजट प्रावधान के किया गया था।

(ख) वित्तीय वर्ष 2012-13 के शुरू में ''कर्जे, पेशागियां तथा जमा'' के अन्तर्गत बकाया शेष ₹66.99 करोड़ था। वर्ष के दौरान ₹21.72करोड़ की वसूली/समायोजन, वर्ष के अन्त के ₹45.27 करोड़ के बकाया शेष को छोड़कर किया गया था।

(ग) अनुसूची के अनुसार, स्थायी परिसम्पत्तियों (₹1 प्रत्येक मूल्य वाली परिसम्पत्तियों के अलावा) का सकल ब्लॉक ₹277.51 करोड़ दर्शाया गया है तथा 31.03.2013 तक संचित मूल्यहास ₹59.32 करोड़ दर्शाया गया है।

(घ) 31 मार्च, 2013 की समाप्ति वर्ष हेतु तुलना पत्र में लेखाओं के अनुसार नकद शेष ₹22.37 लाख दर्शाया गया है।

(ड़) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान बिना किसी समर्थित विवरण तथा बिना समुचित खुलासे के ₹1495.93 करोड़ (65.04 प्रतिशत) के असाधारण उच्च **स्तर** पर किया गया था। लेखा टिप्पणियों में यह स्वीकार किया गया है कि अशोध्य ऋण का परिकलन प्राप्य राशियों के किसी विवरण के बिना तदर्थ आधार पर किया गया है।

(च) एनएमएएम के अनुसार परिसम्पत्तियों और देयताओं की दस विभिन्न अनुसूचियां तैयार नहीं की गई हैं। वित्तीय अनुपात भी एनएमएएम में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार शामिल/परिकलित नहीं किए गए थे।

(अध्याय 1)

एनडीएमसी में कनाट प्लेस का पुन: विकास

❖ न.दि.न.परिषद् ने मई, 2008 में प्रतिस्पर्धात्मक बोली हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के द्वारा खुली निविदाएँ आमंत्रित किए बगैर पूरी तरह से नामाकंन आधार पर परियोजना प्रबन्धन परामर्शदाता/मुख्य परामर्शदाता के रूप में ई.आई. एल. को नियुक्त किया, जो परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु सी.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली के प्रावधानों, जी.एफ.आर. एस. तथा सी.वी.सी. के दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन है।

❖ ई.आई.एल. के निष्पादित करार में कई क्लाज संदिग्ध है।

❖ संशोधित करार, दिनाँक 21 मई, 2008, ई.आई.एल. के पक्ष में थे, जैसा कि दण्डित क्लॉज हटाए गए तथा ना तो न.दि.न.परिषद् का हित देखा गया और न ही 3 मई, 2006 के करार के मामले में कोई विशेष/कानूनी मत देखा गया ।

❖ परिषद् की सहमति तथा उनके निष्पादन के साथ परामर्शदाता की नियुक्ति से संबंधित ऑडिट पार्टी के पास कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे ।

❖ पूर्ण विवरण तथा न्यायोचितता के साथ दिनांक 21 मई, 2008 के करार के क्लॉज 11 (i) के अनुसार अपेक्षितनुसार मैं० ई.आई.एल. द्वारा पूछे गए विस्तार संबंधी कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं थे।

- ❖ जे.एन.एन.यू.आर.एम. द्वारा अनुमोदित कार्यों में ₹160.77 करोड का अद्यिक्य व्यय हुआ ।
- ❖ नियुक्त आई.आर.एम.ए., जे.एन.एन.यू.आर.एम. की टूलकिट के अनुसार नहीं था तथा करार में हस्ताक्षर करने से पूर्व आई.आर.एम.ए. द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनियमित थी।
- ❖ विभाग ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. से पूरी शेयर राशि की प्रतिपूर्ति हेतु जे.एन.एन.यू.आर.एम. से ₹8432.15 लाख की परियोजना की शेयर लागत की 'गैर प्राप्ति' से संबंधित मामले का अवलोकन नहीं किया ।

(अध्याय 2)

स्टाफ की हकदारी की स्वीकृति एवं भुगतान में दक्षता

- ❖ अवकाश की स्वीकृति, अवकाश नगदीकरण एल.टी.सी. दावों का निपटान, बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति इत्यादि कार्यो के निपटान हेतु निर्धारित टाइम फ्रेम का पालन संबंधित अनुभाग अधिकारी/शाखा अधिकारी, द्वारा ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा था, जो कि ऑफिस प्रॉसिजर (एम.ओ.पी.) नियमावली में अपेक्षित है।
- ❖ दावों की प्रक्रिया में विलंभ के अतिरिक्त 345 दावों की प्रक्रिया में वास्तविकता नहीं रखा गया ।
- ❖ वर्ष 2013 के दौरान, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् में प्रतिनियुक्त पर ए. ए.ओ. की नियुक्ति में विलंब हुआ ।
- ❖ रोका हुआ सेवानिवृति ग्रेच्युटी/लेप्सड डिपाजिड जारी करने में विलंब ।
- ❖ न.दि.न.परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान दावा छुट्टी वेतन के साथ-साथ छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान में भुगतान में विलंब हुआ ।
- ❖ अनुपस्थित अवधि, एम.ए.सी.पी. प्रदान करना इत्यादि के नियमतिकरण में विलंब हुआ ।
- ❖ विभिन्न अग्रिमों जैसे एल.टी.सी. टी.ए. एवं डी.ए., एच.बी.ए. इत्यादि का समायोजन नहीं हुआ ।
- ❖ ऐसे कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा अधिकृत एजेटों से टिकटों के क्रय का प्रूफ प्राप्त किए बगैर एल.टी.सी. दिया गया ।
- ❖ बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति फीस रसीदों के बगैर की गई। पुनः शैक्षणिक सत्र 2008-09 में श्री वीरेश कुमार एस.डब्ल्यू.डी. बेलदार को उनके तीसरे बच्चे, (मास्टर अभय कुमार) को बाल शिक्षा भत्ता ₹ 3000 प्रदान किए गए ।
- ❖ डी.सी.आर.जी., लाइसैंस फीस बकाया इत्यादि के संबंध में अतिरिक्त भुगतान की वसूली नहीं की गई ।
- ❖ छुट्टी के लेखे जैसे, शार्ट क्रेडिट, इन्करेक्टर कैरी फारवर्ड ऑफ लीव, एक्सेस क्रेडिट/ शार्ट डेबिट तथा शार्ट/एक्सेस पेमेंट ऑफ लीव एन्कैशमेंट बेनिफिट, में अनियमितताएँ देखी गई ।
- ❖ वास्तुविद् एवं उद्यान स्थापना, शिक्षा विभाग (स्थापना शाखा) तथा मुख्य स्थापना शाखा द्वारा अनुबंध आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताएं थी ।

(अध्याय 3)

न.दि.न.परिषद् में अभियांत्रिक विभाग में अनुबंध प्रबन्धन

- विद्युत इंजिनियरिंग के कुछ प्रभागों में बोलियों के आमत्रंण के स्थान पर खराब प्रत्युक्तर प्राप्त किए जाने के संकेत मिले ।
- इलैक्ट्रिकल इंजि. विभाग के संबंध में, अनुबंध सौंपने हेतु समय-सीमा का अनुपालन नहीं किया गया ।
- करार पर हस्ताक्षर का विहित समय 7 से 15 दिन है, किन्तु चार विद्युत विभागों के 36 मामलों में, 21 मामलों में असामान्य विलंब पाया गया ।
- कार्य के प्रारम्भ में विलंब हुआ (सीवरेज रखरखाव) ।
- जैन मन्दिर रोड पर एस.बी.एस. मार्ग से यू.जी.आर. शिवाजी स्टेडियम वाटर बूंस्टिग स्टेशन के भूमिगत जलाशय तक 300 व्यास की पाइप लाइन बिछाने के कार्य के संबंध में त्रुटियुक्त योजना अपर्याप्त समन्वय था।
- उपयोगी यूनिट तथा उपलब्ध करवाने वालों के मध्य समन्वय की कमी थी जिसके परिणामस्वरूप 11 के.वी. स्टोर डिविजन द्वारा उपलब्ध आधिक्य भंडार की गांरटी समाप्त हो गई ।
- अक्टूबर, 2013 में, 33 के.वी. केबल के 45746 मीटर में से मात्र 16050 मीटर केबल सी-VI को तथा रखरखाव फीडर विभाग को जारी किए गए थे तथा शेष 29696 मीटर केवल स्टोक में पड़े हैं जिसकी गांरटी अवधि समाप्त हो गई ।
- आइसोलेटर द्वारा क्रय की गई, स्टोर- II प्रभाग में बिना उपयोग किए रखी हुई थीं, जिसके परिणामस्वरूप स्थल एवं निधि ₹14.24 लाख की राशि ब्लॉक हुई ।
- भवन रखरखाव- II प्रभाग ने स्टोर से प्रार्थना तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना, ₹44.86 लाख की लागत से 207 एयरकंडीश्नरों का क्रय किया ।
- ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में उदासीन प्रस्ताव थी (उच्च मूल्य उपकरण)।
- निविदाओं के आमंत्रण का नोटिस द्वारा प्रचार-प्रसार नहीं किया गया (यथा भवन रखरखाव), जिसके कारण हाउसकीपिंग के कार्य से जुड़े बोलीदाताओं से कम प्रतिस्पर्धा हो पाई ।
- सेवा कर के मामले में की गई प्रतिपूर्ति अनियमित थी, जैसा कि वित्तीय अधिनियम 2005 के अधिनियमन के साथ, गैर-वाणिज्यिक भवनों के संबंध में सफाई सेवा, सेवा कर की परिधि से विशेष रूप से बाहर थी।
- मैं० एक्सपर्ट कन्सट्रशन कंपनी, जिसे नवयुग स्कूल, पेशवा रोड की साफ-सफाई हेतु अनुबंध दिया गया था वो बिल्डिंग तथा अन्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, जबकि पंजीकृत होना, अनुबंध की एक शर्त है।
- यूजर-सैटीस्फेक्शन के निर्धारण की प्रणाली मौजूद नहीं थी।
- बिलों का भुगतान करते समय ए.ई./ई.ई. द्वारा रिक्त टैस्ट चेक विवरणों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें पता चलता है कि आवश्यक टैस्ट चेक नहीं किए गए ।

- ❖ कार्यों को इस प्रकार बाँटा गया तथा ठेकों को इस प्रकार दिया गया जिससे यह प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियां अधिशासी अभियंता के अधीन आ जाए। अधिशासी अभियंता को प्राप्त प्रत्यायोजित शक्तियां ₹10 लाख तक है, डिविजन ने कार्यों को बाटाँ और 6 करारों में इस प्रकार बाटाँ कि यह ₹10 लाख के अन्दर हो जिससे मुख्य अभियंता के अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़े ।
- ❖ कार्यों की स्वीकृति में अनियमितता थी, जो वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के उद्देश्यों के विरूद्ध है तथा स्वीकृति को बॉटने के बराबर है।
- ❖ वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन में असंगति थी ।
- ❖ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग नियमावली में विभाग ने नए परिवर्तन लागू नहीं किए ।
- ❖ विभाग द्वारा साधारण महता तथा अनुपालन के आदेशों, जो संबंधित अभियंता अधिकारी द्वारा जारी किये जाते है, वे विभाग को समय से जारी नहीं किए गए ।

(अध्याय 4)

सिविल इंजिनियरिंग विभाग

सार्वजनिक निजी भागीदारी छूट के स्थान पर ₹16.58 लाख की लाइसेंस फीस की वसूली नहीं हुई ।

(अध्याय 5: पैरा 5.1)

सम्पदा विभाग

सेल्यूलर तथा बेसिक टेलीकॉम रेगुलेटर्स द्वारा संचार टॉवरों की स्थापना हेतु लाइसेंस फीस का संशोधन न करना।

(अध्याय 6: पैरा 6.1)

प्रवर्तन विभाग

पांर्किग अनुबंध की लाइसैंस फीस की अनियमित कटौती ।

(अध्याय 7: पैरा 7.1)

प्रवर्तन भवन नियमन विभाग

ढहाऊ प्रभारों की दरों के निर्धारण में अनुचित विलंब तथा अनाधिकृत निर्माण पर जुर्माने की वसूली न होना ।

(अध्याय 8: पैरा 8.1)

वित्त एवं लेखा विभाग विभाग

विविध अग्रिम ₹4.83 करोड़ का समंजन न होना ।

(अध्याय 9: पैरा 9.1)

उद्यान विभाग

बोलियों के लिए समय सीमा निश्चित किए बिना ही प्रथम आमंत्रण में एक मात्र बोलीदाता से ₹15 लाख में 25 पावर लॉन मोअर्स की खरीद अवैध और जल्दबाजी में की गई कार्यवाही ।

(अध्याय 10: पैरा 10.1)

सी पी डब्ल्यू डी कॉलोनी पार्को के रखरखाव प्रभारों हेतु दावों का कार्यान्वयन न होना ।

(अध्याय 10: पैरा 10.2)

जनसम्पर्क विभाग

नेहरू पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर ₹22.36 लाख का अनियमित व्यय ।

(अध्याय 11: पैरा 11.1)

लेखापरीक्षा के कहने पर वसूलीयां

लेखापरीक्षा के कहने पर (अप्रैल, 2014) एन.डी.एम.सी. के के विभिन्न विभागों ने कुल ₹8.68 करोड़ की वसूलियाँ की । **(अध्याय 12)**

अध्याय-1

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के वार्षिक लेखे

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2012-13 हेतु परिषद् के लेखाओं में सम्मिलित सूचना के विश्लेषण पर आधारित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। यह विश्लेषण परिषद् की प्राप्तियों एवं व्यय के रूझान और वित्तीय प्रबंधन पर आधारित है।

1.2 परिषद् की वित्तीय स्थिति

परिषद् के लेखे नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994, की धारा 58 के अनुसार तैयार किए जाते हैं। नई दिल्ली नगरपालिका ने परिषद् के प्रस्ताव सं. 3 (xii) दिनांक 24.04.2002 के द्वारा वर्ष 2004-05 से लागू उपार्जन आधारित दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के लेखाओं को बंद करने का निर्णय लिया । अतः नई दिल्ली नगरपालिका ने वर्ष 2012-13 हेतु लेखे परिषद् हेतु विकसित ई-फाइनेंस सॉफ्टवेयर के द्वारा दोहरी प्रविष्टि प्रणाली का प्रयोग करके तैयार किए। लेखाओं को तैयार करने हेतु फॉरमेट राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली (एनएमएएम) में निर्धारित है।

परिषद् की वित्तीय स्थिति मुख्य रूप से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 44 के अन्तर्गत परिषद् द्वारा अनुरक्षित नई दिल्ली नगरपालिका निधि से प्रदर्शित होती है। सभी प्राप्तियों तथा व्ययों को इस निधि के अधीन लेखांकित किया जाता है। वर्ष 2012-13 के दौरान ₹274.80 करोड़ का अधिशेष था तथा 31 मार्च 2013 को अन्त शेष ₹173.21 करोड़ था।

1.3 निधि के स्रोत एवं उसका व्यय

निधि के मुख्य स्त्रोतों में परिषद् के राजस्व की प्राप्तियां सम्मिलित हैं। इनका विस्तृत रूप से उपयोग राजस्व एवं पूँजीगत व्यय पर होता है। वर्ष 2011-12 में वास्तविक राजस्व प्राप्तियां ₹2126.18 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में 17.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹2502.67 करोड़ हो गई।

वर्ष 2011-12 में राजस्व व्यय ₹ 2067.71 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 2271.84 करोड़ हो गया। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यों पर जमा कार्यों को छोड़ कर पूँजीगत व्यय वर्ष 2011-12 में ₹ 190.45 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 231.56 करोड़ हो गया।

1.4 नई दिल्ली नगरपालिका निधि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994, की धारा 44 के अनुसार ''नई दिल्ली नगरपालिका निधि'' के नाम से जानी जाने वाली निधि का रखरखाव परिषद् द्वारा किया जाता है। परिषद् द्वारा अथवा परिषद् की ओर से प्राप्त धन निधि का हिस्सा कहलाएगा। परिषद् अथवा इसकी ओर से किया गया व्यय, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस निधि में से किया जाता है। ई-फाइनेंस अनुप्रयोग के अनुसार वर्ष 2012-13 हेतु इस निधि के अन्तर्गत कुल व्यय तथा प्राप्तियाँ निम्नलिखत थीं:

तालिका 1.1: नई दिल्ली नगरपालिका निधि **(₹ करोड़ में)**

वर्ष	2012-13	2011-12
1 अप्रैल को अथशेष	**76.86**[1]	**68.49**
जमा-वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	**2566.53**	**2328.63**
कुल	**2643.39**	**2397.12**
घटा-वर्ष के दौरान व्यय	**2470.18**	**2320.24**
वर्ष के दौरान निवल आधिक्य (+)/घाटा(-)	**96.35**	**8.57**
31 मार्च को अंत शेष	**173.21**	**77.06**

उक्त तालिका को देखने पर ज्ञात होगा कि वर्ष 2012-13 के दौरान ₹96.35 करोड़ का अधिशेष था। निधि का अंतशेष वर्ष 2011-12 ₹76.86 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 के अंत में ₹173.21 करोड़ हो गया। ₹2566.53 करोड़ की प्राप्तियों में अन्य के साथ-साथ ₹604.19 करोड़ का कर राजस्व तथा ₹1826.58 करोड़ का गैर-कर राजस्व और ₹71.90 करोड़ का सहायता अनुदान आदि शामिल था ₹2470.18 करोड़ के व्यय में अन्य के साथ-साथ ₹812.83 करोड़ के स्थापना प्रभार, ₹71.99 करोड़ के प्रशासनिक खर्चे तथा ₹876.83 करोड़ के प्रचालन एवं अनुरक्षण व्यय शामिल थे।

---

1 समापन संतुलन और पेशगी और डाक टिकटों के बहिष्कार के कारण ₹ 0.20 करोड़ रुपये (77.06-76.86) का उद्घाटन संतुलन की प्राप्ति और भुगतान के रूप में दिखाया गया

1.5 राजस्व प्राप्तियां

1.5.1 राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि

परिषद् की राजस्व प्राप्तियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के अतिरिक्त मुख्य रूप से गैर कर राजस्व निहित है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान सहित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति का विवरण निम्न प्रकार है :-

तालिका 1.2.: राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि **(₹ करोड़ में)**

वर्ष	वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि (+) कमी (-)
2012-13	2502.67	17.71
2011-12	2126.18	18.70
2010-11	1791.25	11.00
2009-10	1613.68	14.20
2008-09	1412.98	3.96

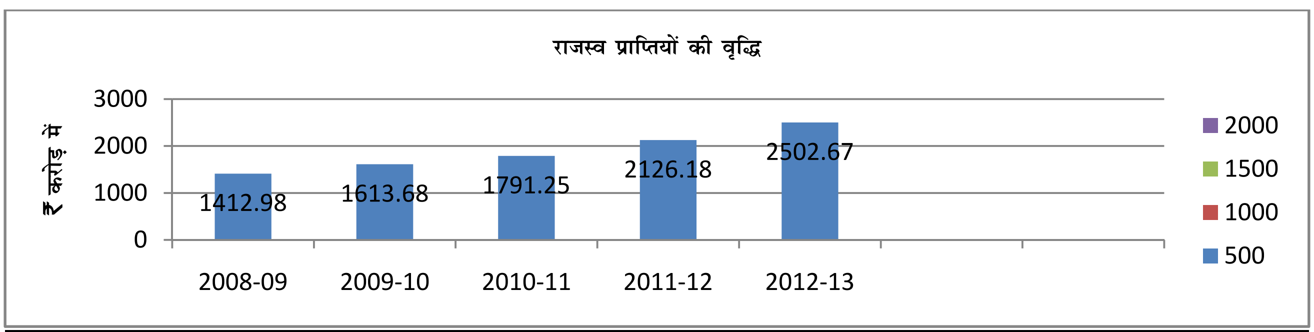

पूर्व वर्ष की तुलना में 2012-13 की राजस्व प्राप्तियों में 17.71 प्रतिशत की वृद्धि परिषद् की कर राजस्व में वृद्धि (27.59 प्रतिशत) के कारण है।

1.5.2 राजस्व प्राप्तियों के घटक

पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसके विभिन्न घटकों के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियां निम्न प्रकार है :

तालिका 1.3 : राजस्व प्राप्तियों के घटक (₹ करोड़ में)

घटक	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
कर राजस्व	604 .19 (24.14)	473.51 (22.27)	359.40 (20.06)	255.68 (15.85)	263.46 (18.65)
गैर-कर राजस्व	1826.58 (72.99)	1588.01 (74.69)	1407.71 (78.59)	1314.69 (81.47)	995.51 (70.45)
केन्द्र सरकार/ दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान	71.90 (2.87)	64.66 (3.04)	24.14 (1.35)	43.31 (2.68)	154.01 (10.90)
कुल	2502.67 (100.00)	2126.18 (100.00)	1791.25 (100.00)	1613.68 (100.00)	1412.98 (100.00)

नोटः ब्रेकेट में दिए गए आंकड़े कुल प्राप्तियों के संबंध में प्रतिशतता दर्शाते हैं।

राजस्व प्राप्तियों के संघटकों का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतिकरण

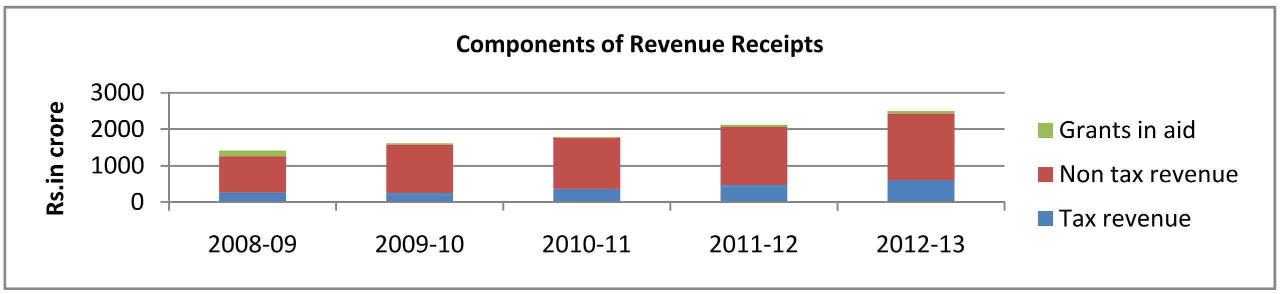

गैर–कर राजस्व, राजस्व प्राप्तियों का मुख्य घटक बना हुआ है । कुल गैर–कर राजस्व वर्ष 2011–12 में 74.69 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 72.99 प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली/केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान जो कुल स्रोतों का बहुत कम भाग है, वर्ष 2011–12 में 3.04 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012–13 में 2.87 प्रतिशत हो गया। कर राजस्व का हिस्सा भी वर्ष 2011–12 में 22.27 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012–13 में 24.14 प्रतिशत हो गया।

1.6 कर राजस्व

1.6.1 कर राजस्व प्रवृत्ति

परिषद् के कर राजस्व में गृह कर, संपति के हस्तांतरण पर डयूटी, विज्ञापन कर इत्यादि शामिल हैं। कर राजस्व की प्रवृत्ति वर्ष 2008–09 से 2012–13 के दौरान निम्न प्रकार थी :

तालिका 1.4: कर राजस्व की वृद्धि **(₹ करोड़ में)**

वर्ष	वास्तविक कर राजस्व	पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशतता में वृद्धि (+)घाटा(-)	कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता
2012-13	**604.19**	**27.59**	**24.14**
2011-12	**473.51**	**31.75**	**22.27**
2010-11	**359.40**	**40.57**	**20.06**
2009-10	**255.68**	**(-) 2.95**	**15.85**
2008-09	**263.46**	**18.09**	**18.65**

कर राजस्व, जो 2009-10 को छोड़कर, बढ़ोतरी का रुझान दिखा रहा था 2012-13 में 27.59 प्रतिशत बढ़ गया। कर राजस्व के अन्तर्गत प्राप्तियाँ वर्ष 2008-09 में ₹263.46 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹604.19 करोड़ हो गई।

1.6.2 कर राजस्व के घटक

पिछले पाँच वर्षों के दौरान कर राजस्व के विभिन्न घटकों का वृद्धि का पैटर्न निम्न प्रकार था:

तालिका 1.5: कर राजस्व के घटक **(₹ करोड़ में)**

घटक	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
गृह कर	**488.19 (80.80)**	**382.88 (80.86)**	300.78 (83.69)	207.92 (81.32)	210.79 (80.00)
संपति के हस्तांतरण पर शुल्क	**48.68 (8.05)**	**36.56 (7.72)**	24.20 (6.73)	19.77 (7.73)	37.80 (14.35)
विद्युत/विज्ञापन/शो-कर	**40.22 (6.66)**	**30.41 (6.42)**	25.39 (7.06)	11.96 (4.68)	0.02 (0.01)
करों का नियत हिस्सा	**27.10 (4.49)**	**23.66 (5.00)**	9.03 (2.51)	16.03 (6.27)	14.85 (5.64)
कुल	**604.19 (100.00)**	**473.51 (100.00)**	359.40 (100.00)	255.68 (100.00)	263.46 (100.00)

नोट: ब्रेकेट में दिए गए आंकड़े कुल प्राप्तियों के संबंध में प्रतिशतता दर्शाते हैं।

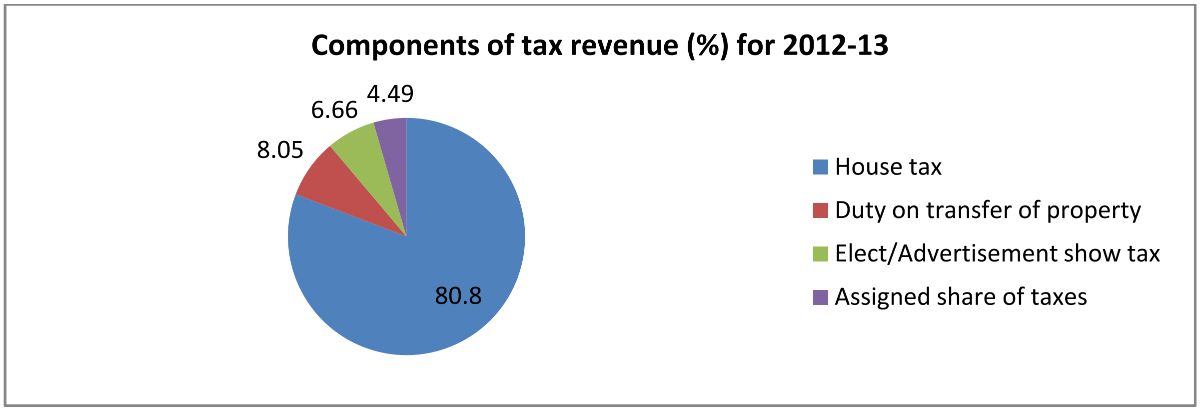

गृह कर, कर राजस्व का एक बहुत बड़ा अंशदाता है। वर्ष 2008-09 से वर्ष 2010-11 के दौरान इसका हिस्सा बढ़कर 80.0 से 83.69 प्रतिशत हो गया। तथा 2012-13 में कुल कर राजस्व घटकर 80.80 प्रतिशत हो गया । ''संपति के हस्तांतरण पर कर'' के अन्तर्गत प्राप्तियाँ वर्ष 2008-09 में ₹37.80 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹48.68 करोड़ हो गई। करों के सौपे गए हिस्से के प्रति प्राप्तियाँ भी पिछले वर्ष की तुलना में 2012-13 के दौरान ₹473.51 करोड़ से ₹604.19 करोड़ बढ़ गई।

1.7 गैर-कर राजस्व

1.7.1 गैर-कर राजस्व में वृद्धि

परिषद् के गैर-कर राजस्व में ऊर्जा/पानी की बिक्री, किराया/लाईसेंस फीस, निवेश पर ब्याज तथा अन्य विविध प्राप्तियाँ शामिल हैं। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान गैर-कर राजस्व में वृद्धि निम्न अनुसार थी:

तालिका 1.6: गैर कर राजस्व में वृद्धि (₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक गैर-कर राजस्व	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता में वृद्धि (+)घाटा(-)	कुल राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता
2012-13	**1826.58**	**15.02**	**72.99**
2011-12	**1588.01**	**12.81**	**74.69**
2010-11	**1407.71**	**7.08**	**78.59**
2009-10	**1314.69**	**32.06**	**81.47**
2008-09	**995.51**	**(-) 5.69**	**70.45**

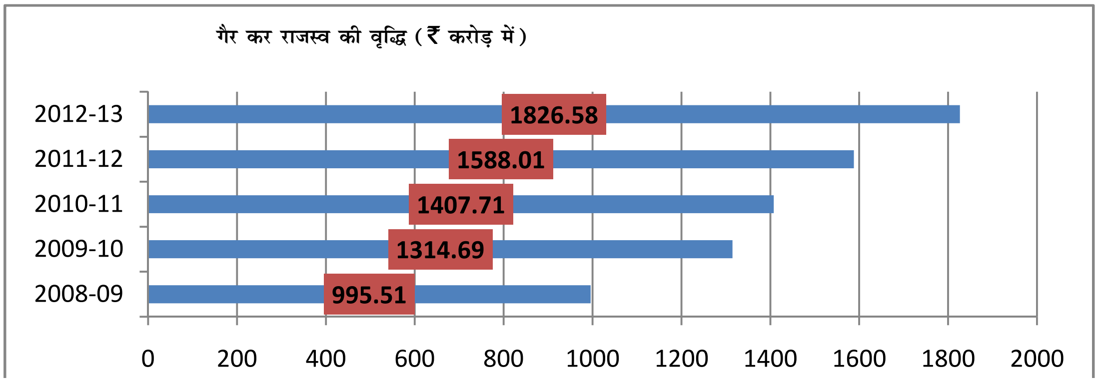

गैर कर राजस्व वर्ष 2012-13 के दौरान परिषद् की कुल राजस्व प्राप्तियों का 72.99 प्रतिशत था। इसका हिस्सा वर्ष 2011-12 में 74.69 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2012-13 में 72.99 प्रतिशत हो गया। गैर-कर राजस्व की वृद्धि/कमी की प्रतिशतता पिछले पाँच वर्षों के दौरान 81.47 प्रतिशत से 70.45 प्रतिशत के मध्य थी। पूर्ण रूप से गैर-कर राजस्व वर्ष 2011-12 में ₹1588.01 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹1826.58 करोड़ हो गया, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 15.02 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

1.7.2 गैर-कर राजस्व की रचना

पिछले पांच वर्षों के दौरान गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों के वृद्धि पैटर्न का विवरण निम्न प्रकार है :

तालिका 1.7 गैर -कर राजस्व के घटक **(₹ करोड़ में)**

घटक	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
ऊर्जा की बिक्री	785.65 (43.01	613.64 (38.65)	505.08 (35.88)	535.84 (40.76)	569.28 (57.19)
जल की बिक्री	92.77 (5.07)	143.51 (9.03)	78.10 (5.55)	49.23 (3.74)	22.50 (2.26)
व्यावसायिक गतिविधियों से किराया/लाइसेंस शुल्क तथा प्राप्तियाँ	322.18 (17.65)	263.98 (16.62)	254.78 (18.10)	253.85 (19.31)	264.51 (26.57)
शुल्क, जुर्माना तथा विविध प्राप्तियाँ	208.42 (11.41)	182.66 (11.50)	203.2 (14.43)	101.26 (7.70)	52.75 (5.30)
निवेश पर ब्याज	417.56 (22.86)	384.22 (24.20)	366.55 (26.04)	374.51 (28.49)	86.47 (8.68)
कुल	1826.58 (100.00)	1588.01 (100.00)	1407.71 (100.00)	1314.69 (100.00)	995.51 (100.00)

नोट : ब्रेकेट में दिए आंकड़े कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

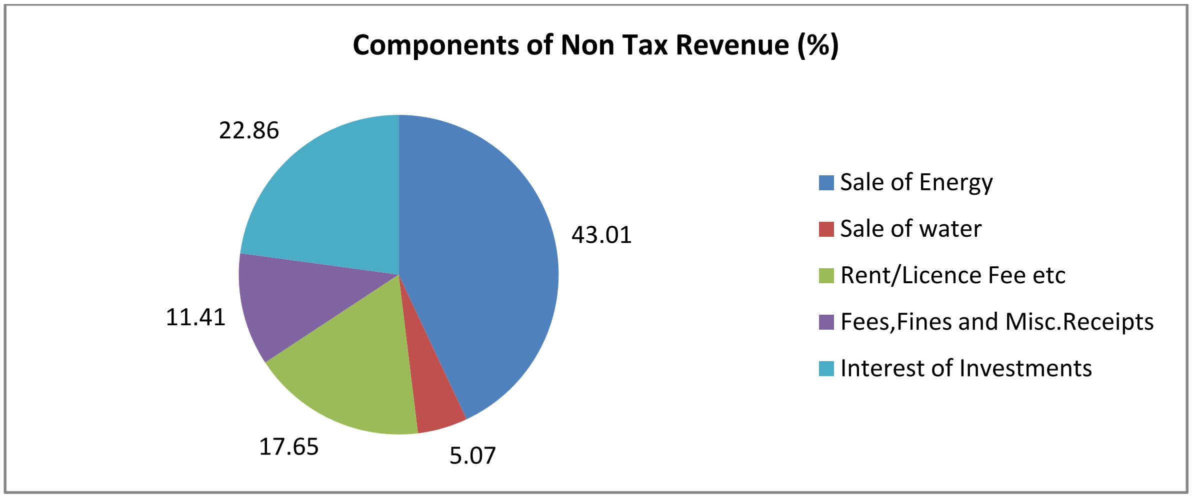

गैर कर राजस्व के मुख्य स्रोत, ऊर्जा की बिक्री (43.01 प्रतिशत), निवेश पर ब्याज (22.86 प्रतिशत) तथा किराया/लाइसेंस शुल्क की प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यावसायिक गतिविधियों (17.65 प्रतिशत) से प्राप्तियाँ थीं। ऊर्जा की बिक्री की प्राप्तियाँ, पिछले पाँच वर्षों में कुल गैर-कर राजस्व के संबंध में 35.88 से 57.19 प्रतिशत के मध्य थी। पिछले वर्ष की तुलना में गैर-कर राजस्व में वृद्धि का मुख्य कारण निवेश के ब्याज में बढ़ोतरी ऊर्जा की बिक्री तथा जल की बिक्री है।

1.8 सहायता अनुदान

1.8.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सहायता

परिषद् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से सहायता अनुदान के रूप में सहायता लेती है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राप्त सहायता की प्रवृत्ति निम्न प्रकार से थी :

तालिका 1.8 : सहायता अनुदान **(₹ करोड़ में)**

वर्ष	सहायता अनुदान	कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता
2012-13	71.90	2.87
2011-12	64.66	3.04
2010-11	24.14	1.35
2009-10	43.31	2.68
2008-09	154.01	10.90

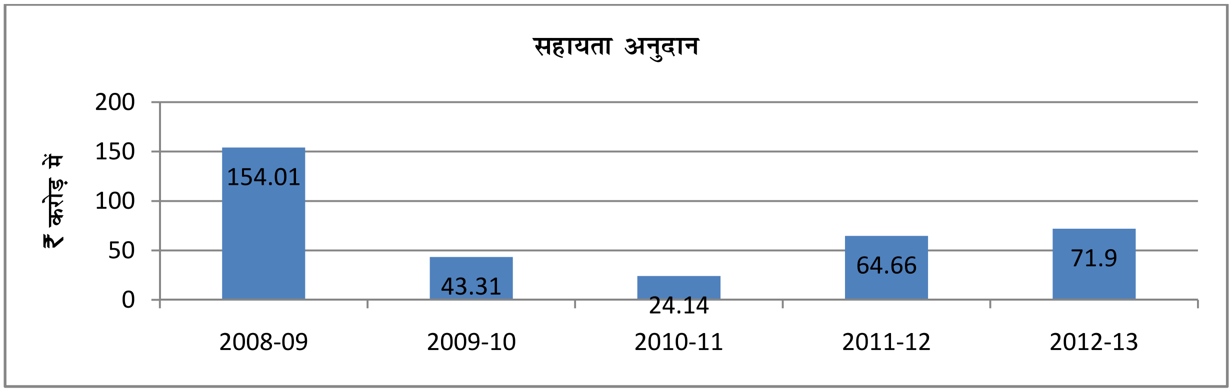

1.9 राजस्व प्राप्तियों के बकाया

लेखाओं में मार्च 2013 को गृह कर का बकाया ₹ 807.91 करोड़ दर्शाया गया था, लेकिन बकाया का वर्ष-वार ब्यौरा नहीं बताया गया था। ये पूर्व ऑडिट रिपोर्टों में भी बताया गया था लेकिन विभाग द्वारा अभी सही कदम उठाए जाने अपेक्षित है। बकायों की वसूली की सही मॉनीटरिंग करने के लिए, बकायों के वर्षवार विवरण का रखरखाव किया जाना अपेक्षित है ताकि उनकी वसूली के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

1.10 व्यय

1.10.1 व्यय की प्रवृत्ति

इस रिपोर्ट में कुल व्यय से तात्पर्य राजस्व एवं पूँजी के समस्त व्यय तथा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के कर्मचारियों को ऋण बाँटने से है। परिषद् ने वर्ष 2012-13 में कुल ₹ 2503.40 करोड़ खर्च किए थे। वर्ष 2008-09 से 2012-13 के दौरान व्यय की प्रवृत्ति निम्न प्रकार दर्शायी गई थी :

तालिका 1.9 : व्यय की प्रवृत्ति **(₹ करोड़ में)**

वर्ष	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय		दिल्ली सरकार/बाहरी सहायता के ऋणों का भुगतान	न.दि.न.परिषद् कर्मचारियों को ऋणों का भुगतान	कुल
		परिषद् कार्य	जमा कार्य			
2012-13	2271.84	231.56	0	0	0	2503.40
2011-12	2067.71	190.45	0	0	0	2258.16
2010-11	1640.51	483.44	0	0	0	2123.95
2009-10	1137.77	418.76	शून्य	शून्य	शून्य	1556.53
2008-09	778.97	214.55	14.26	शून्य	0.02	1007.80

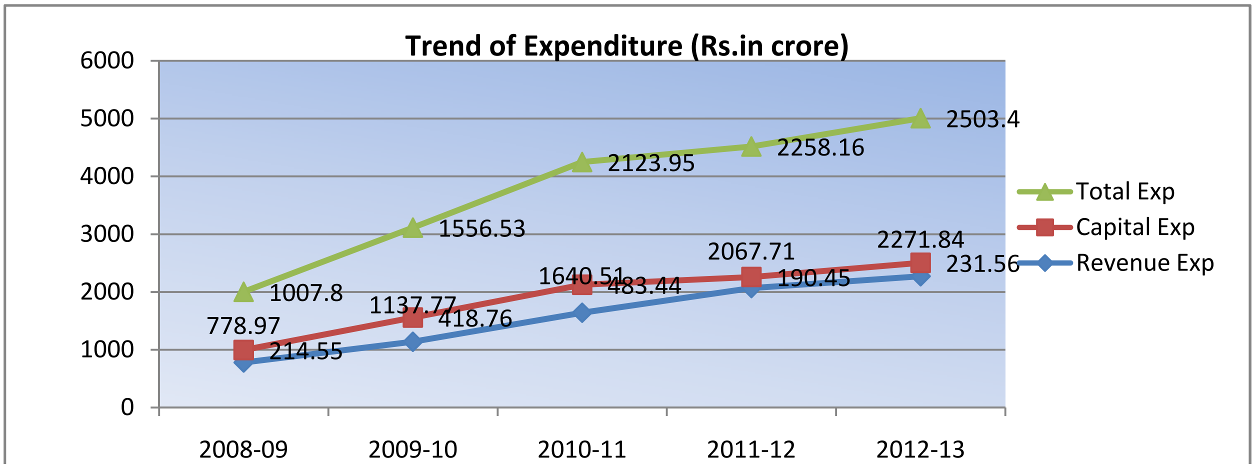

(i) कुल व्यय वर्ष 2008-09 में ₹ 1007.80 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹ 2503.40 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष के व्यय की तुलना में व्यय वर्ष 2012-13 के दौरान 10.86 प्रतिशत बढ़ गया।

(ii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से संबंधित कार्यों के संबंध में पूँजीगत व्यय वर्ष 2010-11 में ₹190.45 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹ 231.56 करोड़ हो गया अर्थात् पिछले वर्ष की तुलना में 21.59 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इसी प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व व्यय भी 2012-13 के दौरान बढ़कर 9.87 प्रतिशत हो गया।

1.11 गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

परिषद् विद्यालयों/गैर सरकारी संस्थाओं इत्यादि को सहायता अनुदान उपलब्ध कराती है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान परिषद् द्वारा विभिन्न संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई सहायता अनुदान की राशि निम्न प्रकार से थी :

तालिका 1.10 : परिषद् द्वारा सहायता अनुदान (₹ लाख में)

	निकाय का नाम	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
1	नवयुग स्कूल सोसायटी	2904.73	2596.29	2500.14	2102.35	1598.08
2	आर.एम. आर्य गर्ल्स प्राइमरी विद्यालय नं. 11	67.10	43.49	24.7	24.24	33.78
3	निर्मल प्राइमरी विद्यालय, कोटा हाऊस	74.35	84.53	53.03	55.06	29.27
4	आर.एम. गर्ल्स प्राइमरी स्कूल नं. 1,	60.92	94.10	51.3	60.38	11.66
5	खालसा बाल प्राथमिक विद्यालय	शून्य	शून्य	46.52	शून्य	शून्य
6	सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था/गैर सरकारी संस्था	10.00	12.37	शून्य	16.00	13.80
7	समाज कल्याण समिति	164.79	249.58	200.17	168.01	176.25
8	पालिका सर्विस आफीसर्स इन्स्टीटयूट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	3281.89	3080.36	2875.86	2426.04	1862.84

परिषद् द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान 2011-12 में 3080.36 लाख से बढ़कर 2012-13 में 3281.89 लाख हो गए।

1.12 आधिक्य एवं आरक्षित निधि

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की विभिन्न खंड निधियां हैं । ये निधियां नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् निधि के अन्दर खंडों के रूप में अधिशेष राजस्व की अभिवृद्धियां हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान इन निधियों की स्थिति निम्न प्रकार से थी :

तालिका 1.11 : आधिक्य एवं आरक्षित निधिया (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्णन	अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	जोड़	वर्ष के दौरान व्यय	अन्त शेष
1	विद्युत निधि					
	(i) नियामक आरक्षित निधि	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	(ii) डीआरएफ	267.39	0.00	267.39	20.30	247.09
	कुल विद्युत निधि	272.39	0.00	272.39	20.30	252.08
2	जल आपूर्ति एवं मलजल निधि					
	(i)डीआरएफ	235.23	0.00	235.23	1.31	233.92
3	सम्पदा निधि					
	(i) वाणिज्यिक भवन निधि	306.82	0.00	306.82	1.82	305.00
	(ii) ट्रांस मार्किट निधि	59.38	15.00	74.38	0.10	74.28
	(iii) डीआरएफ	332.31	0.00	332.31	2.89	329.42
	(iv) लोक कला निधि	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
	कुल सम्पदा निधि	703.51	15.00	718.51	4.81	713.70
4	कर्मचारी निधि					
	(i) पेंशन निधि	1102.69	25.00	1127.69	203.23	924.45
	(ii) कर्मचारी कल्याण निधि	9.56	4.0	13.56	3.43	10.13
	कुल कर्मचारी निधि	1112.25	29.00	1141.25	206.66	934.58
5	सामान्य निधि					
	(i) हस्तगत रोकड़	76.86				173.21
	(ii) निवेश सामान्य निधि	3495.12				3733.94
	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् सामान्य निधि (1+2+3+4+5)	3571.12 5894.5				3907.15 6041.43

बजट आंकड़ों के तीन सैट प्रस्तुत करता है (क) पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े, (ख) चालू वर्ष के संशोधित अनुमान, तथा (ग) आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान। इस भाग में बजटीय अनुमानों के संदर्भ में परिषद् के वित्त के विभिन्न घटकों की चर्चा की गई है।

1.13 बजटीय अनुमानों का विश्लेषण

1.13.1 संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व का वास्तविक संग्रहण

विगत पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों के प्रति राजस्व प्राप्तियों का वास्तविक संग्रहण निम्न प्रकार से था :

तालिका 1.12 :संशोधित अनुमानों की तुलना में राजस्व का वास्तविक संग्रहण (₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ	संशोधित अनुमानों की तुलना में वृद्धि	संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि
2012-13	2214.56	2502.67	288.11	13.00
2011-12	1930.05	2126.18	196.13	10.16
2010-11	1918.70	1791.25	-127.45	-6.64
2009-10	1377.20	1613.68	236.48	17.17
2008-09	1406.52	1412.98	6.46	0.46

2012-13 के दौरान वास्तविक राजस्व प्राप्तियां, संशोधित अनुमानों से ₹ 288.11 करोड़ अधिक थी। निम्नलिखित 10 कार्यों के संबंध में, संशोधित अनुमानों की तुलना में 2012-13 के दौरान प्राप्तियों में कमी 0.15 से 140.47 प्रतिशत के बीच थी।

तालिका 1.13 : प्राप्तियों में कमी (₹ हजार में)

कार्य कोड	वर्णन	संशोधित अनुमान	प्राप्तियां	कमी	प्रतिशतता कमी
8	कार्यशाला	380	355	25	6.57
12	भवन विनियम	15002	10580	4422	29.47
44	पशुबाडा	42	-17	59	140.47
51	जलापूर्ति	1209070	995030	214040	17.70
52	सीवरेज	493615	469464	24151	4.89
53	अग्नि सेवा एवं आपदा प्रबन्धन	250	161	89	35.6
56	मनोरंजन	30500	24470	6030	19.77
58	पालिका मार्किट	155212	98128	57084	36.77
61	पार्क एवं गार्डन	3260	3255	5	0.15
79	अन्य	800	796	4	0.50

चूंकि संशोधित अनुमान वित्तीय वर्ष के बिल्कुल अन्त में ही बनाए गए थे, अत: संशोधित अनुमानों के प्रति प्राप्तियों में भारी कमी अवास्तविक बजटिंग को दर्शाती है। संशोधित अनुमानों के संदर्भ में प्राप्तियां निम्नलिखित 19 मामलों में अधिक थी जो 178.25 प्रतिशत से 100.33 प्रतिशत के बीच थी।

तालिका 1.14 : प्राप्तियों का अधिक संग्रहण (₹ हजार में)

कार्य कोड	कार्य का विवरण	संशोधित अनुमान (राजस्व)	प्राप्तियां	संशोधित अनुमानों के संदर्भ में वास्तविक संग्रहण की प्रतिशतता
2	प्रशासन	70810	71041	**100.33**
3	वित्त, लेखा, आडिट	4025415	4177466	**103.78**
6	सम्पदा	2956071	3233378	**109.38**
7	भंडार एवं टाउन प्लांनिग	17532	19041	**108.61**
11	सिटी एवं टाउन प्लांनिग	32785	45986	**140.27**
14	अतिक्रमण हटाना	18105	19719	**108.91**
15	व्यापार लाइसैंस/विनियम	3800	4249	**111.82**
21	सड़क एवं पटरी	13869	24721	**178.25**
24	पथ प्रकाश	216	292	**135.185**
31	जन स्वास्थ्य	5929	7130	**120.25**
35	हास्पिटल सेवाएँ	2500	2562	**102.48**
42	सार्वजनिक सुविधा	25000	29996	**119.99**
55	सामुदायिक/विवाह केन्द्र	40820	41340	**101.27**
71	महिला कल्याण	360	364	**101.11**
74	विकलांग-जन कल्याण	200	226	**113.00**
81	बिजली	8377752	9037549	**107.88**
82	शिक्षा	663527	665722	**100.33**
91	सम्पति कर	3350000	5368563	**160.26**
99	अन्य कर	631000	673234	**106.69**

1.13.2 संशोधित अनुमानों की तुलना में कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण

विगत पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण निम्न प्रकार से था :

तालिका 1.15 : संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक कर संग्रहण (₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक कर राजस्व	संशोधित अनुमानों की तुलना में वृद्धि (+) कमी (-)	संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि (+) कमी (-)
2012-13	399.10	604.19	205.09	51.39
2011-12	339.49	473.51	134.02	39.48
2010-11	312.56	359.40	46.84	14.99
2009-10	278.13	255.68	-22.45	(-)8.07
2008-09	234.94	263.46	28.52	12.14

संशोधित अनुमानों के संदर्भ में कर राजस्व के वास्तविक संग्रहण में 2012-13 के दौरान 51.39 प्रतिशत की वृद्धि थी।

1.13.3. संशोधित अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण

विगत पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण निम्न प्रकार से था :

तालिका 1.16 : संशोधित अनुमानों की तुलना में गैर-कर राजस्व का वास्तविक संग्रहण (₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक गैर कर राजस्व	संशोधित अनुमानों की तुलना में वृद्धि (+) कमी (-)	संशोधित अनुमानों की तुलना में प्रतिशतता वृद्धि (+) कमी (-)
2012-13	1744.65	2502.68	758.03	43.45
2011-12	1527.77	1588.01	60.24	3.94
2010-11	1561.54	1407.71	(-)153.83	(-)9.85
2009-10	1055.32	1314.69	259.37	24.58
2008-09	1013.71	995.51	(-)18.20	(-)1.80

2012-13 के दौरान वास्तविक गैर-कर राजस्व संग्रहण, संशोधित अनुमानों से 43.45 प्रतिशत अधिक था।

1.13.4 संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक व्यय (राजस्व)

2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान वास्तविक व्यय, संशोधित अनुमान से कम था।

तालिका 1.17 : संशोधित अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय (राजस्व) (₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	अधिकतम (+)बचत (-)	प्रतिशतता
2012-13	1938.04	2271.84	333.80	17.22
2011-12	1844.96	2067.71	222.75	12.07
2010-11	1623.46	1640.51	17.05	1.05
2009-10	1300.56	1137.77	-162.79	-12.52
2008-09	1126.22	778.97	-347.25	-30.83

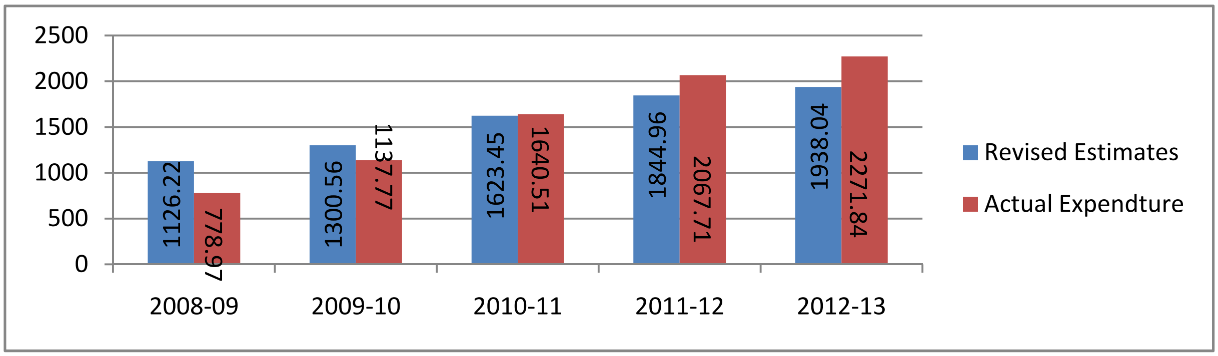

वर्ष 2012-13 के लिए व्यय, ₹ 1938.04 करोड़ के संशोधित अनुमान के प्रति ₹ 2271.84 करोड़ था। अत: 2012-13 के लिए व्यय संशोधित अनुमानों से ₹ 333.80 करोड़ बढ़ गया था। (17.22 प्रतिशत)

1.13.5 संशोधित अनुमानों की तुलना में बचत

2012-13 के दौरान निम्नलिखित 36 कार्यों में बचतें थी :

तालिका 1.18 : संशोधित अनुमानों के प्रति किया गया कम व्यय (₹ हजार में)

कार्य कोड	वर्णन	संशोधित अनुमान	व्यय	कमी	प्रतिशतता
2	प्रशासन	4649577.00	4230504	419073	9.01
3	वित्त,लेखे, लेखापरीक्षा	143592.00	126744	16848	11.73
5	रिकार्ड रूम	566.00	508	58	10.25
7	भण्डार एवं खरीद	104100.00	92183	11917	11.45
8	कार्यशाला	118471.00	104243	14228	12.00
11	शहर एवं नगर योजना	41760.00	37471	4289	10.27
12	भवन विनियम	1000.00	559	441	44.1
21	सडकें एवं फुटपाथ	534249.00	499816	34433	6.45
24	सडक-प्रकाश	130035.00	120772	9263	7.12

25	बरसाती जल नाले	13446.00	10572	2874	21.37
31	जन-स्वास्थ्य	94810.00	75556	19254	20.31
32	आपदा-रोकथाम नियंत्रण	124857.00	116935	7922	6.34
33	परिवार-नियोजन	23837.00	23361	476	1.99
34	प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र	217943.00	202847	15096	6.92
35	अस्पताल सेवाएँ	357372.00	341401	15971	4.46
37	जन्म मरण के आँकड़े	10536.00	9567	969	9.19
41	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन	828190.00	771489	56701	6.84
42	जन-सुविधाएँ	800.00	381	419	52.38
43	पशु-चिकित्सा सेवाएँ	12774.00	11195	1579	12.36
51	जलापूर्ति	786565.00	724719	61846	7.86
52	मल जल	365768.00	354788	10980	3.00
53	अग्नि सेवा एवं आपदा प्रंबधन	101859.00	100547	1312	1.29
54	कला एवं संस्कृति	3500.00	2815	685	19.57
55	सामुदायिक /विवाह केन्द्र	25255.00	21034	4221	16.71
56	मनोरंजन	83122.00	59871	23251	27.97
58	नगरपालिका मार्किट	242502.00	229814	12688	5.23
61	पार्क एवं उद्यान	577185.00	559795	17390	3.01
71	महिलाओं का कल्याण	20431.00	18233	2198	10.75
72	बाल कल्याण	36607.00	33913	2694	7.35
73	बुजुर्गो का कल्याण	560.00	551	9	1.61
74	विकलांग कल्याण	2722.00	2082	640	23.51
75	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	1310.00	1000	310	23.66
76	झुग्गी-झोंपड़ी का सुधार	5000.00	4839	161	3.22
79	अन्य	112161.00	108964	3197	2.85
81	बिजली	8167206.00	7457946	709260	8.68
82	शिक्षा	1256823.00	1140579	116244	9.24

36 में से 16 कार्य ऐसे थे जिनमें बचत 10.25 प्रतिशत से 52.38 प्रतिशत थी ।

1.13.6 संशोधित अनुमानों की तुलना में अधिक व्यय

वर्ष 2012-13 के दौरान निम्नलिखित छः कार्यकलापों में अधिक व्यय हुआ ।

तालिका 1.19 : संशोधित अनुमानों के प्रति किया गया अधिक व्यय (₹ हजार में)

कार्य कोड	वर्णन	संशोधित अनुमान	व्यय	आधिक्य	संशोधित अनुमानों की तुलना में अधिक व्यय की प्रतिशतता
1	नगर निकाय	14372.00	17246	2874	19.99
6	सम्पदा	72355.00	2532468	2460113	3400.0
14	अतिक्रमण हटाना	56982.00	196420	139438	244
15	व्यापार लाइसैंस/विनियम	5747.00	6269	522	9.08
23	तलमार्ग/उपमार्ग	900.00	1456	556	61.78
91	संपत्ति कर	33637.00	2366121	2332484	6934.28

उपयुक्त छः कार्यों में से, चार में आधिक्य 9.08 प्रतिशत से 6934.28 प्रतिशत के बीच था ।

1.13.7 बजट प्रावधान के बिना व्यय

कार्य कोड-22 पुल एवं फ्लाइओवर में, वर्ष 2012-13 हेतु संशोधित अनुमानों के अन्तर्गत बिना किसी प्रावधान के ₹8.27 लाख का व्यय बुक किया गया ।

1.14 व्यय की अधिकता

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 56(3) के अनुसार वित्तीय वर्ष के विशेषकर आखिरी माह में अत्यधिक व्यय को वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाएगा और उससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत वित्तीय वर्ष के मार्च माह में एवं अन्तिम तिमाही में बहुत व्यय किया गया । अत्यधिक व्यय के कुछ उदाहरण प्रतिशतता के रूप में निम्न प्रकार है :

तालिका 1.20 : मार्च में व्यय की अधिकता (₹ हजार में)

कार्य सं.	कार्य का विवरण	किया गया कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में किए गए व्यय की प्रतिशतता
6	सम्पदा	2532468	2463057	97.26
12	भवन एवं विनियम	559.30	559.30	100.00
14	अतिक्रमण हटाना	196420	144592	73.61
42	जन-सुविधाएँ	381.25	381.25	100.00
55	सामुदायिक/विवाह केन्द्र	21034	13092	62.24

58	नगरपालिका मार्किट	229814	164400	71.54
62	खेल के मैदान	9.5	9.5	100.00
73	बुजुंर्गो का कल्याण	551	551	100.00
75	अनु.जाति/अनु.जन.जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	1000	1000	100.00
91	सम्पत्ति कर	2366121	2336803	98.76

तालिका 1.21 : अन्तिम तिमाही में व्यय की अधिकता (₹ हजार में)

कार्य सं.	कार्य का वर्णन	कुल व्यय	अन्तिम तिमाही में व्यय	अन्तिम तिमाही के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता
6	सम्पदा	2532468	2470692	97.56
12	भवन एवं विनियम	559.30	559.30	100.00
14	अतिक्रमण हटाना	196420	153180	77.99
22	पुल एवं फ्लाइओवर	828	828	100.00
23	सब-वे एवं कॉजवे	1456	1456	100.00
42	जन-सुविधाएँ	381.25	381.25	100.00
55	सामुदायिक/विवाह केन्द्र	21034	14169	67.36
56	मनोरंजन	59871	36945	61.71
58	नगरपालिका मार्किट	229814	189070	82.27
62	खेल के मैदान	9.5	9.5	100.00
76	झुग्गी झोंपड़ी का सुधार	4839	4516	93.33
91	सम्पत्ति कर	2366122	2340237	98.90

भाग-II

1.15 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए परिषद् के लेखाओं पर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 59 के अन्तर्गत मुख्य लेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

हमने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एनडीएमसी) के वर्ष 2012-13 के आय तथा व्यय विवरण और 31 मार्च, 2013 तक के संलग्न तुलन-पत्र की लेखा-परीक्षा की। ये वित्तीय विवरण परिषद् के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है तथा हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

यह लेखापरीक्षा राष्ट्रीय नगरपालिका लेखाकरण नियमावली (एनएमएएम) तथा लागू नियमों में निहित लेखाकरण सिद्धांतों तथा भारत में सामान्यत: स्वीकार्य लेखाकरण मानदण्डों के अनुसार की गई है। इन मानदण्डों में अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा की योजना और उसका निष्पादन इस बात का समुचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि क्या वित्तीय विवरणियां मौद्रिक गलत कथनों से युक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में नमूना आधार पर, राशियों के समर्पित दस्तावेजों तथा वित्तीय विवरणियों में प्रकटनों की जांच सम्मिलित है। एक लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों तथा महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन तथा वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण तथा मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार उपलब्ध कराती है।

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह सूचित करते है कि:

i हमनें वे समस्त सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक था।

ii इस प्रतिवेदन में डील किए गए 31 मार्च, 2013 की देयताओं और परिसम्पत्तियों तथा वर्ष 2012-13 के लिए आय और व्यय की विवरणियां एन.एम.ए.एम. के अनुसार अनुमोदित फॉमेंट में बनाई गई हैं।

iii हमारी राय में, लेखा पुस्तके तथा संबद्ध अभिलेख एनडीएमसी द्वारा एनएमएएम की अपेक्षा के अनुसार अनुरक्षित किए गए हैं जैसा कि आगामी पैराग्राफों में दर्शाई गई आपत्तियों को छोड़कर उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

(ए) 31 मार्च, 2013 को देयताओं और परिसम्पत्तियों की विवरणी

31.03.2013 को परिषद् की परिसम्पत्तियां तथा देयताएं ₹6851.18 करोड़ थी जैसाकि **अनुलग्नक-I** में दर्शाया गया है

I भविष्य निधि/एनपीएस के संबंध में देयताओं का अप्रकटन

उपर्युक्त विवरणी में सामान्य भविष्य निधि के संबंध में तथा नई पेंशन योजना, 2004 के अन्तर्गत कर्मचारी/नियोक्ता अंशदान से संबंधित परिसम्पत्तियां तथा देयताएं न तो सम्मिलित की गई है और न ही प्रकट की गई हैं, जिसके लिए परिषद् कर्मचारी को उसकी सेवा-निवृत्ति/अवकाश-प्राप्ति/मृत्यु के समय पर उसकी संबंधित निधियों के अंतर्गत संचयित से भुगतान करने हेतु वैधानिक रूप से देय है। यह मामला ऑडिट में पिछले वर्ष भी उठाया गया तथा विभाग वर्ष 2012-13 हेतु न.दि.न.परिषद् के वार्षिक भविष्य निधि लेखों की पृथक विवरणिका संलग्न करने हेतु सुनिश्चित था।

ऑडिट जांच से यह ज्ञात हुआ कि विभाग देयताओं तथा समरूप परिसम्पत्तियों के तथा निवेशकों से प्राप्त ब्याज तथा अंशदान करने वालों को दिए जाने वाले ब्याज के अन्तर के भी पृथक लेखे नहीं बनाए। 31 मार्च, 2013 के प्राप्य अथवा देय ब्याज में प्राप्ति अथवा कमियों के लेखाकरण का निरूपण की भी गणना नहीं की गई अथवा उसे प्रकट भी नहीं किया गया ।

एग्ज़िट कांफ्रेंस में (जून, 2014) में, वर्ष 2013-14 के लिए लेखों को अन्तिम रूप देते हुए अनिवार्य उचित उपाय देने हेतु वित्तीय परामर्शदाता/निदेशक (लेखा) सुनिश्चित करें ।

II लेखा शीर्षों में प्रतिकूल शेष

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु शेष परीक्षण की नमूना जांच से यह ज्ञात हुआ कि देयताओं एवं परिसम्पत्तियों से संबंधित देयताओं एवं परिसम्पत्तियों से संबंधित कुछ लेखा-शीर्ष प्रतिकूल शेष दर्शाते हैं क्रमशः देयता तथा परिसम्पत्तियों हेतु **अनुलग्नक-II और अनुलग्नक-III** में दिए गए दृष्टांत मामलों के अनुसार इसके मिलान की आवश्यकता है ।

यह मामला ऑडिट में पिछले वर्ष भी उठाया गया था। इसके बावजूद प्रतिकूल शेष अभी भी चल रहे हैं।

एग्ज़िट कांफ्रेंस में (जून, 2014) में, विभाग ने यह बताया कि वर्ष 2013-14 के लेखों को अन्तिम रूप देते हुए बचे हुए प्रतिकूल शेषों को शुद्ध/सही करने का प्रयास किया जाएगा ।

III निम्नलिखित अनुसूचियां एवं तुलन पत्र वर्ष 2012-13 का राष्ट्रीय नगर लेखा नियमपुस्तिका (एन.एम.ए.एम.) में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार तैयार नहीं की गयी थी।

- अनुसूची बी-1 : नगरपालिका सामान्य निधि (कोड 310)
- अनुसूची बी-2: चिन्हित निधियां (कोड 311)
- अनुसूची बी-3: रिज़र्व (कोड 312)
- अनुसूची बी-4: अनुदान एवं विशिष्ट प्रयोजनों के लिए योगदान (कोड 320)
- अनुसूची बी-8: जमा निर्माण कार्य (कोड 340)

- अनुसूची बी–11: सकल ब्लॉक (कोड 410)
- अनुसूची बी–12: निवेश–सामान्य निधि (कोड 420)
- अनुसूची बी–13: निवेश–अन्य निधियां (कोड–421)
- अनुसूची बी–15: विविध देनदार (प्राप्य राशियां) (कोड–431)
- अनुसूची बी–18: कर्ज़े अग्रिम एवं जमा (कोड–460)

यह मामला ऑडिट में पिछले वर्ष भी उठाया गया था तथा विभाग ने एनएमएएम की अपेक्षाओं के अनुसार इन अनुसूचियों को तैयार करने का अश्वासन किदया था यद्यपि उपरोक्त अनुसूची में से कोई भी इस वर्ष हेतु तैयार नहीं किया गया ।

एग्ज़िट कांफ्रेंस में (जून, 2014) विभाग ने कहा कि आगामी वर्षों में प्रणाली में आवश्यक संशोधन एवं लंबित तकनीकी समाधान के बाद अनुसूचियाँ मेन्यूअल रूप से तैयार की जाएगी।

ए 1 देयताएं

ए <u>अन्य देयताएं (विविध लेनदार) - ₹49.17 करोड़ (अनुसूची बी-9)</u>

(i) न.दि.न.परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में पेंशन अंशदान के प्रति देयता का न तो निर्धारण किया गया हैं और न ही एनएमएएम (पैरा 29.3(ii सी)) की अपेक्षा के अनुसार उनका लेखाओं में प्रावधान किया गया है।

यह मामला ऑडिट में पिछले वर्ष भी उठाया गया था तथा विभाग ने मामले को सुलझाने हेतु सुनिश्चितता दी तथा वर्ष 2012-13 हेतु लेखों से अनिवार्य प्रावधान किया गया। यद्यपि, इस लेखे पर कोई देयता नहीं निकाली गई तथा न ही लेखों में प्रावधान किया गया हैं।

विभाग ने बताया कि (मार्च, 2014) लेखा अधिकारी (सीबीएस/लेखा) के मध्य उचित समन्वय की अनुपस्थिति में कार्रवाई नहीं की जा सकी तथा वर्ष 2013–14 के लेखों में अनिवार्य देयता इस लेखे में नियामित की जाएगी ।

(ii) स्त्रोंतो पर आयकर कटौतियों लेखा कोड ''3502005 के अंतर्गत ₹3.73 करोड़ की सांविधिक कटौतियों तथा 31 मार्च, 2013 को ''3502006–वैट के लेखा कोड के अंतर्गत ₹1.35 करोड़ की अन्य देयताएँ सम्मिलित हैं। उपरोक्त वर्णित कोड के अंतर्गत की गई कटौतियॉ संबंधित प्राधिकारियों को नहीं भेजी गई। इससे संबंधित कर प्राधिकारियों द्वारा विलम्ब से भेजी गई राशि आकृष्ट करेंगी, कर की देयता आगे बढ़ाई जाएगी ।

यह मामला ऑडिट **में पिछले वर्ष भी उठाया गया था तथा विभाग ने मामले को सुलझाने हेतु सुनिश्चितता दी तथा वर्ष 2012-13 के लिए खातों में आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। हालांकि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई ।**

विभाग ने पुनः यह बताया कि (अप्रैल, 2014) सभी विभाग अपने विभागों के संबंध में लेखों में (आयकर, वैट, उपकर, जमा इत्यादि) देयताओं के शेष की पुष्टि हेतु अनुरोध करेगे तथा अनिवार्य स्पष्टीकरणों की प्राप्ति के पश्चात् आगामी वर्षों के लेखों में उचित स्थिति दर्शायी जाएगी ।

(iii) अनुसूची - (बी-7) में ₹166.83 करोड़ की राशि की प्रतिभूति जमा का वर्षानुसार (3 वर्ष से कम तथा 3 वर्षो से अधिक) का अपुवार ब्यौरा प्रकट नहीं किया गया। प्रतिभूति जमा जो तीन वर्षो से अधिक पुरानी है, को भूल-चूक जमा लेखा में स्थांतरित करने की आवश्यकता है।

विभाग ने बताया कि (मई, 2014) प्रतिभूति जमा का वर्षानुसार विघटन कार्यकारी इकाईयों द्वारा रखरखाव किया गया है। सभी लेखे जो वापसी की पात्रता तिथि से 3 वर्षो से अधिक पुराने है भूल-चूक लेखों में स्थांतरित किए गए है। यद्यपि, आंतरिक ऑडिट उनके द्वारा किए गए आंतरित ऑडिट के समय पर ऐसे आंकड़ों को सत्यापित करना भी सूचित करेगें।

ऑडिट ने अवलोकन किया कि बहुत से मामले जहाँ प्रतिभूति जमा तीन सम्पूर्ण लेखा वर्षो से अधिक हेतु अभी तक दावा नहीं किया गया, भूल-चूक, जमा में स्थानंतरित नहीं किया गया ।

ए- II स्थायी परिसम्पत्तियाँ:

वर्ष 2012-13 के दौरान दिनाँक 31.03.2013 (**अनुलग्नक-IV**) पर ₹277.50 करोड़ रूपये का अथशेष सहित ₹11.97 करोड़ रूपये तक वृद्धि परिषद् स्थायी परिसम्पत्ति है।

(i) न.दि.न.परिषद् लेखा नियमावली के पैरा 29.3 (iv) के अनुसार नगरपालिका कार्य विभाग के साथ लेखा इकाई/अबास, सत्यापन योजना में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों को बाह्य सत्यापन किया जाएगा। पुनः सत्यापन पत्रों में रिकार्ड विवरण संबंधित स्थायी परिसम्पत्तियों के रजिस्टरों के साथ जांचा जाएगा तथा विसंगतियों के पहचान के मामलें में उचित उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे।

मामला ऑडिट में पिछले वर्ष भी उठाया गया था तथा संबंधित विभाग के साथ मामले को लिया गया तथा पश्चातवर्ती वर्षो के लेखों के नोट में उक्त को प्रकट करना सुनिश्चित किया गया । यद्यपि, बाह्य सत्यापन अभी पूर्ण किया जाना है।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेस (जून, 2014) में बताया कि इस वर्ष (2013-14) से भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है तथा सड़को के भौतिक सत्यापन तथा बीओटी परिसम्पत्तियों तथा सब-वे पूर्ण हो गए है। विसंगतियॉ, यदि काई हो, पुस्तक मूल्य तथा वास्तविक मूल्य लेखाओं की पुस्तकों में समायोजित किया जाएगा तथा उक्त की रिर्पोट ऑडिट को दी जाएगी ।

(ii) न.दि.न.परिषद् ने द्वारका तथा साकेत में क्रमशः 1996 और 2001 में ₹4.94 करोड़ में दो प्लाट खरीदे। द्वारका में आवंटन यद्यपि अप्रैल, 2012 में रद्द की गई थी। स्थायी भूमि परिसम्पत्ति के रजिस्टर की जांच की अबास

द्वारा देखरेख की गई, यह अवलोकन किया गया कि यह लेन-देन लेखों की पुस्तिका में नहीं दिया गया । स्थायी परिसम्पत्तियों के रजिस्टर की समीक्षा तथा अद्यतन किया जाना आवश्यक है।

यह मामला पिछले वर्ष भी ऑडिट में उठाया गया था तथा विभाग इसे वर्ष 2012-13 के लिए लेखों में हर प्रकार का संशोधन सुनिश्चित किया । यद्यपि, ऑडिट ने अवलोकन किया कि इस लेखे में कोई नई प्रगति नहीं की गई ।

(iii) (अनुसूची बी-11 (बी) - यही लेखा ₹537.91 करोड़ **(अनुलग्नक-V)** मूल्य वाले 542 कार्यो हेतु पिछले वर्ष से अग्रेषीत किया गया है। जो इस प्रकार दर्शाया गया है कि कार्य पहले ही पूर्ण किया गया हैं जोकि निर्धारित दरों पर पूंजीगत तथा मूल्यह्रास किया गया, निकाले जाने चाहिए तथा आय तथा व्यय के लेखों से वसूल किए जाने चाहिए ।

यह मामला **पिछले वर्ष ऑडिट में भी उठाया गया था तथा विभाग मामले को सुलझाना सुनिश्चित करे तथा वर्ष 2012-13 हेतु लेखों से अनिवार्य कार्य करे। यद्यपि, इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।**

वित्तीय **सलाहकार** ने इस मामले में सहमति देते हुए एग्जिट कांफ्रेस (जून, 2014) में इन मामलों की जांच करना तथा वर्तमान लेखों में दर्शाए गए ₹ 200-250 करोड़ की तर्ज पर कम से कम पूर्ण कार्यो को पूँजीगत किया जाना सुनिश्चित किया गया । पुन: उन्होंने निर्धारित दरों पर पूँजीगत परिसम्पत्तियों पर मूल्यह्रास लगाना भी सुनिश्चित किया।

<u>ए- III चालू, परिसम्पत्तियों तथा ऋण, अग्रिम एवं जमा ।</u>

1. ऋण, अग्रिम, तथा जमा (अनुसूची बी-18)

उपयुक्त शीर्ष में बाह्य एजेसियों (लेखा कोड 46060) के साथ जमाओं के रूप में दर्शायी गई (-) ₹46.59 करोड़ की राशि सम्मिलित है। चूंकि जमा, घटा-आंकडों में नहीं हो सकता, इसकी समीक्षा और सुधार करने की आवश्यकता है।

यह मामला पिछले वर्ष भी उठाया गया था तथा विभाग वर्ष 2012-13 के लेखों की अन्तिम रूप देते हुए अनिवार्य संशोधन करना सुनिश्चित किया था। यद्यपि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

विभाग ने पुन: बताया (मई, 2014) कि विभिन्न शीर्षो प्रतिकूल प्रविष्टियों के संबंध में देखरेख की जा रही हैं तथा आगामी वर्षो के लेखों में इन्हें देखा जाएगा ।

II <u>नकद तथा बैंक शेष (अनुसूची बी-17)</u>

(1) न.दि.न.परिषद् नियमावली के 30.5 पैरा अनुसार, नकद तथा बैंक शेष के आगामी मास के प्रथम सप्ताह तक मासिक आधार पर लेख-समाधान की आवश्यकता है। तुलन-पत्र के अनुसार 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष हेतु नकद शेष ₹ 22.37 लाख दर्शाया गया है।

आडिट ने अवलोकन किया कि विभाग द्वारा तैयार लेखा समाधान विवरणिका बिना तिथि तथा पद नाम के प्रारंभी की गई अत: इस पर टिप्पणी करना मुश्किल हैं यदि बैंक लेखा-समाधान समय पर किया गया है।

(2) विभाग के अनुसूची बी–17 (–) ₹322570668.54 लेखा शीर्ष: 45021 – 'राष्ट्रीयकृत बैंक' के विरूद्ध के अंतर्गत माइन्स एन्ट्री हेतु न्यायोचितता हेतु कहा गया ।

विभाग द्वारा प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत है।

(3) निम्नलिखित लेखों के लेखा चार्ट के अनुसार वर्ष के अंत तक कोई शेष नहीं होगा, किन्तु मार्च, 2013 की समाप्ति पर शीर्ष अंतशेष दर्शा रहा है:–

1. 350–11–46 – '' नकद शाखा की भुगतान नियन्त्रण लेखा ।
2. 350–20–11 – '' सीबीएस की विविध वसूली ।
3. 470–10–01 – ''अन्य परिसम्पत्तियॉ – जमा कार्य सिविल''
4. 470–10–02 – ''अन्य परिसम्पत्तियॉ – जमा कार्य विद्युत''

विभाग ने बताया (मई, 2014) कि विभिन्न शीर्षों के संबंध में वर्णित प्रतिकूल प्रविष्टियॉ देखी जा रही है तथा वर्ष 2013–14 के लेखों में ली जाएगी ।

(बी) आय तथा व्यय विवरणिका

ए. राजस्व आय तथा व्यय **(अनुलग्नक-VI)** अधिशेष/घाटा

31 मार्च, 2013 को अधिशेष ₹274.80 करोड़ था अर्थात् व्यय से अधिक आय थी। अधिशेष पूर्ण अवधि मदों (–) ₹2.30 लाख के कारण ₹230.82 करोड़ कम था तथा ₹44 करोड़ आरक्षित निधि में स्थातंरित किए गए ।

31 मार्च 2012 को ₹274.19 करोड़ से 31 मार्च, 2013 को ₹274.80 करोड़ तक सकल अधिशेष बढ़ा अर्थात् ₹0.61 करोड़ तक बढ़ा । मास अनुसार (अप्रैल, 2012 से मार्च, 2013) तक आय, व्यय तथा अधिशेष/घाटे का विवरण **अनुलग्नक-VII** पर प्रस्तुत है।

आय:–

31 मार्च, 2013 को कुल आय ₹2502.67 करोड़ थी। आय के मुख्य स्रोत फीस तथा उपयोगी प्रभार (43.15 प्रतिशत), कर राजस्व (21.11 प्रतिशत) निवेशों से आय (16.68 प्रतिशत) तथा नगरपालिका सम्पत्तियों (12.87 प्रतिशत) से किराया आय थी । अन्य शीर्षों अर्थात् राजस्व अनुदान, अंशदान तथा परिदान (2.87 प्रतिशत), नियत राजस्व तथा प्रतिपूर्ति (3.03 प्रतिशत) अन्य आय (0.18 प्रतिशत) बिक्री तथा किराया प्रभार (0.08 प्रतिशत) तथा अर्जित ब्याज (0.02 प्रतिशत) के संबंध में नाममात्र आय थी। वर्ष 2012–13 के लिए आय का संघटक–वार हिस्सा निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

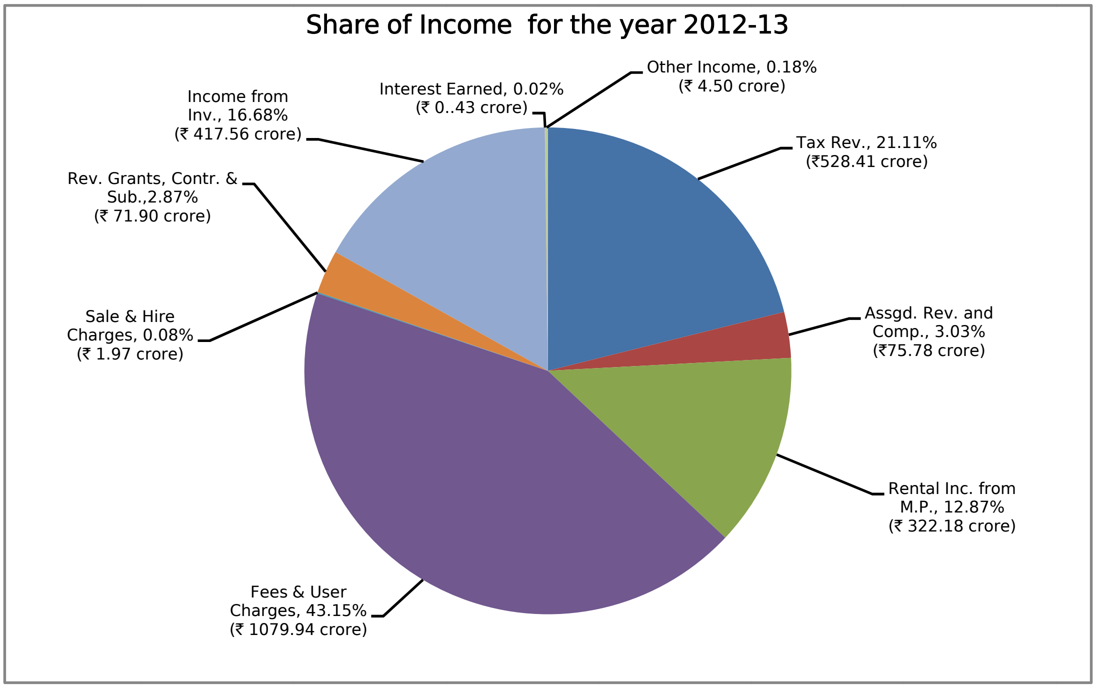

कुल आय वर्ष 2011-12 में ₹2126.18 करोड़ से वर्ष 2012-13 में ₹2502.67 करोड़ थी अर्थात् ₹376.49 करोड़ अधिक थी। पूर्ववर्ती वर्ष में शीर्षों, फीसों तथा उपयोगी प्रभारों से वृद्धि ₹145.39 करोड (15.56 प्रतिशत), कर राजस्व ₹115.11 करोड़, (27.85 प्रतिशत), राजस्व अनुदान, प्रतिपूर्तियाँ तथा सहायिकी ₹7.23 करोड़ (11.18 प्रतिशत) तक, सौंपे गए राजस्व एवं प्रतिपूर्तियों में ₹15.56 करोड़ (25.84 प्रतिशत), निवेशों से आय ₹33.34 करोड़ (8.68 प्रतिशत) तक, नगरपालिका सम्पत्तियों से किराया आय ₹58.19 करोड़ (22.04 प्रतिशत) बिक्री तथा भाड़ा प्रभार ₹1.62 करोड़ (473.47 प्रतिशत) तक, तथा ब्याज अग्रिम ₹0.19 करोड़ (11.18 प्रतिशत) तक, है। पुनः शीर्षों के अंतर्गत कमियाँ थी, अन्य आय ₹0.15 करोड़ (3.27 प्रतिशत) तक थी ।

2012-13 तथा 2011-12 के दौरान आय का ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण नीचे दर्शाया गया है:

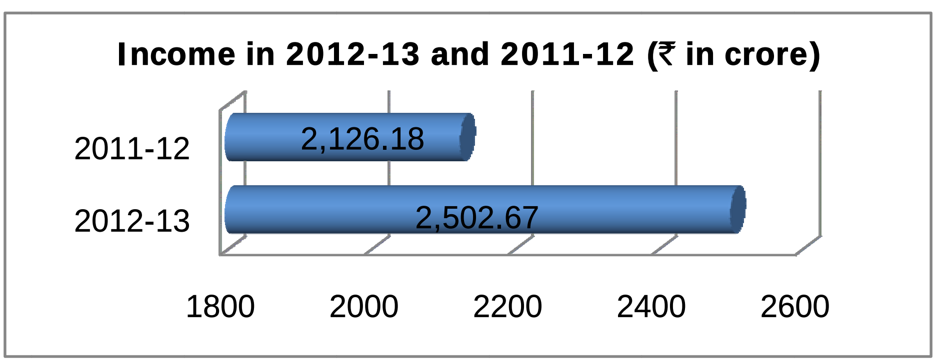

व्यय :-

मार्च, 2012 के अंत तक कुल व्यय ₹2227.86 करोड़ थी। व्यय के मुख्य शीर्ष प्रचालन एवं अनुरक्षण (39.36 प्रतिशत) तथा स्थापना व्यय (36.48 प्रतिशत था) व्यय के अन्य शीर्ष प्रावधानों तथा बट्टे खाते (19.06 प्रतिशत) प्रशासनिक व्यय (3.23 प्रतिशत), राजस्व अनुदान, अशंदान एवं परिदान (1.53 प्रतिशत), मूल्यहास (0.63 प्रतिशत) तथा कार्यक्रम व्यय (0.07 प्रतिशत) सहित है।

वर्ष 2012-13 के लिए आय का संघटक-वार हिस्सा निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है:

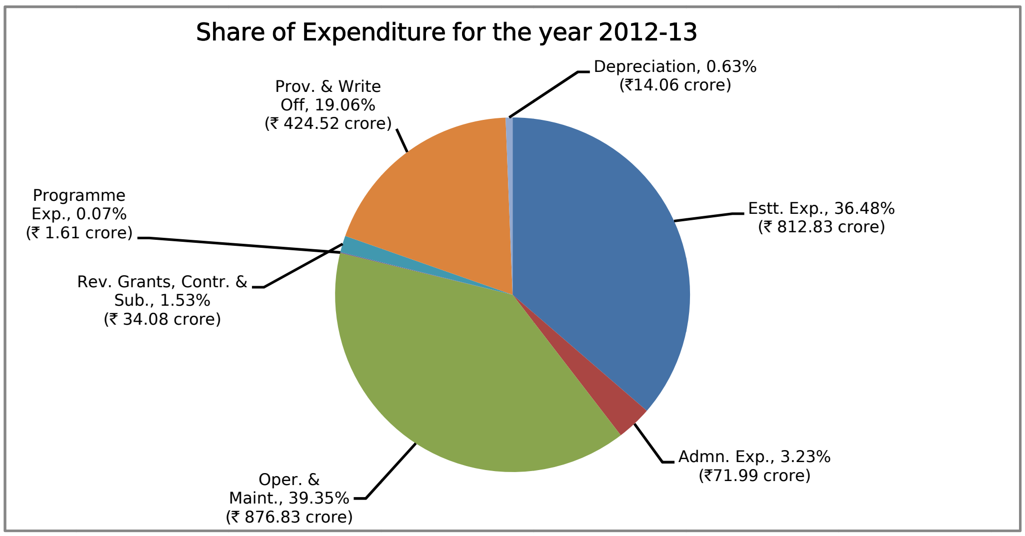

व्यय वर्ष 2011-12 में ₹1851.99 करोड़ से ₹375.87 करोड़ बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹2227.86 करोड़ हो गया। पूर्ववर्ती वर्ष में शीर्षों के अंतर्गत, संचालन तथा अनुरक्षण ₹1.24 करोड़ (0.14 प्रतिशत) प्रावधान तथा बट्टे खाता ₹323.55 करोड़ (320.44 प्रतिशत), स्थापना व्यय ₹51.46 करोड़ (6.76 प्रतिशत, प्रशासनिक व्यय ₹6.13 करोड़ (9.30 प्रतिशत) तक, राजस्व अनुदान, अंशदान तथा परिदान ₹2.08 करोड़ (6.51 प्रतिशत) तक तथा कार्यक्रम व्यय ₹0.03 करोड़ (2.09 प्रतिशत) तक वृद्धि है। कमी शीर्ष मूल्यहा्स द्वारा ₹0.54 करोड़ (3.73 प्रतिशत) के अंतर्गत थी तथा ब्याज तथा वित्त प्रभार ₹8.07 करोड़ थे।

वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 में व्यय का ग्राफ प्रस्तुतीकरण निम्न प्रकार है:-

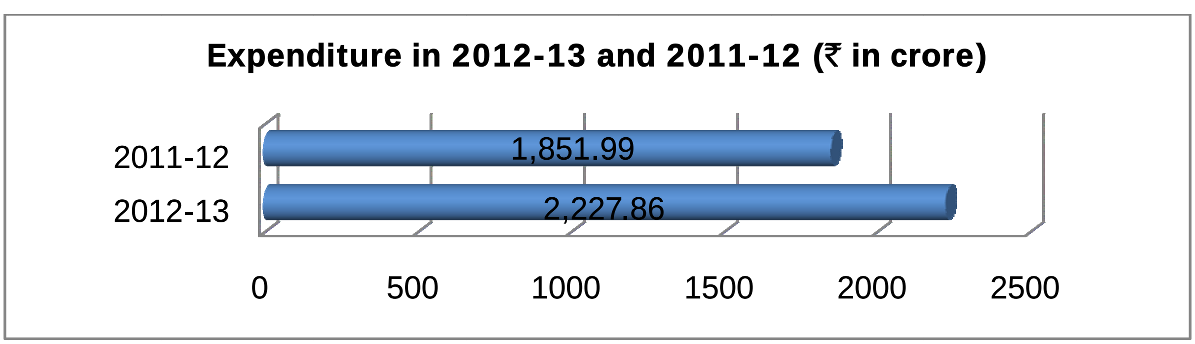

बी. लेखा कोड़ों का गलत वर्गीकरण

अनुलग्नक-VIII तथा IX में वर्णितसार अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष हेतु आय तथा व्यय के अंतर्गत लेखों के कोड की गलत बुकिंग का उदाहरण है, जिसके परिणामस्वरूप सम्पत्तियों के लेखों के राजस्व व्यय के बुकिंग तथा गलत वर्गीकरण जिसके द्वारा ₹56836 तक आय तथा व्यय के लेखों के अधिशेष की अति विवरणिका तथा सम्पत्तियों के लेखों की अति बुकिंग हुई ।

यह मामला **आडिट में पिछले वर्ष भी उठाया गया तथा विभाग ने सुनिश्चित किया कि आय एवम् व्यय में लेखों के गलत वर्गीकरण की वर्ष 2012-13 में लिया जाऐगा । यद्यपि, कुछ गलत वर्गीकरण की जांच परीक्षण में नोटिस किया गया ।**

विभाग ने बताया (मई, 2014) कि उचित लेखा शीर्ष अथवा गलत शीर्ष में व्यय की बुकिंग के संबंध में वर्गीकरण केवल उन प्रभागो से लिया जा सकता जहाँ जर्नल वाउचर (जेवीएस) पास किया गया ।

विभाग **का प्रत्युत्तर मान्य नहीं है। बजट में स्वीकृत निधियाँ केवल विशिष्ट उद्देश्य हेतु उपयोग की गई है।**

सी. राजस्व अनुदान अंशदान एवं सहायिकी (अनुसूची 1.15):

₹11.16 करोड़ के संबंध में कोई भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र आडिट में नहीं दर्शाया/तैयार किया गया। ऐसा न होने पर, लगाए जाने वाले व्यय की वैद्यता ऑडिट में सत्यापित नही की जा सकती ।

(सी) प्राप्ति एवं भुगतान लेखे-2012-13 (अनुलग्नक-X)

ए. प्राप्तियाँ:-

प्राप्तियाँ वर्ष 2011-12 में ₹2215.53 करोड़ से ₹223.81 करोड़ बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹2439.34 करोड़ हो गया। वृद्धियाँ मुख्यत: 'शुल्क एवम् प्रयोक्ता प्रभार' ₹218.67 करोड़ तक, 'कर राजस्व' ₹107.84 करोड़ तक, 'निवेशों से आय' ₹33.70 करोड़ तथा 'नियत राजस्व तथा अंशदान' ₹15.56 करोड़ तक हैं। 2012-13 तथा 2011-12 के दौरान प्राप्तियों का ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण नीचे दर्शाया गया है:-

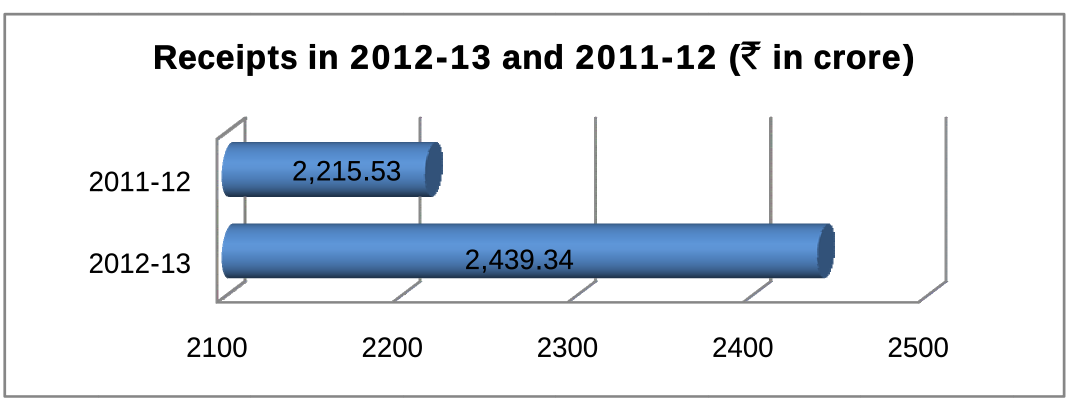

बी. भुगतानः-

भुगतान 2011-12 में ₹2138.47 करोड़ से ₹127.65 करोड़ बढ़कर वर्ष 2012-13 में ₹2266.12 करोड़ हो गए। यह वृद्धि मुख्यतः ''स्थापना व्यय'' ₹51.46 करोड़ तथा 'भंण्डार क्रय' ₹6.33 करोड़ शीर्षों के अंतर्गत थी।

वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 के दौरान भुगतान का ग्राफिकल प्रस्तुतीकरण नीचे दर्शाया गया है:-

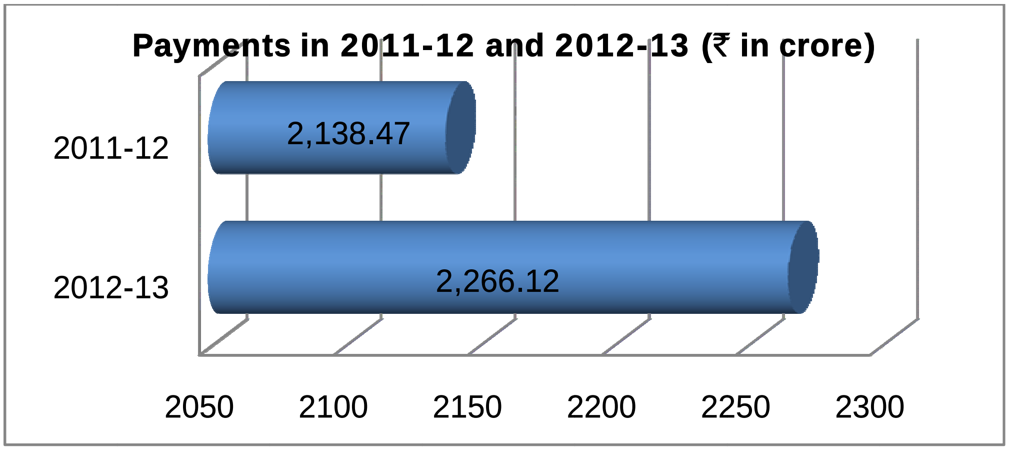

सी. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में नकद शेष तथा तुलन-पत्र का अंतकर वर्ष 2012-13 ।

प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा वर्ष 2011-12 हेतु अंत शेष ₹ 770646685.15 था यद्यपि वर्ष 2012-13 हेतु प्राप्तियॉं तथा भुगतान लेखें में अथ-शेष ₹ 768655427.15, (इम्प्रैस्ट सहित) पोस्टेज स्टैम्प के लेखों में वर्णित ₹ 1991258 का अंतर दर्शाया गया है।

यह मामला ऑडिट में पिछले वर्ष भी दर्शाया गया था तथा विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु लेखों में उचित संशोधन हेतु सुनिश्तता दी। यद्यपि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(डी) नकद प्रवाह विवरणी

31 मार्च, 2013 में समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरणी **अनुलग्नक-XI** में दी गई है।

(ई) लेखा टिप्पणियों पर टिप्पणियाँ - (अनुसूची बी-22)

वर्ष 2012-13 के तुलन-पत्र की अनुसूची बी-22 के लेखों की टिप्पणियों से निम्नलिखित कमियॉं ज्ञान हुई:-

(i) नाममात्र मूल्य पर स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन

लेखा टिप्पणियों के अनुसार दिनाँक 1.1.2004 से पूर्व की सम्पत्तियाँ जिसके लिए सूचनाएँ वर्तमान वर्ष में प्राप्त की गई, के नाममात्र मूल्य ₹1 में पर स्थायी परिसम्पत्तियों के साथ-साथ तद्नरूप पूँजीगत ह्रास दोनों का अनिवार्य रूप से समंजन किया गया । तुलन-पत्र की तिथि को निम्नलिखित निर्धारित सम्पत्तियों का मूल्य ₹1 है।

तालिका 1.22

लेखा कोड	लेखा का नाम	सम्पत्तियों की संख्या	₹ राशि में
4101099	भूमि	1111	1111
4102099	भवन	735	735
4103099	सड़क पुल	312	312
4103199	सीवरेज और ड्रेनेज	1281	1281
4103299	पानी के तरीके	680	680
4103399	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	38954	38954
4104099	प्लांट मशीनिरी	1456268	1456268
4105099	वाहन	354	354
4106099	कार्यालय और अन्य उपकरणों	893	893
4107099	फर्नीचर फिक्स्चर	29837	29837
4108099	अन्य अचल संपत्ति	149010	149010

यह मामला सम्पत्तियों के ₹1 के मूल्यांकन के स्थान पर वास्तविक मूल्य के लिए पिछले वर्ष भी ऑडिट में उठाया गया तथा विभाग ने बताया कि इन परिसम्पत्तियों के पुर्नमूल्यांकन के संबंध में नीति बनाई जा रही है।

विभाग ने एग्ज़िट कांफ्रेस में बताया कि (जून-2014) वर्ष 2013-14 हेतु वार्षिक लेखों को अन्तिम रूप देने से पूर्व सड़कों तथा सब-वे को पुर्नमूल्यांकन किए जाने की उनकी योजना है। मुख्य लेखा परिक्षक ने सभी परिसम्पत्तियों के पुर्नमूल्यांकन के शीघ्र पूर्ण करने के लिए उचित मशीनीकरण की योजना बनाने का परामर्श दिया जैसे कि संबंधित इकाइयों/प्रभागों के शीर्ष के साथ वित्तीय सलाहकार के स्तर पर बैठके आयोजित करना। वित्तीय सलाहकार ने मुख्य लेखा परीक्षक के बहुमूल्य परामर्श को सहमति दी ।

(ii) आकस्मिक देयताएँ

मध्यस्थता तथा कानूनी मामलों के संबंध में न.दि.न.परिषद् के प्रति आकस्मिक देयताओं के विरूद्ध न तो निर्धारण किया गया है और न ही प्रकट किया गया है।

मामला आडिट में पिछले वर्ष भी उठाया गया था तथा विभाग ने बताया कि विभिन्न प्रकार की आकस्मिक देयताओं के लिए प्रोफार्मा बना लिया गया है जिसे ऑडिट में दर्शाया गया है। यद्यपि, कोई कार्रवाई इस संबंध में नहीं की गई।

विभाग ने एग्जिट कांफ्रेस (जून, 2014) में सूचित किया गया कि कानूनी मामलों से आ रही आकस्मिक देयता से संबंधित सूचनाएं संबंधित इकाइयों से एकत्रित की जा रही है जोकि विधि विभाग द्वारा सत्यापित/मिलान किया जाएगा। इसके पश्चात् उक्त को लेखा में दर्शाया जाएगा ।

(जी) <u>सामान्य</u>

ऑडिट में नोटिस में आए अन्य मामले जिन पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा ध्यान दिया जाना अपेक्षित है निम्नलिखित है:-

ए. ऑडिट में मांगा गया स्थायी परिसम्पत्ति रजिस्टर ऑडिट में उपलब्ध नहीं कराया गया ।

एग्ज़िट कांफ्रैस (जून, 2014), में विभाग ने सुनिश्चित किया कि स्थायी परिसम्पत्तियों के रजिस्टर का रखरखाव किया जाएगा ।

बी. विभिन्न विभागों में उपलब्ध नकद, न.दि.न.परिषद् लेखा नियमावली के पैरा 29.3 (iii) (जे) के साथ एन.एम.ए.एस. के पैरा 16.38 (एफ) के अनुसार प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाएगा तथा लेखा विभाग के अग्रिम रजिस्टर फार्म जनरल-16) के साथ-साथ विभाग के रिकार्ड के साथ मिलाया जाएगा ।

सी. ऑडिट में दिनाँक 31.3.2013 को भण्डारों/उपभोज्य सामान का संबंध में प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट मंगाई गई, उपलब्ध नहीं कराई गई।

विभाग ने एग्ज़िट कांफ्रैस (जून, 2014) में सूचित किया कि भण्डार/उपभोज्य समान का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रगति पर है।

भाग-III

1.16 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

संतोषजनक उत्तरों/ की गई कार्रवाई टिप्पणियों के अभाव के कारण बकाया वार्षिक लेखापरीक्षा तथा स्थानीय लेखापरीक्षा के बकायों के पैराग्राफों की स्थिति का विवरण निम्न प्रकार दी गई है:

तालिका सं० 1.23 वार्षिक आडिट रिपोर्ट

विभाग	दिनाँक 1.02.2014 को अपशेष	परिवर्द्धन	जोड़	निपटान/स्थांतरण	दि. 30.06.2014 को अंतशेष
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ) = (डी- ई)
वित्त एवं लेखा	10	शून्य	10	03	07
सम्पदा-I	03	शून्य	03	02 (प्रवर्तन से स्थानांतरित)	05
सम्पदा-II	01	शून्य	01	शून्य	01
सम्पत्ति कर	12	शून्य	12	शून्य	12
प्रवर्तन	21	शून्य	21	01+02 (सम्पदा-I को हस्तांतरित)	18
उद्यान	01	शून्य	01	शून्य	01
सिविल इंजिनियरिंग	06	शून्य	06	शून्य	06
विद्युत	10	शून्य	10	शून्य	10
व्यावसायिक	03	शून्य	03	शून्य	03
कार्मिक	01	शून्य	01	शून्य	01
वास्तुविद् और पर्यावरण	07	शून्य	07	शून्य	07
लोक स्वास्थ्य	08	शून्य	08	शून्य	08
शिक्षा नवोद्य विद्यालय एजूकेशन सोसायटी	04 02	शून्य	04 02	शून्य	04 02
सूचना प्रौद्योगिकी	02	शून्य	02	शून्य	02
नगर हाउसिंग	04	शून्य	04	शून्य	04
कुल	**95**	शून्य	**95**	**04**	**91**

तालिका सं० 1.24 स्थानीय आडिट रिपोर्ट

क्र.सं.	विभाग का नाम	दिनाँक 01.02.2014 को पैरा का अधशेष	दिनाँक 01.07.2014 को जोड़े गए पैरे	कुल (सी+डी)	दिनाँक 30.06.14 को निपटाए गए/ सम्मिलित किए गए पैरा	शेष बकाया पैरा ।
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(ई-एफ)
01.	लेखा और वित्त	407	17	424	1	423
02.	वास्तुविद् और पर्यावरण	131	-	131	-	131
03.	सिविल इंजिनियरिंग	1657	16	1673	45	1628
04.	व्यावसायिक	108	11	119	-	119
05.	शिक्षा	1772	81	1853	9	1844
06.	विद्युत	1482	84	1566	13	1553
07.	प्रवर्त्तन	81	9	90	8	82
08.	सम्पदा	217	20	237	5	232
09.	अग्नि	87	10	97	-	97
10.	सामान्य प्रशासन	243	-	243	-	243
11.	चिकित्सा सेवा/लोक स्वास्थ्य	782	17	799	4	795
12.	उद्यान	104	-	104	-	104
13.	सम्पत्ति कर	110	5	115	1	114
14.	सूचना प्रौद्योगिकी	68	8	76	-	76
15.	विधि	28	-	28	-	28
16.	कार्मिक	524	20	544	-	544
17.	जनसम्पर्क	114	8	122	-	122
18.	सुरक्षा	105	13	118	-	118
19.	कल्याण	835	11	846	-	846
20.	परियोजना	9	-	9	-	9
	कुल	**8864**	**330**	**9194**	**86**	**9108**

अध्याय-2

सिविल इंजीनियरिंग विभाग

'कनॉट प्लेस के पुर्नविकास (सीपी)' पर निष्पादन

2 प्रस्तावना

2.1.1 नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (न.दि.न.परिषद्) राष्ट्रीय महत्व शहरी नवीनीकरण के अंतर्गत परियोजना के अनुसार कनॉट-प्लेस के पुर्नविकास का जिम्मा लिया गया (मेट्रोपोलिटियन सिटी सेन्टर के रूप में कनॉट-प्लेस के नवीकरण तथा उन्नयन)। सी.पी. के विस्तृत पुर्नविकास नए विचारों के मध्य क्रियाकलाप, दृश्य अनुभव, पर्यावरण तथा संरचनात्मकता सहित महत्वपूर्ण मामले तथा मिडिल सर्किल में सेवाओं हेतु विशेष कोरिडोर जैसे, विद्युत, जल-आपूर्ति, जल-निकासी, सीवरेज, सड़क-सुधार, अग्नि-रोधी, केन्द्रीकृत वातानुकूलन सम्प्रेषण इत्यादि सहित पुर्नविकास के लिए विकसित करने की संकल्पना है तथा नए सम्पूर्ण कनॉट-प्लेस क्षेत्र के लिए डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम (डीसीएस) अथवा नए केन्द्रीकृत वातानुकूलन की संकल्पना है।

2.1.2 योजना

प्रारंभ में वर्ष 2005 में, न.दि.न.परिषद् ने इंजीनियरिंग सेवाओं के संवर्धन/उन्नयन तथा कनॉट-प्लेस के विरासती पुर्नत्थान हेतु विस्तृत पुर्नविकास योजना तैयार की। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड (ई.आई.एल.) को कनॉट-प्लेस के बाह्य सौंदर्य के पुर्नरूद्धार के कार्य हेतु नियुक्त किया गया तथा 'सी' ब्लॉक के बाह्य सौंदर्य के पुर्नरूद्धार का प्रारंभ पायलट परियोजना के रूप में किया गया था तथा उक्त दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) तथा अन्य वैधानिक निकायो द्वारा अनुमोदन लिया गया था।

'सी' ब्लॉक के निष्पादन के दौरान यह पाया गया कि पूर्ण कनॉट-प्लेस के लिए पुर्नविकास योजना बनाई जाए तथा राष्ट्रमण्डल खेलों से पूर्व कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जाए ।

2.1.3 टर्नकी परामर्शदाता की नियुक्ति

परिषद् के (प्रस्ताव सं० 28 (ए-18) (दिनाँक 28 अप्रैल, 2008) के अनुमोदन के साथ ई.आई.एल. को टर्नकी परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया तथा तद्नुसार संशोधित अनुबंध दिनाँक 21 मई, 2008 को ई.आई.एल. तथा न.दि.न.परिषद् के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था।

2.1.4 कार्य का क्षेत्र तथा ई.आई.एल. की भूमिका

करार के अनुसार कनॉट-प्लेस के सम्पूर्ण पुर्नविकास को सम्मिलित करते हुए बोर्ड पुर्नविकास योजना तथा निम्नलिखित को सौंपना तथा सफलतापूर्वक पूर्णता सहित उसका परिक्षेत्रः-

(ए) कनॉट-प्लेस की वास्तुविद्‌ीय तथा विरासती प्रतिष्ठा का पुर्नरूद्धार ।

(बी) ई.आई.एल., रेट्रोफिटिंग सहित भवन की सरंचनात्मक स्थिरता की जांच हेतु विशेष एजेंसी को नियुक्त करेंगे तथा उपचारात्मक उपायों के साथ न.दि.न.परिषद् को अनुशंसाएँ/परामर्श अग्रेषित करें।

(सी) वाहनों के यातायात तथा पैदल–यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के सुनिश्चित सुरक्षा हेतु सुविधाएँ ।

(डी) पर्याप्त सार्वजनिक सुविधाएँ तथा आधुनिक सुख सुविधाएँ ।

(ई) पर्याप्त पार्किंग, पैदल–पार पथ इत्यादि सहित स्टील फर्नीचर ।

(एफ) सड़कों, जल निकासी, सीवरेज, जल–आपूर्ति, विद्युत–आपूति, सब–स्टेशन इत्यादि के इंजीनियरिंग सुधार ।

(जी) पर्यावरणीय सुधार/भूमि तथा स्ट्रीट स्क्रेपिंग इत्यादि ।

(एच) कनॉट प्लेस के पुर्नविकास हेतु कोई अन्य अपेक्षित विवरण ।

ई.आई.एल. को संकल्पनात्मक योजना, डिजाइन, योजना, इंजीनियरिंग, निविदा करना, वसूली, सौंपना, भण्डारण, उत्थापन, सभी गतिविधियों का निरीक्षण, निरीक्षण, जांच, सफलतापूर्वक पूर्णता के कार्य करने हेतु तथा उक्त परियोजना को चालू करना न.दि.न.परिषद् को पूर्णता संचालनात्मक स्तर तक कार्य के सौंपे जाने तक, सौंपा गया था ।

प्रारंभ में परियोजना की लागत ₹76 करोड़ अनुमोदित की गई थी, जोकि बाद में कार्य क्षेत्र के बढ़ जाने के कारण ₹671 करोड़ तक बढ़ गई। तत्पश्चात् बहुत सी अन्तिम तिथियों के निकल जाने के कारण, कार्य क्षेत्र कम हो गया तथा परियोजना की लागत परिषद् के प्रस्ताव सं० 3 (ए–18) दिनाँक 25 जून, 2012 द्वारा ₹484 करोड़ तक कम की गई ।

2.1.5 कार्यान्वयन अनुसूची

अनुबंध का लक्ष्य करार के हस्ताक्षर करने अर्थात् 21 मई, 2008 से 30 मासों के भीतर पूर्ण करने का था। चूंकि कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया जा सका, परिषद् ने लक्ष्य तिथियाँ बढ़ा दी तथा अंततः अपनी दिनाँक 28 फरवरी, 2013 की साधारण बैठक में परियोजना को पूर्ण करने की तिथि 30 जून, 2013 तक बढ़ा दी ।

2.2. ऑडिट निष्कर्ष

2.2.1 नामांकन आधार पर कंस्लैटसी अनुबंध को सौंपना

न.दि.न.परिषद् ने मई, 2008 में ई.आई.एल. को प्रतिस्पर्धात्मक बोली हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार न देते हुए बिना खुली निविदा के नामांकन आधार पर पूर्णतः परामर्शदाता/मुख्य परामर्शदाता प्रबंधन परियोजना अनुसार नियुक्त किया था, जोकि, के.लो.नि.वि. नियमावली, जी.एफ.आर.एस. के प्रावधानों के उल्लंघन में था, तथा परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु सी.वी.सी. के दिशा–निदेर्शों का उल्लंघन भी था तथा विभाग ने खुली निविदा के निमंत्रण के साथ कार्य के सौंपने हेतु सटीक कारणों को रिकार्ड नहीं किया गया था।

विभाग (नवम्बर, 2013) ने बताया किः

(क) मैं० ई.आई.एल. को न.दि.न.परिषद् के पदानुक्रम में सभी स्तरों पर विचार–विमर्श करने के पश्चात् तथा वित्त तथा विधि विभाग की जांच के पश्चात् परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया ।

(ख) सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर.एस.) के नियम 165 की तर्ज पर संगठन का निर्णय जो गैर–प्रतियोगी आधार पर परामर्शदाता के चयन को रद्द नहीं करता बशर्ते संगठन तथा परिस्थितियों के समग्र हित में मानकों में ऐसा विचलन पर्याप्त न्यायोचितता देता है।

(ग) मुख्य परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए मैं० राइटस से सहायता हेतु विभाग द्वारा प्रयास किए गए, किन्तु तब से मैं० राइटस से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था, मेगा परियोजना को दृष्टिगत रखते हुए, मैं० ई.आई.एल. को परामर्शदाता नियुक्त किया गया ।

आडिट का यह विचार है कि विभाग के प्रत्युत्तर में वर्णित कारणों से नामांकन आधार पर परामर्शदाता के चयन की न्यायोचितता नहीं हुई। पुनः न्यायोचितता को पूर्ण न कर पाने के लिए निम्नलिखित नियम/प्रक्रिया को भी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है:-

- 500000 से अधिक की लागत वाले कार्यों की निविदा के आमंत्रण से पूर्व के.लो.नि.वि. नियमावली का पैरा 14.1(2) प्रावधान करता है कि डिविजनल अधिकारी द्वारा सटीक कारणों को भी रिकार्ड किया जाना चाहिए।

- सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर.एस.) 2005 का नियम 134 प्रावधान करता है कि जैसे ही ₹10 करोड़ अथवा अधिक की परियोजना लागत अनुमोदित होती है, प्रशासनिक मंत्रालय अथवा विभाग प्रशासनिक मंत्रालय, वित्त (आंतरिक वित्त विंग) तथा एक्जिक्यूटिव एजेंसी से प्रत्येक प्रतिनिधित्व सम्मिलित करते हुए समीक्षा समिति गठित करेंगे । समीक्षा समिति को 10 प्रतिशत के अनुमोदित अनुमानों के भीतर घट-बढ़ के अतिरिक्त शक्तियाँ होगी ।

2.2.2 अनुबंध में अस्पष्ट क्लॉज

सामान्य वित्तीय नियमावली (जी.एफ.आर.एस.) के नियम 204 के अनुसार अनुबन्ध की शर्तें सटीक, निश्चित तथा अस्पष्टता के बिना होनी चाहिए । अवधि को अनिश्चित या अनिश्चित कालीन दायित्व में शामिल नहीं करना चाहिए। ऑडिट ने अवलोकन किया कि ई.आई.एल. के साथ निष्पादित अनुबंध के साथ नीचे वर्णित अनुसार कई अस्पष्ट कलॉज थे ।

(ए) क्लॉज-2(6) प्रावधान करता है कि वैधानिक निकायों से सभी वैधानिक मंजूरिया ई.आई.एल. द्वारा दी जाएगी तथा यद्यपि सरकारी निकायों से अपेक्षित किसी भी प्रकार की सहायता न.दि.न.परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी । इस क्लॉज में कोई भी सहायता अनिश्चितकालीन दायित्व वहन करती है।

(बी) क्लॉज-2(8) प्रावधान करता है कि ई.आई.एल. आवधिक रूप से डिजाइन, लागत और प्रगति के संबंध में न. दि.न.परिषद् मूल्यांकन करेगी ।

शब्द 'आवधिक' क्या यह साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक है स्पष्ट नहीं है।

(सी) क्लॉज-2(10) प्रावधान करता है कि ई.आई.एल. स्थापित गुणवत्ता प्रबन्धन पद्धति के तथा उसके निरंतर सुधार के साथ अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।

शब्द 'स्थापना की गुणवत्ता' स्पष्ट नहीं है।

(डी) क्लॉज-2(11) प्रावधान करता है कि ई.आई.एल. लागत प्रभावी प्रक्रिया में त्रुटियों से मुक्त सेवाएँ प्रदान करने को सुनिश्चित करेगा ।

'लागत प्रभावी प्रक्रिया ' परिभाषित नहीं है ।

(ई) क्लॉज–2 (17) प्रावधान करता है कि ई.आई.एल. विकास के विभिन्न चरणों में प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा सभी सेवा प्रस्तावों की समकक्षी समीक्षा की व्यवस्था करेगा ।

'प्रतिष्ठित व्यक्ति' निर्दिष्ट नहीं है।

(एफ) क्लॉज–3.5.2 प्रावधान करता है कि ई.आई.एल. द्वारा सौंपे गए अनुबंधों में परिनिर्धारिती क्षति क्लॉज ई.आई.एल. द्वारा अपनाए गए मानक पद्धति के अनुसार होगा ।

यह अकथनीय हैं।

(जी) क्लॉज 11(i) यहाँ पर अस्पष्टता है कि न.दि.न.परिषद् कैसे विलम्ब हेतु जुर्माना/परिनिर्धारिती क्षति लगाएगी ।

(एच) कोई विशिष्ट क्लॉज उपकरणों के रखरखाव, सेवाओं के प्रावधान इत्यादि के लिए अनुबंध में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(आई) परियोजना तथा असामान्य रूप से समय के विस्तार हेतु किए गए अनुबंध के लिए पार्टियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुबंध के लिए कोई औपचारिक संशोधन नहीं है।

विभाग की प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

2.2.3 अनुबंध/संशोधित अनुबंध में कमी

दिनाँक 3 मई, 2006 के कंस्लटैंसी अनुबंध को विधिक सलाहकार द्वारा जांचा गया जिन्हें विभिन्न विधिक परामर्शदाताओं की क्षमताओं का विश्लेषण करने के पश्चात् नियुक्त किया गया था जबकि दिनाँक 21 मई, 2008 का अनुबंध विधि परामर्शदाता का कोई भी परामर्श लिए बिना था तथा ई.आई.एल. के साथ अनुबंध इस प्रकार किया गया कि न.दि.न.परिषद् के अधिकारों को सम्मिलित करते हुए कुछ क्लॉजिस ई.आई.एल. के पक्ष में थे ।

निम्नलिखित क्लाज ठेकेदार के पक्ष में थे:-

(i) क्लॉज 2.15 प्रावधान करता है कि ई.आई.एल. कार्यो में पाई गई कमियों को सुधारने हेतु उचित उपाय किए जाएगे, ई.आई.एल. का दायित्व खराब भागों/सर्विस की पुन: इंजीनियरिंग होगी तथा उक्त को ठेकेदार से सुधार कराया जाएगा । ई.आई.एल. का इस संबंध में दायित्व, ई.आई.एल. को दिए गए कुल अदा किए गए शुल्क से अधिकतम 0.5 प्रतिशत तक सीमित होगा ।

(ii) अनुबंध दिनाँक 3 मई, 2006 के क्लॉज–9 के अनुसार, ई.आई.एल. की ओर से खराबी के कारण विलम्ब के लिए प्रतिपूर्ति हेतु प्रावधान था कि ई.आई.एल. न.दि.न.परिषद् को संबंधित भागों के कुल अनुमानित शुल्क के 1.0 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की दर पर न.दि.न.परिषद् को प्रतिपूर्ति (जुर्माने की राशि नहीं) देने का दायित्व होगा । जबकि दिनाँक 21 मई, 2008 के अनुबंध के अनुसार जुर्माना क्लॉज हटा दिया गया था ।

(iii) क्लॉज 7.1(i) प्रावधान करता है कि परियोजना लागत के लिए ₹50 करोड़ का अग्रिम भुगतान अनुबंध के हस्ताक्षर करने के 30 दिन के भीतर दिया जाएगा ।

(iv) क्लॉज 7.1(ii) प्रावधान करता हैं कि शेष राशि का भुगतान कार्य की प्रगति से जोड़ा जाएगा और परामर्श शुल्क और सेवा कर इसी के साथ, अग्रिम में, देय तिमाही में दिया जाएगा ।

(v) क्लॉज 7.1(iii) प्रावधान करता हे कि न.दि.न.परिषद् ई.आई.एल. को सीधे परियोजना हेतु निधि देने का प्रबन्ध करेगा । ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि तथा सेवाओं की गैर-उपलब्धता के कारण परियोजना के कार्यान्वयन में किसी प्रकार के विलम्ब ई.आई.एल. के कारण नहीं होगा ।

(vi) क्लॉज 7.1(iv) प्रावधान करता हैं कि भुगतान प्राप्त करने के लिए ई.आई.एल. द्वारा कोई भी बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं की जाएगी ।

(vii) क्लॉज 7.1(v) प्रावधान करता हैं कि किसी भी मामले में ई.आई.एल. इस परियोजना के निष्पादन हेतु अपनी निधि का प्रयोग नहीं करेगा ।

ऑडिट ने अवलोकन किया कि दिनाँक 21 मई, 2008 का संशोधित अनुबंध में ई.आई.एल. के पक्ष में था। जुर्माना क्लॉज को हटा दिया गया और न तो वह न.दि.न.परिषद् के हित में रखा गया था और न ही दिनाँक 3 मई, 2006 के अनुबंध के मामले में किसी विशेषज्ञ/विधिक की राय पाई गई ।

विभाग के प्रत्युत्तर की प्रतिक्षा है ।

2.2.4 अनुबंध की शर्तों का गैर-अनुपालनः

दिनाँक 21 मई, 2008 के अनुबन्ध 2.9 क्लॉज के अनुसार, ई.आई.एल. को निम्नलिखित क्षेत्रों में सलाहकार लगाने की आवश्यकता है:-

(क) संरक्षण वास्तुविद्

(ख) सरंचनात्मक पुर्नवास और रेट्रोफिटिंग

(ग) सड़कों का उन्नयन तथा पार्किंग

(घ) जलापूर्ति, सीवरेज़, जल निकासी आदि

(ड.) विद्युत्तीय तथा वातानुकूलन कार्य

(च) पर्यावरणीय उन्नयन परिदृश्य तथा सड़क प्रकाश-व्यवस्था

(छ) शहरी डिजाइन स्ट्रीट फर्नीचर, सड़क संकेतक

(झ) कनॉट-प्लेस के पुर्नविकास हेतु किसी अन्य इंजीनियरिंग/वास्तुविद्यि/विशेषज्ञ परामर्शदाता अपेक्षित हैं।

इन परामर्शदाताओं, विशेषतः संरक्षण तथा बहाली परामर्शदाता का अंतिम चयन न.दि.न.परिषद् के परामर्श से किया जाएगा । यदि किसी भी स्तर पर न.दि.न.परिषद् इन चयनित परामर्शदाताओं के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था, तो यह ई. आई.एल. की जिम्मेदारी होगी कि नोटिस के दो सप्ताह के भीतर न.दि.न.परिषद् के अनुरोध पर उक्त परामर्शदाता को बदला जाएगा ।

ऑडिट पार्टी के पास कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था (i) क्या परामर्शदाता न.दि.न.परिषद् के परामर्श से नियुक्त किए गए (ii) कैसे, न.दि.न.परिषद् परामर्शदाताओं के प्रदर्शन से संतुष्ट थी (iii) यदि न.दि.न.परिषद् परामर्शदाताओं के प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था, इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई ।

विभाग उक्त स्थिति स्पष्ट करें ।

2.2.5 मैं० ई.आई.एल. द्वारा दिए गए कार्य के विस्तार में अनियमितताएँ:

दिनाँक 21मई, 2008 के अनुबंध के क्लॉज 11 (i) के अनुसार ''परियोजना के पूरा होने की तारीख अनुमोदन के वाहन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से 30 मास होगी जो भी पहले हो। विलम्ब होने पर, जोकि ई. आई.एल. के नियंत्रण से परे कारणों की वजह से हो सकता है, ई.आई.एल. देरी के लिए समय-सीमा के विस्तार हेतु न्यायोचितता तथा पूर्ण विवरण सहित न.दि.न.परिषद् के पास जाएगा । ऐसी स्थिति में देखा गया कि देरी ई.आई.एल. के कारण है, न.दि.न.परिषद् परियोजना के निष्पादन में देरी का वर्णन करते हुए एक नोटिस जारी करेगी और जो भी आवश्यक समझा जाए वैसे सुधारात्मक कदम उठाने के लिए ई.आई.एल. को आदेश देगी । ई.आई.एल. द्वारा नियुक्त ठेकेदारों द्वारा देरी के मामले में संबंधित जुर्माना क्लाज़िस ई.आई.एल. द्वारा संचालित किए जाएगें।

आडिट ने अवलोकन किया कि यह तीन वर्षो से अधिक की देरी है किन्तु इसके समर्थन में कोई कार्रवाई नहीं है (i) मैं० ई.आई.एल. के विस्तार के लिए अनुरोध (ii) देरी के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना, ऑडिट को प्रस्तुत करना था। ई.आई.एल. ने न केवल 21 नवम्बर, 2010 की मूल अंतिम तिथि को छोड़ा बल्कि बढ़ाए गए लक्ष्यों को भी छोड़ा तथा अंततः दिनाँक जून, 2013 तक तिथि बढ़ाई गई। यदि जुर्माना ई.आई.एल. अथवा ई.आई.एल. द्वारा नियुक्त उप-ठेकेदारों को, दिनाँक 21 मई, 2008, के अनुबंध के क्लॉज 11(i) में निर्धारित अनुसार विलम्ब पर लगाया गया लगभग ₹47.70 करोड़ की राशि अर्थात् ₹477.02 करोड़ की अनुबंध राशि का 10 प्रतिशत वसूलनीय है।

विभाग ने बताया कि (नवम्बर, 2013) देरी के कारण, ई.आई.एल. के नियंत्रण से परे है तथा तद्नुसार प्रस्ताव परिषद् को सौंपा गया । मैं० ई.आई.एल. ने समय समय पर हुई परियोजना समन्वय बैठकों (पी.सी.सी.) में समय-विस्तार हेतु अनुरोध किया । यहाँ टर्नकी कंस्लैटसी अनुबंध में बाधा रजिस्टर के रखरखाव का कोई चलन नहीं था तथा मैं० ई. आई.एल. द्वारा बाधा रजिस्टर के रखरखाव को बनाए रखने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

विभाग का प्रत्युत्तर तर्कसंगत नहीं है। कोई रिकार्ड पूरी जानकारी और न्यायोचितता के साथ दिनाँक 21 मई, 2008 के अनुबंध के क्लॉज 11 (i) के अनुसार आवश्यकता अनुसार मैं० ई.आई.एल. द्वारा विस्तार के संबंध में ऑडिट को प्रस्तुत किया था। पुनः के.लो.नि.वि. नियमावली 2012 के 29.7 (3) पैरे अनुसार बाधा रजिस्टर (हिंडरैस रजिस्टर) के रखरखाव किए जाने की आवश्यकता है। विभाग विस्तार प्रदान करने तथा मशीनीकरण की निगरानी के लिए उचित रिकार्डो के रखरखाव न करने की न्यायोचितता यह समर्थन करने के लिए दें कि विलम्ब मैं० ई.आई.एल. के नियंत्रण से परे था ।

2.2.6 जे.एन.एन.यू.आर.एम. द्वारा अनुमोदित कार्यो में ₹160.77 करोड़ का अति व्यय :

ई.आई.एल. पत्र के अनुसार संख्या ई.आई.एल./1038/एनके/न.दि.न.परिषद्/1396 दिनाँक 8 अक्टूबर, 2013 को जे.एन. एन.यू.आर.एम. ने निम्नलिखित 8 कार्यो की ₹253.78 करोड़ की लागत अनुमोदित की तथा इसके विरूद्ध ₹304.37 करोड़ का व्यय 30 सितम्बर, 2013 तक खर्च किया गया जबकि इन कार्यो की शेष प्रगति 93 प्रतिशत तथा 98 प्रतिशत के मध्य है। पुनः निम्न तालिका अनुसार इन 8 कार्यो में से 3 कार्य समाप्त/रोक दिए गए:-

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>पैकेज</th><th>जे.एन.एन.यू.आर.एम. द्वारा अनुमोदित लागत (₹ लाख में)</th><th>दिनाँक 30 सितम्बर, 2013 तक (लगभग ₹ लाख में) अनुमानित खर्च किया गया व्यय</th><th>वस्तुगत प्रगति</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>इनर सर्कल ब्लॉक के लिए बाह्य कार्य का पुन: स्थापन</td><td rowspan="4">5590.75</td><td rowspan="4">2253</td><td rowspan="4">98%</td><td>समाप्त</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>आउटर सर्कल ब्लॉक जी,एच एंड के हेतु बाह्य कार्य का पुन: स्थापन</td><td>रोक दी गई</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>आउटर सर्कल ब्लॉक एल.एम. एंड एन. के लिए बाह्य कार्य का पुन: स्थापन</td><td>रोक दी गई</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>शेष बाह्य कार्य (इनर तथा आउटर सर्कल ब्लॉक) का पुन: स्थापन</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>कनॉट प्लेस के पुर्न विकास के लिए कनॉट-प्लेस के मिडिल सर्कल के सर्विस कोरिडोर के लिए विद्युत, जलापूर्ति, सीवरेज कार्य सहित सिविल, संरचनात्मक तथा फिनिशिंग कार्य ।</td><td>6507.7</td><td>22347</td><td>98%</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>कनॉट-प्लेस के ऑउटर सर्कल में नए तथा विद्यमान भूमिगत पार-पथ के लिए विद्युत्तीय कार्यो के साथ सिविल, संरचनात्मक, तथा फिनिशिंग कार्य ।</td><td rowspan="2">9616.54</td><td rowspan="2">2674</td><td rowspan="2">93%</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>भूमिगत पार-पथ में एस्क्लेटर्स की आपूर्ति तथा संस्थापन ।</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>सी.पी. के इनर तथा आउटर सर्कल के लिए क्षेत्रीय विकास कार्य ।</td><td>2923.81</td><td>3162</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">कुल</td><td>24638.83</td><td>30437</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">3 प्रतिशत आकस्मिकताएँ</td><td>739.16</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">महायोग</td><td>25377.99
₹25378 लाख</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

आडिट ने अवलोकन किया कि क्र.सं. 5 की स्वीकृत राशि ₹6507.7 लाख थी जबकि 30 सितम्बर 2013 तक का व्यय ₹22347 लाख था अर्थात् ₹15839.30 लाख था जोकि जे.एन.एन.यू.आर.एम. की अनुमोदित राशि से 343.4 प्रतिशत अधिक था। इस प्रकार ₹238.19 लाख क्र.सं. 8 पर कार्य हेतु अनुमोदित राशि से अधिक खर्च किया गया। अत: ₹160.77 करोड़ की अधिक राशि का व्यय जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंशदान के अंतर्गत खर्च किया गया ।

विभाग के प्रत्युत्तर की प्रतिक्षा है ।

2.2.7 स्वतंत्र समीक्षा तथा निगरानी एजेंसी (आई.आर.एम.ए.) की नियुक्ति ।

₹8882.30 के अंशदान के कुल हिस्से में से जी.ओ.आई. (जे.एन.एनयू.आर.एम.)द्वारा न.दि.न.परिषद् को ₹2220.50 लाख की प्रथम किस्त दी गई । पुन: 3 किस्तें उनके द्वारा न.दि.न.परिषद् को नहीं दी गई जैसा कि आई. आर.एम.ए. के द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. टूलकिट के रूप में नियुक्त नहीं किया गया ।

पुनः जी.ओ.आई. दिशा–निदेर्शों के अनुसार कार्यान्वियन एजेंसी की कुछ आवश्यकताओं को पूरा किया जैसे कि:–

(क) आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति तथा उसकी रिर्पोट

(ख) सुधार का कार्यन्वयन

मैं० शिखंडे परामर्शदाता प्रा.लि. मुम्बई बोली शर्त के अनुसार 6 यात्राओं पर 18 मासों के लिए कुल ₹204000/– के भुगतान पर न.दि.न.परिषद् के पत्र सं० डी/703/ई.ई. (सी.पी. परियोजना)/2011 दिनाँक 14 दिसम्बर, 2011 द्वारा आई.आर.एम.ए. के रूप में नियुक्त किया गया था। तद्नुसार आरंभ के पंत्र के पैरा 6 के पश्चात् जारी किया गया था। आई.आर.एम.ए. तथा न.दि.न.परिषद् के मध्य दिनाँक 4 मार्च, 2013 के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए ।

आडिट ने अवलोकन किया कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. के टूलकिट के अनुसार आई.आर.एम.ए. की नियुक्त नहीं किया गया था तथा रिर्पोट, अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व आई.आर.एम. को प्रस्तुत की गई अनियमित थी।

विभाग का प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत है।

2.2.8 जे.एन.एन.यू.आर.एम. से ₹8432.15 लाख की राशि की परियोजना की शेयर–लागत की प्राप्ति न होना:–

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशा–निदेर्शों के अनुसार लागत का 35 प्रतिशत मिशन डायरकटोरेट द्वारा वहन किया जाना था, 15 प्रतिशत रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत अपने स्रोतों से अर्थात् न.दि.न.परिषद् के स्रोतों से वहन किया गया था। यद्यपि, पूरे 50 प्रतिशत घटर की रा.रा.क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा भी प्रतिपूर्ति की जाए। डी.पी.आर. की तैयार की लागत परियोजना की अनुमानित लगात से 1.5 प्रतिशत तक शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति की गई थी ।

आडिट ने अवलोकन किया कि सितम्बर, 2013 के मास के लिए प्रगति रिर्पोट अनुसार, ₹30437 लाख जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत कुल खर्च व्यय किया गया । जिसमें से जे.एन.एन.यू.आर.एम. द्वारा ₹10652.95 लाख का 35 प्रतिशत का शेयर प्राप्त किया गया किन्तु जे.एन.एन.यू.आर.एम. द्वारा ₹2220.58 लाख प्राप्त किए गए शेष ₹8432.15 लाख बकाया है (नवम्बर, 2013) ।

विभाग ने बताया कि (नवम्बर, 2013) डी.पी.आर.–ई.आई.एल. मांग ₹202 लाख के लिए उठाया गया बिल की तैयारी की लागत किन्तु इस तिथि तक इस शहरी विकास खाते से मंत्रालय द्वारा कुछ भी प्रतिपूर्ति नहीं की गई ।

कार्यक्षेत्र में कुछ परिवर्तनों के कारण, जे.एन.एन.यू.आर.एम की कुछ टिप्पणियाँ, स्पष्टीकरण इन टिप्पणियों के लिए थे जोकि प्रक्रियारत है।

आडिट का यह मत था कि विभाग जे.एन.एन.यू.आर.एम. से पूरे शेयर की राशि की प्रतिपूर्ति हेतु पूर्णतः मामले को नहीं देखा। विभाग आवश्यक कार्रवाई करने के पश्चात् अंतिम प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं।

अध्याय-3

<u>'स्टॉफ एंटाइटेलमेंट की स्वीकृति में दक्षता और भुगतान' पर निष्पादन आडिट</u>

3. प्रस्तावना

3.1.1 विभाग के विषय में

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र के निवासियों के लिए अनिवार्य सेवाओं का प्रावधान करती है जैसे:- स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति तथा सीवेज सड़कों तथा भवनों इत्यादि का रखरखाव यहाँ 12963 नियमित कर्मचारी, 877 अनुबंध आधार पर कर्मचारी है। निदेशक (कार्मिक), तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी पैनल की तैयारी हेतु उत्तरदायी है, कर्मचारियों के निजी फाइलों के रखरखाव, भुगतान तथा अन्य भत्तों से संबंधित दावों की प्रक्रिया, सामान्य भविष्य निधि, कर्मचारियों के अन्य हकों की तरह जैसे - गृह निर्माण अग्रिम, मोटर साइकिल/कार इत्यादि, वर्दियाँ, चिकित्सीय दावों की प्रतिपूर्ति तथा सेवा-निवृत्त/मृतक कर्मचारियों के पेंशन पेपरों को प्रक्रियारत करना ।

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2012-13 के दौरान न.दि.न.परिषद् ने अपने संस्थापन पर ₹712 करोड़ से ₹890 करोड़ तक खर्चा किया है जिससे राजस्व प्राप्तियों (₹1691 करोड़ से ₹2215 करोड़ तक) के लगभग 40 प्रतिशत तथा लगभग कुल राजस्व व्यय का 45 प्रतिशत (₹1523 करोड़ से ₹1938 करोड़) गठित किया । इस तरह के बहुत से अनिवार्य खर्चों की स्वीकृति में दक्षता पर निष्पादन समीक्षा की अनिवार्यता तथा स्टॉफ की हकदारी के भुगतान अनिवार्य है। नीचे दिए गए चार्ट विभाग के संगठनात्मक ढांचे का संकेत मिलता है।

संगठनात्मक ढांचा

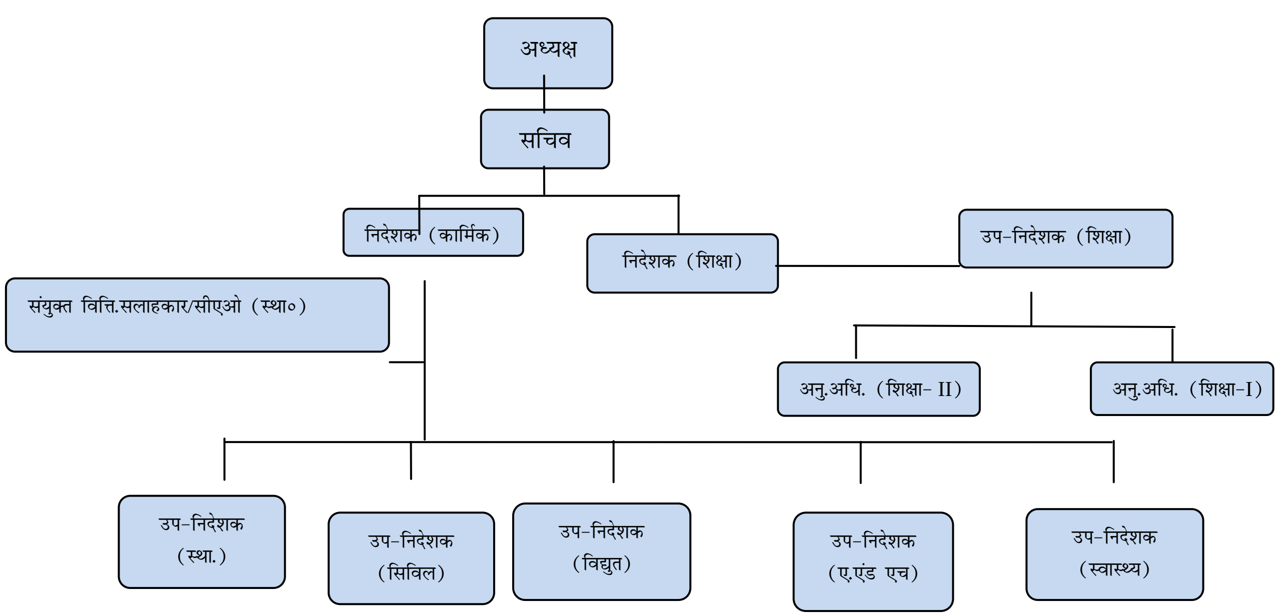

3.1.2 आडिट उद्‌देश्य

वर्तमान आडिट के उद्‌देश्य के आकलन इस प्रकार थे:

- पर्याप्त निगरानी कार्यविधि तथा कर्मचारियों के विभिन्न हकों की स्वीकृति तथा प्रक्रिया की निर्धारित समय सीमा को सुनिश्चित करने हेतु अपने स्थान पर था।
- वार्षिक वेतन वृद्धि और बकाया का भुगतान का निर्धारण उचित समय-सीमा के भीतर किया गया था।
- विभिन्न अग्रिम जैसे: गृह अग्रिम भुगतान, यात्रा भत्ता/मंहगाई भत्ता, इत्यादि समय पर दिए गए है तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर समायोजित भी किया गया है।
- निजी दावों जैसे चिकित्सीय दावे/टेलीफोन बिल, प्रतिभूति जमा की वापसी इत्यादि दक्षतापूर्वक की गई है।
- छुट्‌टी का वेतन तथा प्रतिनियुक्तों के पेंशन योगदान को सही ढंग से और समय के भीतर किया गया है।
- सेवानिवृत्तों के लाभ के भुगतान कुशलता से किए जा रहे थे।

3.1.3 ऑडिट मानदंड

निष्पादन आडिट के लिए आडिट मानदंड के मुख्य स्रोत थे

ए. न.दि.न.परिषद् अधिनियम-1994

बी. स्थापना नियमावली

सी. एफआर एंड सी आर

डी. सामान्य वित्तीय नियमावली

ई. कार्यालय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका

एफ. छुट्‌टी, यात्रा रियायत भत्ता तथा यात्राभत्ता नियम

जी. चिकित्सीय उपस्थिति नियम

एच. प्राप्ति और भुगतान नियम

आई. आदेश, दिशा-निर्देश तथा परिषद् द्वारा जारी अनुदेश

3.1.4. आडिट पद्धति

निष्पादन ऑडिट के उद्‌देश्य संबंधित स्थापना विभागों के विभागाध्यक्षों/निदेशकों/उप-निदेशकों के साथ विचार-विमर्श किया गया ।

विभिन्न रिकार्डो जैसे कर्मचारियों की व्यक्तिगत फाइलें विभिन्न हकदारियों के लिए जांची गई । हकदारियों की स्वीकृतियाँ अनुरोध की प्राप्तियों से संवितरण के चरण तक जांची गई तथा अवलोकन संबंधित अधिकारियों को जारी किए गए । इस पर एक एग्जिट कांफ्रैस में चर्चा की गई जिसमें ऑडिट में उठाए गए मामलों पर विभाग के मतों पर विचार-विमर्श किया गया ।

3.2 आडिट निष्कर्ष

3.2.1 कर्मचारियों के विभिन्न हकदारी मामलों की प्रक्रिया में विलम्ब

मामलों के निपटान में न्यूनतम विलम्ब व समय पर प्रस्तुति को सुनिश्चित करने के लिए कार्यालय प्रक्रिया नियमावली (एमओपी)[2] में यह प्रावधान है कि सम्बंधित कर्मचारी व अनुभाग अधिकारी को हर सप्ताह बकाया विवरण परिशिष्ट 34 में तैयार करने की जरूरत है, जिसमें सात दिन से पुराने प्रस्ताव लम्बित मामलों का विवरण दिया जाए। एमओपी यह भी निर्धारित करता है कि विभिन्न श्रेणी के मामलों के यथासंभव निपटान हेतु विभाग को समय सीमा नियत करनी चाहिए। अनुभाग अधिकारी को कार्य की प्रगति पर नजर रखनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर विलम्बित मामलों के तुरन्त निपटान हेतु उचित निर्देश जारी करें। कार्मिक अनुभाग द्वारा मामलों के अंतिम निपटान के लिए न.दि.न.परिषद् नियम-पुस्तिका[3] तीन से पांच दिन का समय प्रदान करती है।

आडिट टिप्पणी दी कि सम्बंधित अनुभाग अधिकारी द्वारा मामलों के निपटान के लिए नियत समय सीमा का अनुसरण न करने पर कार्य की उचित प्रगति हेतु एमओपी के अंतर्गत कार्य करने की जरूरत है। सामान्य मामलों में भी विलम्ब हुआ है जैसे, अवकाश स्वीकृति अवकाश नकदीकरण एलटीसी दावों का निपटान, बाल शिक्षा भत्ता प्रतिपूर्ति का विवरण निम्न प्रकार से है:-

तालिका 3.1 विभिन्न हकदारी मामलों के निपटान में विलम्ब

मामले की श्रेणी	मामलों की संख्या		प्रतिशत	विलम्ब सीमा (महीनों में)
	जांच निरीक्षण	विलम्बित		
अवकाश	39	20	50	1-14
अवकाश नकदीकरण	42	17	41	1-8
बाल शिक्षा भत्ता	16	09	56	1-6
एलटीसी	51	26	50	1-15

ऐसे 207 मामलों के उदाहरण निम्न प्रकार से हैं:

(i) एलटीसी नकदीकरण के 49 दावे, बाल शिक्षा भत्ता, टीए हस्तांतरण, अवकाश आदि वास्तुविद व उद्यान स्थापना, शिक्षा स्थापना, स्वास्थ्य स्थापना, मुख्य स्थापना से सम्बन्धित प्रक्रिया 01 माह से 17 माह का विलम्बित समय **अनुलग्नक-XII** में प्रदर्शित है।

(ii) शिक्षा स्थापना, वास्तुविद् और उद्यान स्थापना, स्वास्थ्य स्थापना, सचिव स्थापना और सिविल स्थापना-1 एवं ।। में वेतन नियतन, एमएसीपी, वैयक्तिक वेतन आदि में संशोधन के 49 दावों की प्रक्रिया में 3 माह से 7 वर्षो का समय लगा जो **अनुलग्नक-XIII** में दिया गया है।

---

[2] कार्यालय प्रक्रिया के मार्गदर्शन का अध्याय XII और अध्याय XIV

[3] न.दि.न.परिषद् के नियम-पुस्तिका 17 का नियम (3)

(iii) शिक्षा स्थापना, वास्तु एवं उद्यान स्थापना, स्वास्थ्य स्थापना, मुख्य स्थापना से सम्बंधित 62 कर्मचारियों के मामलों में वार्षिक वेतन–वृद्धि देने में विलम्ब हुआ जिसमें कि 01 मास से 24 मास की अवधि का विलम्ब है। लगातार तीन वर्षों तक यथा– 2010–13 तक 13 मामलों में वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी गयी। ऐसे मामलों का विवरण **अनुलग्नक-XIV** में दिया गया है।

(iv) पहला, दूसरा और तीसरा समयबद्ध पदोन्नति वेतनमान देने के 7 मामलों में 6 से 25 मास का विलम्ब हुआ, जिसका विवरण **अनुलग्नक-XV** में दिया गया है।

(v) हितकारी निधि योजना की जांच से पता चला कि दिवंगत कर्मचारियों के परिवारों के बच्चों की उच्च शिक्षा के विभिन्न वित्तीय सहायता प्रदान/स्वीकृति में तीन से आठ मास तक 47 मामलों में विलम्ब हुआ, जिसका विवरण क्रमशः **अनुलग्नक-XVI** और **XVII** में दिया गया है। पुनः यह भी पता चला कि निधि की कमी थी और विभाग कर्मचारियों के मासिक अंशदान के संग्रह का इंतजार था। इस दृष्टि से यह बल मिलता है कि लाभ प्राप्त करने वालों की समय पर सहायता करने के लिए निधि में उपलब्ध नगद के मानीटरिंग हेतु विभाग ने कैशबुक का ठीक से रखरखाव नहीं किया।

विभाग ने उक्त तथ्यों की पुष्टि की और बताया कि प्राप्त/मामलों की निगरानी और निपटान के लिए विभिन्न स्तरों पर कोई उचित व्यवस्था नहीं है। विलम्ब के लिए सम्बंधित स्थापना इकाईयों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।

3.2.2. आत्मनिष्ठ तरीके में दावों की प्रक्रिया।

दावों की प्रक्रिया में विलम्ब होने के बावजूद आत्मनिष्ठ रूप में भी 345 मामलों में दावों पर प्रक्रिया नहीं हुई, जो निम्न प्रकार से हैं:

(i) चिकित्सा दावों के निपटान की प्रक्रिया में आत्मनिष्ठा की कमी थी जो कि उनकी प्राप्ति के अनुसार नहीं देखे गये। 13 मामलों और 14 मामलों का विवरण **अनुलग्नक-XVIII** और **XIX** पर है, जहाँ चिकित्सा दावों का निपटान बिना बारी/5 मास से 15 मास में किया गया, जबकि सामान्य अवधि 3 मास है।

(ii) हितकारी निधि योजना से आवेदकों को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव में विलम्ब हुआ और आवेदन पर अपनी प्राप्ति के क्रम में कार्यवाही नहीं हुई। 35 मामलों का विवरण **अनुलग्नक-XX** में दिया गया है, जिन पर आवेदन प्राप्ति के 05 से 22 मास बाद कार्यवाही की गयी।

3.2.3. कर्मचारियों की तैनाती में विलम्ब।

(अ) वर्ष 2013 के दौरान दिल्ली सरकार से न.दि.न.परिषद् में एएओ के पद पर प्रतिनियुक्ति में असाधारण विलम्ब हुआ। विभाग ने इस एएओ की प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया में 8 से 36 दिन लगाये जैसा कि **अनुलग्नक-XXI** में दिया है। इससे 302 मानव दिनों का नुकसान हुआ और उसके लिए वेतन व भत्तों पर ₹ 3.5 लाख[4] भुगतान हुआ।

[4] न्यूनतम वेतनमान अर्थात 9300 +4800 (ग्रेड पे) पर सरंक्षित अनुमान पर गणना + सामान्य भत्ते

(ब) हाजिरी दस्तावेज की जांच से पुन: पता चला कि वर्ष 2011 के दौरान 49 कर्मचारियों ने नई तैनाती के लिए 22 दिन से 08 मास तक की प्रतीक्षा की थी जिसका विवरण **अनुलग्नक-XXII** में है।

3.2.4. सेवानिवृत्ति उपदान/अतिक्रम जमा राशियों के जारी करने में विलम्ब।

सीसीएस (पेंशन) नियम 64 में यह प्रावधान है कि अनिर्धारित सरकारी बकाया के लिए उपदान में से 10% या रूपये एक हजार की राशि रोकी जाए, जिसे कि वसूली के निर्देश या उक्त अवधि के लिए कुछ राशि को रोकने के लिए अनुदेश न होने पर 6 मास के अन्दर उसे जारी कर दिया जाए। प्राप्ति व भुगतान नियमों के नियम 189(11) में यह प्रावधान है कि सभी बिना दावेदारी की जमा राशियों को तीन लेखा वर्षों के पूरा होने के बाद समेकित निधि के अंतर्गत सरकार के पास जमा कर दिया जाएगा।

3.2.4.1. अनुलग्नक-XXIII में दिए 33 मामलों में सेवा-निवृत्त कर्मचारियों की रोकी गयी ₹2.15 लाख की उपदान राशि 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी जारी नहीं की गयी।

3.2.4.2. अनुलग्नक-XXIV के विवरण अनुसार 59 मामलों में ₹5.53 लाख की सिक्योरिटी जमा राशि 2004-2012 से बिना जारी किये पड़ी है। विभाग द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई रिकार्ड में नहीं है तथा न आडिट को स्पष्टीकरण भेजा है।

3.2.5 प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के सम्बंध में दावों/अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान में विलम्ब।

मूलभूत नियमों के अध्याय 9.3.1 में यह प्रावधान है कि विदेशी रोजगारदाता का यह दायित्व है कि वह प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को अवकाश वेतन प्रतिपूर्ति का भुगतान 30 सितम्बर और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष में उसके मूल विभाग को अर्धवार्षिक अन्तराल में भुगतान करदे। पुन: विदेशी सेवा में प्रतिनियुकत कर्मचारी के वित्तीय वर्ष से पूर्व समाप्त होने पर विदेशी रोजगारदाता उसके अवकाश वेतन, पेंशन फण्ड में वित्तीय वर्ष समाप्त होने से 15 दिन पूर्व अंशदान का भुगतान कर दें।

3.2.5.1 कोष अनुभाग के वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दस्तावेजों की जांच से पता चला कि आवश्यक वेतन दावे सहित अवकाश वेतन प्राप्ति और पेंशन अंशदान के लिए न.दि.न.परिषद् में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के सम्बंध में विलम्ब हुआ।

उदाहरण के लिए श्री ए.के. मिश्रा, निदेशक (कर्मचारी कोड 311582) के मामले में 90 दिनों का अवकाश वेतन ₹1.36 लाख का उनके मूल विभाग से अर्धवार्षिक अन्तराल के बाद उपरोक्त नियमों के अनुसार दावा नहीं किया गया, जो 8.4.2011 को प्रतिनियुक्ति पर न.दि.न.परिषद् की सेवा में आये, पुन:, 39 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने पर भी उनसे पेंशन अंशदान वसूल करने में 01 से 16 वर्ष का विलम्ब हुआ जो **अनुलग्नक-XXV** पर प्रस्तुत है।

3.2.6 दूसरे समय-बद्ध पदोन्नति वेतनमान/वार्षिक वेतन-वृद्धि के दावा-अनुदान का निपटान।

5वें केन्द्रीय वेतन आयोग और डीओपीटी ओएम नं.35034/1/97-स्वा.(डी) दिनांक 09.08.1999 की संस्तुतियों के अनुसार 12/24 वर्षों की सेवा पूर्ण होने के बाद एस्योर्ड केरियर प्रोग्रेशन लाभ मिलता है। पुनः 6वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार उक्त में परिवर्तन हो गया और एमएसीपी योजना के अन्तर्गत कर्मचारी 10/20/30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर 3 वित्तीय अपग्रेडेशन का हकदार है। इस सम्बंध में निम्न विसंगतियाँ नोट की गयी:

1) श्री सुन्दर लाल सहगल, जू.संगीत अध्यापक (कर्मचारी कोड 259467) प्रथम एसीपी 17.11.2001 को पात्र था (प्रथम नियुक्ति की तिथि 17.11.89) और 20 साल की सेवापूर्ण होने पर 17.11.2009 से प्रथम एमएसीपी का लाभ 01.09.2008 से प्रदान किया गया और दूसरा एमएसीपी 17.11.2009 से दिया गया।

2) श्री राजेन्द्र सिंह, एसडब्ल्यूडी बेलदार (कर्मचारी कोड 259699) को दूसरा समयबद्ध पदोन्नति 09.10.2007 से का.आ. दिं. 04.03.2008 से दी गयी। परंतु 6वें वेतन मान के नियतन के समय कार्य आदेश दिनांक 10.04.2012 के द्वारा दूसरा समयबद्ध पदोन्नति वेतनमान 21.12.2007 को बदला गया।

3) सितम्बर 2011 के आडिट से पता चला कि श्री सोहन लाल एसडब्ल्यूडी बेलदार (कर्मचारी कोड- 232819) 1.01.2006 को गलती से 8250+2200 के स्थान पर ₹ 8100+2200 वेतनमान नियत किया गया। विभाग ने इस गलती को सुधारने में 15 महीने का समय लगा दिया और अगले 6 मास बकाया के भुगतान में लगे।

विभाग ने (अगस्त, 2013) में अनुपस्थिति अवधियों को नियमन, एम.ए.सी.पी. प्रदान करने व ऑडिट टिप्पणियों के स्पष्टीकरण में हुई देरी को जिम्मेदार ठहराया तथापि, सभी डीलिंग असिस्टेंटों को इस प्रकार के बकायों के भुगतान के लिए निर्देश भी दिए गये।

3.2.7 उनके अग्रिमों का समंजन न करना

एलटीसी अग्रिम: एलटीसी नियम 1988 में यह दिया गया है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी अग्रिम लेता है तो वापसी पूरी होने के एक महीने के भीतर दावों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि नियत समय में दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता तो एलटीसी दावे को बट्टेखाते माना जाएगा एवं बकाया अग्रिम पर जीपीएफ से 2% अधिक दर से अग्रिम लेने की तिथि से ब्याज लिया जाएगा।

टीए एवं डीए अग्रिम: अग्रिम की राशि को भ्रमण समाप्ति या भ्रमण समाप्ति पर ड्यूटी पर आने वाले दिन से 15 दिन के अंदर समंजित[5] किया जाना चाहिए। नियम 50 के तहत प्रथम अग्रिम का लेखा दिए जाने से पूर्व दूसरा अग्रिम नहीं दिया जाएगा।

[5] जी.एफ.आर. 2005 के साथ अनुबद्ध अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए अग्रिमों पर नियमों के सार का नियम 51

हाउस बिल्डिंग अग्रिम: हाउस बिल्डिंग अग्रिम पर कर्मचारियों से लिए जाने वाले ब्याज की दर को भारत सरकार समय-समय पर अधिसूचित करती रही है। कर्मचारी द्वारा समय पर वांछित दस्तावेज (बीमा पालिसी, गिरवी विलेख) प्रस्तुत न किये जाने पर सामान्य ब्याज से 2.5% अधिक ब्याज लगाया जाएगा।

(i) आडिट से मालूम हुआ कि एलटीसी, टीए/डीए, हाउस बिल्डिंग एवं विविध अग्रिम, जैसा कि निम्न टेबल में दर्ज है, के लिए बने अग्रिम रजिस्टर से पता चलता है कि 97 कर्मचारियों पर ₹44.17 लाख अग्रिम राशि 10 वर्षों से भी अधिक समय से लम्बित पड़ी है।

तालिका सं.- 3.2 विभिन्न अग्रिमों का समंजन न करना

क्र.सं.	बकाया अग्रिम की श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या	अवधि	राशि	संदर्भ कर्मचारी का संलग्न विवरण
1.	एलटीसी	28	2006-07 से 2012-13	1459216	**अनुलग्नक-XXVI**
2.	टीए/डीए	46	2004-05 से 2012-13	1582959	**अनुलग्नक-XXVII**
3.	विविध	18	1999-00 से 2011-12	1347302	**अनुलग्नक-XXVIII**
4.	हाउस बिल्डिंग	5	दिसम्बर 1993 से अप्रैल 2009	27628	**अनुलग्नक-XXIX**
कुल		**97**		**44,17,105**	

(ii) पुन: उक्त अग्रिमों के विश्लेषण से पता चलता है कि 11 कर्मचारियों पर ₹7.94 लाख अग्रिम 6 वर्षों से अग्रिम लम्बित पड़ा है (2006-07 से 2010-11 की अवधि का) ₹15.83 लाख और ₹14.24 लाख टीए/डीए की अग्रिम राशियाँ 2 से 7 वर्षों से (2004-05 से 2010-11) 5 मामलों में बकाया है, कर्मचारियों को उक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए पिछला बकाया की वसूली/समंजन के बिना पुन: अग्रिम दिया गया है।

(iii) टीए/डीए में रजिस्टर वापसी की तिथि/ दावा प्रस्तुत करने की तिथि दर्ज न कर टीए/डीए रजिस्टर का ठीक से रख-रखाव नहीं किया गया। इस कारण दावा प्रस्तुत करने की तिथि आडिट के समय रजिस्टर पर सत्यापित नहीं की जा सकी।

3.2.8 अवकाश यात्रा रियायत देने में अनियमितता

एलटीसी-80 टिकट सीधे एयर इंडिया से खरीदी गयी या एयरलाइंस की वेबसाइट से या वैध-ट्रेवल एजेन्ट, यथा: मै0 बालमर लावरी एण्ड कं0, मै0 अशोक ट्रेवलस एण्ड टूर और आईआरसीटीसी से क्रय की गयी।

आडिट ने नोट किया कि अधिकृत एजेन्ट से टिकट खरीदने के प्रमाण, पहले पैकेज प्राप्त नहीं किया, का प्रमाण-पत्र दिए बिना कर्मचारियों/अधिकारियों ने एलटीसी प्राप्त किए व दावे प्रस्तुत किये। आधिक्य भुगतान, गैर-स्वीकार्य दावों का विवरण निम्न प्रकार से है:

तालिका 3.3 वांछित प्रमाण-पत्र/टिकट खरीद का प्रूफ दिए बिना एलटीसी स्वीकृत

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम/पद	कोड	यात्रा ब्लाक वर्ष	यात्रा तिथि	राशि
1.	श्री अनन्त एम अथाले मुख्य वास्तुविद (सी.डी.सी.)	196619	पोर्ट ब्लेयर (2010-13)	28.03.13	107132
2.	डॉ. एम.एस. भाटिया मु. चिकि. अधिकारी (एस.ए.जी.)	195877	पोर्ट ब्लेयर (2006-09)	27.10.10 02.11.10	65,060
3.	डॉ. (श्रीमती) सुशील हरित सीएमओ (एनएफएसजी)	275158	पोर्ट ब्लेयर (2006-09)	01.12.10 और 06.12.10	1,43,088
4.	शीला देवी एसडब्ल्यूडी बेलदार	281014	जे एण्ड के (2010-13)	सितम्बर 2012	35,400
5.	श्री मनीश गावरी कनिष्ठ सहायक	397797	उधमपुर, 2006-09 2010 तक बढ़ाया	25.11.10 से 29.11.10	5792
6	सुश्री रीता गोयल आशुलिपिक	186214	पोर्ट ब्लेयर 2010-13	मार्च, 2013	145989

3.2.9 बाल शिक्षा भत्ता देने में अनियमितता

6वें वेतन आयोग की संस्तुति और तदुपरान्त डीओपीटी मंत्रालय के दिनांक 13.11.09 के आदेशानुसार बाल शिक्षा भत्ता अधिक बच्चों के जन्म पर भी केवल 2 बड़े बच्चों के लिए स्वीकार्य है। पुनः बाल शिक्षा भत्ता की सीमा 1.1.2011 से 12000/- से बढ़ाकर 15000/- हो गया ।

(i) आडिट से पता चला कि निम्न मामलों बिना फीस-रसीद प्रस्तुत किये बाल शिक्षा भत्तों की प्रतिपूर्ति की गयी:-

तालिका 3.4 बिना उचित रसीद प्रस्तुत किये बाल शिक्षा भत्तों के भुगतान का विवरण

कर्मचारी का नाम	दावे की अवधि	प्रतिपूर्ति राशि	फाईल में रसीद नहीं लगी है
श्री जी.एस. रावत, वरिष्ठ सहायक, कर्मचारी कोड 214114	01.04.2009 से 31.03.2010	12000/-	अप्रैल 09 से जून 09
	01.04.2010 से 31.03.2011	12000/-	अक्टूबर 10 से दिसम्बर 10 और जनवरी 11 से मार्च 11
	01.04.2011 से 31.03.2012	15000/-	अप्रैल 11 से जून 11
	01.04.2012 से 31.03.2013	15000/-	अक्टूबर 12 से दिसम्बर 12 और जनवरी 13 से मार्च 13
श्री किशन, वरिष्ठ सहायक, कर्मचारी कोड 264771	01.04.2010 से 31.03.2011	12750/-	अप्रैल 10 से जून 10

(ii) यह पता चला कि श्री विदेश कुमार, एसडब्ल्यूडी बेलदार (कर्मचारी कोड़ संख्या 307136) को उसके तीसरे बच्चे मास्टर अभय कुमार के नाम से शैक्षिक सत्र 2008-09 के लिए ₹3000/- बाल शिक्षा भत्ता दिया गया था।

3.2.10 अधिक भुगतान की वसूली नहीं

(i) स्व0 श्रीमती शीला कानौजिया, नर्सिंग सिस्टर (कोड-269672) (जिनकी मृत्यु 23.07.2011 को हो गई थी) के पति श्री रवि कुमार को डीसीआरजी के आधार पर (58% की बजाय बढ़ाकर 65% का भुगतान) ₹18,432 अधिक का भुगतान किया गया जिसकी वसूली की जानी है।

(ii) श्री परमानन्द, वायरमैन 31.08.2011 (कोड-139445) को सेवानिवृत्त हुए, उनके पास सरकारी आवास था जिसके लिए उपदान राशि में से केवल ₹10,000/- वसूली के लिए रोके गये थे जब कि उनकी तरफ ₹81,741/- लाईसेंस फीस का बकाया बनता है।

(iii) श्री विदेश्वर राय, पूर्व एएलएम (कोड-179045) की दिनांक 06.02.2012 को मृत्यु हुई। सीबीएस द्वारा जनवरी, 2013 को ₹31,329/- में से ₹ 27,668/- की शेष राशि वसूले बिना उनके परिवार को अवकाश नकदी का भुगतान कर दिया गया । वसूली करना शेष रह गया ।

(iv) हितकारी निधि योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षा सहायता के लिए वर्ष 2010-11 में श्री रामगोपाल, लेक्चरर, कोड-214495 को ₹20,000/- और कु0 परवीन नाज, सहायक अध्यापक, कोड- 207862 को ₹3000/- का अधिक भुगतान किया गया जो वसूली के लिए शेष रहती है।

3.2.11 अवकाश लेखे में अनियमिता कायम

सीसीएस अवकाश नियम के नियम 26(1) के अनुसार पहली जनवरी व पहली जुलाई को हर बार नियमित रूप से 15 दिन का अवकाश कर्मचारी के खाते में जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार एचपीएल भी हर वर्ष प्रत्येक पहली जनवरी/जुलाई को 10 दिन अग्रिम एचपीएल रूप से खाते में जोड़ी जा सकती है। पहली जनवरी/जुलाई को प्रदान की जाने वाली ईएल में से लिए गये आसाधारण अवकाशों के 1/10 के बराबर ईएल में से काटी जाती है और अधिकतम 15 दिन।

पुनः नियम 27(1) और जी.आई.डी. के तहत तथा एफआर और एसआर भाग-3 में प्रावधान है कि सेवा के प्रत्येक कैलेण्डर मास के लिए 2½ दिन अर्जित अवकाश की दर से प्रदान की जाए और प्रत्येक कैलेण्डर मास में 5/3 की दर से हाफ पै लीव प्रदान की जाए।

(i) कम क्रेडिट/अवकाश को गलत स्थानांतरित करनाः

- कु0 कुसुम रंगा, फार्मासिस्ट (कोड- 239047) के अवकाश खाते में 1 जनवरी 2010 को 15 ईएल जमा नहीं की गयी। पुनः जनवरी 2011 में छुट्टियां जमा करते समय कर्मचारी के अवकाश लेखे में 100 छुट्टियाँ काट दी गयी थी।
- श्रीमती वीना पांचाल ड्रेसर कोड- 238180 के अवकाश लेखे में 01.07.2012 को 50 दिन एचपीएल दिखाई गयी थी। तथापि 5 दिन की मेडिकल छुट्टियां 16.07.2012 से 20.07.2012 (10 दिन एचपीएल) लेने पर उनके अवकाश खाते में 30 दिन एचपीएल दर्ज किये गये। गलत शेष की प्रविष्टि के कारण कर्मचारी के 12 दिन यथा 10.12.12 से 21.12.12 तक 12 दिन की असाधारण छूट्टियां (बिना वेतन) ली। इस प्रकार कर्मचारी को 10 दिन एचपीएल से वंचित किया गया।

- सुश्री नम्रता शर्मा, लिपिकीय सहायक (कोड- 310954) के अवकाश खाते में 01.01.2011 से 31.12.2011 तक 30 दिन जोड़े गये परन्तु उनके पिछले शेष जमा 43 में 30 जोड़कर 73 की बजाय 63 लिखा गया।
- श्री नजीर अहमद चौधरी (कोड- 242363) के खाते में 15 ईएल जोड़े गये जो कि जनवरी 2008, जनवरी 2010, जुलाई 2010, जनवरी 2011 और जुलाई 2013 में गलत जोड़े गये।
- 22.11.2010 से 16.12.2010 की अवधि में सुश्री चन्दा शर्मा जेएओ ने 25 दिन की सीसीएल ली जिसको 92 दिन दिखाई गयी फलस्वरूप 67 अधिक काटी गयी।

(ii) अधिक अवकाश जोड़े/ कम काटेः

- श्री गोविन्द सिंह, हेल्पर (कोड-175457) के अवकाश खाते में 01.01.06 को 15 ईएल जमा करते समय 86 असाधारण अवकाश पहले अर्धवार्षिक में 1/10 कम नहीं किये गये, जिसके फलस्वरूप उनके खाते में 9 अधिक ईएल जमा हो गयी।
- सुश्री पूनम रानी, क0 सामाजिक शिक्षा अध्यापक (कोड-306143) के खाते में 15.07.07 से 16.07.07 तक 2 दिन की छुट्टियां डेबिट नहीं हुई।
- श्री उत्तम सिंह, एएफजी, कोड-308454 और श्री प्रमोद कुमार, एएफजी (कोड-308452) जो 02.01.2007 को सेवा में आये थे, के अवकाश खाते में 15 ईएल और 10 एचपीएल जोड़े गये जबकि ईएल 13 और एचपीएल 8 दिन जोड़े जाने थे।
- श्री प्रमोद कुमार, एएफजी (कोड-308452) के अवकाश खाते में 04.04.13 से 11.04.13 की अवधि में 8 ईएल कम नहीं किये गये जिससे उनके खाते में अधिक छुट्टियां जमा हो गई।
- श्री अशोक सिंह, वास्तुवद् सहायक, (कोड-308329) ने 27.06.11 से 10.07.11 को पैटरनिटी अवकाश लिया जिसे उसकी सेवा-पुस्तिका में दर्ज नहीं किया।

(iii) अवकाश नकद लाभ का अधिक/कम भुगतानः

- सुश्री रोसम्मा थोमस एएनएम (कोड-194142) 29.02.2012 को सेवानिवृत्त हुई, उसके सेवा दस्तावेज से पता चला कि उसे 01.01.2012 से 65% की बजाय 58% की दर से डीए की गणना की गई जिससे उसे अवकाश नकदीकरण का ₹13,630/- कम भुगतान किया गया।
- श्री शिव सिंह बेलिफ (कोड-189177) 31.1.2012 को सेवानिवृत्त हुए, उसके सेवा दस्तावेज से पता चला कि उसे 01.01.2012 से 65% की बजाय 58% की दर से डीए की गणना की गई जिससे उसे अवकाश नकदीकरण का ₹12,460/- कम भुगतान किया गया।
- स्व0 श्री रोहताश कुमार (पूर्व बेलदार) कोड 295495 दिनांक 18.09.11 को स्वर्गवास हुआ, उनका बकाया ₹9,342/- वसूल किये बिना उनको अवकाश नकदीकरण ₹37,638/- का भुगतान उनकी विधवा को अगस्त 2012 को दिया गया।

3.2.12 अनुबंध कर्मचारी को अनियमित सेवा पर रखना:

कर्मचारियों को अनुबंध पर रखने सम्बंधी दिशा-निर्देश के अनुसार अनुबंध पर नियुक्ति उम्र, शिक्षा आदि को देखते हुए भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है। अनुबंध समय में समेकित वेतन दिया जाता है और 7 दिनों के अंदर परिषद् के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये जाते हैं। भर्ती नियमों के अनुसार ऊपरी आयुसीमा 30 वर्ष है।

आडिट से अनुबंध पर अनियमितता पाई गयी:

i) वास्तु व उद्यान स्थापना ने श्री अजय कुमार जन्मतिथि 09.01.1981 को (कोड-310221) अनुभाग अधिकारी रूप में 15.11.2007 से अनुबंध पर नियुक्ति की थी। उस अधिकारी की सेवाएं सामान्य ब्रेक के बाद 25.10.2013 तक लगातार बढ़ाई जाती रही। यह पता चला कि अधिकारी 08.01.2011 को 30 वर्ष का हो गया था। इस पर अधिकारी की जनवरी 2011 के बाद नियुक्ति भर्ती नियमों का उल्लंघन था। इसके अलावा दिशा-निर्देशों के अनुसार करार भी तैयार नहीं किया गया।

ii) अगस्त-दिसम्बर, 1999 के बीच सहायक अध्यापकों (उर्दू) की शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति समेकित वेतन पर अनुबंध आधार पर किया गया पर उन्हें नियमति नहीं किया जायेगा। यह बात पता चला कि स्थापना विभाग ने समय-समय पर सहायक अध्यापकों को सामान्य ब्रेक के बाद भी इनकी नियुक्ति 30.04.2012 तक जारी रखी।

तालिका 3.5 40 वर्ष की आयु के अनुबंध अध्यापकों की तालिका

क्र.सं.	अनुबंधीय सहायक अध्यापकों का नाम (सुश्री)	शुरूवाती नियुक्ति तिथि	40 वर्ष की आयु होने का समय
1	कमर नय्यर	03.08.99	जून 1997
2	समीना जुबैर	15.11.99	जून 2004
3	खुर्शीद बानो	21.12.99	जून 2001

30 अप्रैल 2012 से बाद की अवधि में नियुक्ति भर्ती नियमों का उल्लंघन है। इसे अतिरिक्त दिशा-निर्देशों के अंतर्गत करार भी तैयार नहीं किया गया।

iii) मुख्य स्थापना अनुभाग ने अप्रैल 2010 को समेकित वेतन 18,560/- पर इस शर्त पर सहायक प्रोग्रामर की अनुबंधीय नियुक्ति की कि उन्हें नियमित नहीं किया जाएगा। जांच से पता चला कि सहायक प्रोग्राम का समय-समय पर उनकी सेवाएं बढ़ाई गयी। उनका नियुक्ति विवरण निम्न तालिका में दिया गया:-

तालिका 3.6 सहायक प्रोग्रामर की नियुक्ति का विवरण

क्र.सं.	अनुबंधीय सहा. प्रोग्रामर का नाम श्री)	जन्म तिथि	प्रारंभिक में अनुबंध नियुक्ति	30 वर्ष पूवर्ण होने की तिथि	निम्न दिन तक सेवा बढ़ाई गयी
1	आशीश मिश्रा	01.12.1978	27.04.10	30.11.2008	10.05.2014
2	मोहिन्दर सिंह	05.05.1981	27.04.10	04.05.2011	03.05.2013

जैसाकि ऊपर दिखाया गया है कि अधिकतम आयुसीमा 30 वर्ष के भर्ती नियमों के शर्तों के अवलोकन बिना अप्रैल 2010 में अनुबंध आधार पर सहा. प्रोग्रामर को सेवा में रखा गया था। श्री मोहिन्दर सिंह, 04.05.2011 की नियुक्ति भर्ती नियमों के खिलाफ थी क्योंकि वे उक्त तिथि को 30 वर्ष के हो गये थे। 27.04.10 से 26.04.12 के मध्य दोनों नियुक्तियों के मध्य सामान्य ब्रेक नहीं रखा गया। उक्त अनुबंधों को प्राप्त करने में विलम्ब किया गया। 11.05.13 से एक वर्ष के लिए सेवा बढ़ाने के लिए 2 मास बाद आदेश अर्थात् 12.07.13 को और दूसरी बार 04.05.12 से 21.05. 2012 को जारी किया गया।

अध्याय - 4

अभियांत्रिकी विभाग में अनुबंध प्रबंधन का आडिट निष्पादन

4. परिचय

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् क्षेत्र की गतिविधियों/पालिका कार्यो के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् जिम्मेदार है और कार्य निष्पादन व अन्य आवश्यक सेवाओं को अधिकतर अनुबंध पर निष्पादन के लिए जिम्मेदार है। पूर्व में किये गये आदान-प्रदान सम्बंधी कई महत्वपूर्ण मामलों को आडिट उजागर करती है। ऐसी अनियमितताएँ दुबारा न हों, इस दृष्टि से न.दि.न.परिषद् के सिविल व विद्युत विभाग के अनुबंध प्रबंधन का आडिट निष्पादन किया जाता है।

4.1.1 संस्थागत ढाँचा:

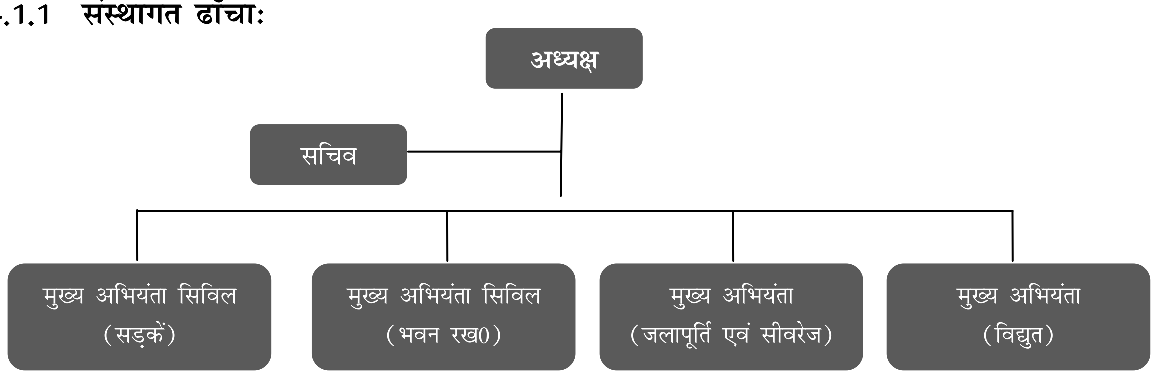

4.1.2 आडिट क्षेत्र

आडिट में योजना, अनुमान, प्रशासनिक अनुमोदन, व्यय की स्वीकृति, अनुबंध तथा उसके निष्पादन एवम् अप्रैल 2010 से मार्च 2013 के दौरान सिविल (सड़के तथा भवन), विद्युत तथा जल आपूर्ति विभाग का निरीक्षण किया गया ।

वर्ष 2013-14 के द्वितीय तथा तृतीय त्रैमासिक में आडिट किया गया जिसमें इन विभागों द्वारा किए गए कुल 2136 अनुबंधों में से 376 अनुबन्ध बीच-बीच में नमूने इक्ट्ठे करने की पद्धति से किए गए, की जांच की गई । विशेष परियोजनाओं को छोड़कर सिविल इंजीनियरिंग विभाग (सड़क एवं भवन) में सभी प्रभागों को आडिट में लिया गया था। विद्युत इंजीनियरिंग विभाग तथा जल आपूर्ति विभाग में, आडिट ने निम्नलिखित प्रभागों में रिकार्डो की जांच की:-

(ए) अधिशाषी अभियंता 33 के.वी. भण्डार

(बी) अधिशाषी अभियंता 11 के.वी. भण्डार

(सी) अधिशाषी अभियंता सी-III

(डी) अधिशाषी अभियंता सी-IV

(ई) अधिशाषी अभियंता सी-VI

(एफ) अधिशाषी अभियंता भवन रखरखाव-I

(जी) अधिशाषी अभियंता भवन रखरखाव-II

(एच) अधिशाषी अभियंता पथ प्रकाश

(आई) अधिशाषी अभियंता रखरखाव (उत्तर)

(जे) अधिशाषी अभियंता 33 के.वी. रखरखाव

(के) जलापूर्ति

(एल) सीवरेज रखरखाव

आडिट का परिणाम विभागों के तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि प्राप्त करने के लिए सितम्बर, 2014 में बता दिया गया था तथा आडिट निष्कर्ष पर उनकी टिप्पणियाँ प्रतिक्षारत् हैं ।

4.1.3 आडिट उद्देश्ये

निष्पादन के उद्देश्यों का आडिट करके देखा जाना था कि:-

- योजना, अनुमान, सेवाओं/अनुबंध कार्यों के निष्पादन व स्वीकृति के लिए पर्याप्त प्रक्रिया रखी गयी है और जिसे दक्षता से लागू किया गया है।
- अनुबंध करार के प्रावधानों को लागू करने की पद्धति और उन को प्रभावशाली तरीके से पालन किया जा रहा है;
- केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों और लागू योग्य नियमों पर दृढ़ रहने के लिए पद्धति;
- अनुबंध के समय पर निष्पादन और कार्य की क्वालिटी परिवीक्षण के लिए प्रभावशाली पद्धति ।

4.1.4 आडिट कार्य प्रणाली

चुने गये विभाग में ''अनुबंध प्रबंधन'' के लिए आडिट किया। अनुबंधों का चयन हर सतह के नमूनों के आधार पर किया गया था। संबंधित मुख्य अभियन्तों/कार्यकारी अभियन्ताओं को टिप्पणियाँ जारी की गयी है और विभागों से प्राप्त स्पष्टीकरण/उत्तर प्राप्त होने पर रिपोर्ट में लगा दिया गया।

4.2 आडिट निष्कर्ष

4.2.1 निविदा/प्रक्रिया

4.2.1.1 प्रतियोगिता की कमी

सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली की धारा 17.7 के अनुसार यदि उचित स्तर के ठेकेदारों से निविदा दरों में कमी होती है, या बेवजह उच्च दरें हैं, तो अगले उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन पर निम्न उपाय किये जाएं:-

(अ) एमईएस, रेलवे, टेलीकम और राज्य पीडब्ल्यूडी में पंजीकृत दूसरे दर्जे के ठेकेदारों से खुली दरें मांगी जाएं और/या

(ब) वांछित मापदण्ड को सुविधाजनक रूप से एनआईटी अनुमोदन अधिकारी द्वारा रूपान्तर किया जाए।

आडिट द्वारा जांचे गये कुछ मामलों में विद्युत इंजी. के डिविजनों के मामलों में कुछ आमंत्रित दरों में खराब प्रत्युत्तर मिला, जिसका विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है:-

मण्डल	आडिट द्वारा जांचे गये मामलों की संख्या	विवरणों की संख्या
11 केवी स्टोर	25	10 मामलों में 1-2
सी-3	2	दोनों मामलों में प्रथम बार में केवल एक निविदा
सी-4	4	3 मामलों में 1-3
सी-6	4	2 मामलों में 2 फार्मे

उक्त (ए) और (बी) पर विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की।

पेशकश प्रस्तुत करने वालों में कमी के कारणों का विश्लेशण किये जाने की जरूरत है और प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाये जाने की जरूरत है।

4.2.1.2 अनुबंध देने के लिए समय सीमा के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है।

सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियम 2010 की धारा 20.3.1 के अनुसार कार्य सौंपे जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सीपीडब्ल्यूडी नियम के परिशिष्ट–23 के अनुसार निविदा स्वीकार करने की प्रक्रिया के लिए अधिकतम समय अवधि 42 दिन है।

विद्युत विभाग के विभिन्न डिविजनों द्वारा कार्य सेवाएं प्रदान करने में लगाया गया समय का विवरण निम्न प्रकार है:–

मण्डल	जांचे गये मामलों की संख्या	जिन मामलों में निविदा प्रक्रिया में विलम्ब हुआ	42 दिन की समय सीमा से अधिक समय लगाया
11 केवी	25	17	9 मास से अधिक
सी–3	2	1	20 दिन
सी–4	4	1	10 दिन
सी–6	4	1	2 मास
रोड लाईट मण्डल	10	1	7 मास

डिविजनों ने स्वीकार किया कि (सितम्बर–2013) मूल्य बोलियों को खोलने की प्रक्रिया बहुत लम्बी है।

4.2.1.3 करार में हस्ताक्षर में विलम्ब

आडिट ने मालूम किया कि करार पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा 7 से 15 दिन है, परन्तु विद्युत के 36 मामलों की जांच के दौरान पता चला कि 21 मामलों में विलम्ब हुआ जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

मण्डल	जांचे गये मामलों की संख्या	आपूर्ति आदेश/करार के अनुसार करार अनुबंध पर हस्ताक्षर के लिए निर्धारित समय	कुल मामलों में विलम्ब हुआ
11 केवी स्टोर	25	10 दिन	14
पथ प्रकाश	1	7 दिन	1
33 केवी रखरखाव	4	10 दिन	2
सी–6	6	15 दिन	4

4.2.1.4 कार्य निष्पादन में कमी (सीवरेज रखरखाव)

प्रेजीडेन्ट एस्टेट, नई दल्ली (जमा कार्य) में सीवर लाईनों की सुपर शक्कर मशीन से सफाई और गाद निकालने का कार्य एकल बोलीदाता मै0 होम डिकोरेक्ट बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स को उनकी निविदा राशि ₹7.61 लाख में दिया गया था। कार्य प्रारंभ करने और निष्पादन की तिथियाँ क्रमश: 9 जून, 12 और 8 जुलाई 12 थी। कार्य देर से शुरू करने

के कारण यह कार्य 9 जून, 2013 को समापन हो सका, कार्य बताओ नोटिस के अलावा एसएम डिविजन ने कोई दण्डात्मक कार्यवाही (धरोहर राशि जब्त करना) नहीं की।

4.2.1.5 दोष पूर्ण योजना और अपर्याप्त समन्वय

(अ) जैन मंदिर मार्ग में एसबीएस कार्य से यूजीआर (शिवाजी स्टेडियम वाटर बूस्टिंग स्टेशन) तक 300 व्यास पाईप लाईन बिछाने का कार्य ₹13.14 लाख निविदा लागत में 1, मई 2009 को मै0 दीपाक अलाइड ट्रेडर्स एण्ड इंजी. फर्म को दिया गया था। जिसके प्रारंभ होने व समापन की तिथि 11.05.2009 तथा 10.06.2009 थी। कुल 190 मी. पाईप बिछाने के कार्य में से ठेकेदार ने ₹8.45 लाख लागत में 159.8 मी. बिछाई क्योंकि शेष स्थान उसे नहीं सौंपा गया। सक्षम प्राधिकारी ने 8 सितम्बर 2011 को कार्य बन्द कर दिया। (**जलापूर्ति डिविजन**)

जलापूर्ति डिविजन ने बताया कि (14 नवम्बर 2011) जिस भूमिगत जलाशय से पाईप जोड़ा जाना था, वह उपलब्ध नहीं कर सके। राष्ट्रमण्डल खेल का कार्य चलने के कारण स्टेडिया प्रोजेक्ट डिविजन द्वारा न दिए जाने के कारण उसे उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

(ब) उपयोगकर्ता और खरीद ईकाईयों में समन्वय न होने के कारण 11 केवी स्टोर डिविजन द्वारा खरीदे गये आधिक्य सामान की गारन्टी में कमी।

आपूर्ति आदेश की शर्तों व नियमों के अनुसार मदों की आपूर्ति की गारन्टी शुरू होने से 36 मास तक वैध थी या आपूर्ति से 42 मास तक कुछ मदों में लगने से 12 मास या आपूर्ति से 18 मास तक, जो भी पहले हो, गारन्टी थी।

आडिट से पता चला कि यद्यपि उपयोगकर्ता इकाई ने सामान की अपनी मांग की पुष्टि नहीं की, परन्तु स्टोर डिविजन ने ₹5.29 करोड़ लागत की आधिक्य सामान की खरीद की, जो निष्प्रयोजन पड़ा है (अगस्त 2013) और उसकी गारन्टी अवधि निकल गयी। **(अनुलग्नक-XXX)**

(सी) बिना योजना खरीद/गारन्टी की कमी

योजना और कार्यकारी डिविजन द्वारा भविष्य में किये जाने वाले कार्य के निमित और उसकी प्रत्याशा में ₹6.52 करोड़ (लगभग) लागत की 33 केवी की 45746 मी. केबल की खरीद की एतदर्थ निर्धारित करार की धारा–18 में यह व्यवस्था है कि आपूर्तिकर्ता 12/18 मास की गारन्टी लगाने/आपूर्ति तिथि से, जो पहले भी हो, उपलब्ध करायेगा।

आडिट से पता चलता है कि अक्टूबर 2013 को रखरखाव डिविजन व सी–6 डिविजन को 16050 मी. केबल जारी किया था और ₹1425.90 प्रति मी. कीमत वाला 29696 मी. केबल स्टोर में बिना गारन्टी के पड़ा था। क्या स्टोर डिविजन ने जनवरी 2012 में आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करते समय स्थिति का व अपने स्टोर का अद्धतन/समन्वय किया कि ₹4.23 करोड़ की गारन्टी बेकार चली गयी जिसे रोका जा सकता था। **(33 केवी स्टोर डिविजन)**

(डी) स्टोर सामग्री खरीद उद्देश्य में असफल व गारन्टी की कमी

सी–6 डिविजन की मांग के अनुसार स्टोर–2 डिविजन ने अर्थ स्विच सहित 08 मोटर आपरेटेड आईसोलेटर्स और 19 नग 33केवी, 600एएमपी आडसोलेर्स बिना अर्थ स्विच, कुल 27 आईसोलेटर्स की खरीद की। दिनांक 08.10.2013 को उक्त मदों की स्टाक स्थिति यह थीः– 8 मोटर्स आपीरेटेडर्स आईसोलेटेर्स स्विच सहित और 10 नग 33केवी, 600 एएमपी आईसोरमेटर्स बिना स्विच।

दस्तावेज की जांच से पता चला कि ये आईसोलेटर्स विद्युत सलाहकार की सलाह पर खरीदे गये। 01.01.2009 के दस्तावेज के अनुसार विद्युत सलाहकार ने सलाह दी कि 33केवी वीसीबी/एसएफ–6 स्विचगेयर (वर्तमान जरूरत) को रदद् करके उसके बदले सर्विस स्टेशन किदवई नगर, सबस्टेशन नेहरू पार्क में 33 केवी इन्डोर जीआईएस स्विचगेयर स्थापित किये जाएं। अध्यक्ष न.दि.न.परिषद् ने दिनांक 29.10.09 को विद्युत सलाहकार का प्रस्ताव अनुमोदित किया। तथापि सी–6 डिविजन ने विद्युत सलाहकार के प्रस्ताव की अनदेखी करके आईसोलटर्स को स्पेयर पार्ट के रूप में खरीद की। उक्त खरीदे आइसोलेटर्स अभी भी स्टोर डिविजन में निष्प्रयोजन पड़े हैं। जिससे स्थान व निधि ₹14.24 लाख का ब्लोकेज हो गया।

पुनः इन स्विचगेयरों की आपूर्ति/संस्थापन से 18/12 मास की गारन्टी अवधि भी बेकार चली गयी। डिविजन ने (नवम्बर, 2013 में) स्वीकार कि यद्यपि गारन्टी चली गयी परन्तु आइसोलेटर्स अभी भी उपयोगी हैं क्योंकि ये मदें खराब नहीं होती तथा संबंधित डिविजनों द्वारा उपयोग में लाई जा रही हैं।

आडिट का विचार है कि खरीद न्यायसंगत व व्यावसायिक दृष्टि से हो।

(ई) स्टोर डिविजन की बजाय उपयोगकर्ता डिविजन द्वारा स्टोर सामान की खरीदः

यद्यपि एयरकन्डीशन की खरीद स्टोर डिविजन द्वारा खरीदे जाते हैं परन्तु बिना एनडीसी व बिना मांग के बीएम–2 डिविजन ने 207 एसी ₹44.86 लाख की लागत से खरीदे। इलै0 स्टोर की तरफ से दस्तावेज पर भी कोई टिप्पणी दर्ज नहीं है।

डिविजन ने (नवम्बर 2013) बताया कि स्टाक में एसी तुरन्त उपलब्ध नहीं होते व उन्हें बदलने की तुरन्त जरूरत पड़ी थी। ग्रीष्म की सुनिश्चितता हेतु बीएम–2 (वि.) डिविजन द्वारा निविदाएं जारी की।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है जैसाकि (1) स्टोर डिविजन के संबंध में (11) उक्त डिविजन दिसम्बर 2010 में आपूर्ति का प्रबंध कर सका । यथा– ग्रीष्म की समाप्ति पर (बीएम–2 डिविजन)

(एफ) ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में ढुलमुल रवैया (अधिक कीमती उपकरण)

33 केवी रखरखाव डिविजन ने मार्च 2003 में मै0 भारत बिजली लि0 से ₹30 लाख लागत पर 33 केवी, 12.5/16 एमवीए के तीन ट्रांसफार्मर खरीदें। ट्रांसफार्मरों की निर्धारित सामान्य आयु 25 वर्ष थी। उक्त में से एक ट्रांसफार्मर बिजली घर तिलक मार्ग में संस्थापित किया गया। जोकि दिसम्बर 2008 में खराब हो गया। विभाग ने उक्त ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए दरें आमंत्रण हेतु कार्यवाही प्रारंभ की एवं जून 2009 में इसकी मरम्मत हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ मामला प्रस्तुत किया। चूंकि उक्त फाईल डिविजन में वापस प्राप्त नहीं हुई, अतः 03 मार्च, 2010 को नया

नोट लिखा गया। सितम्बर 2011 में विभाग ने निर्माता से उक्त की वैधता के लिए कहा, इस पर निर्माता ने वैध्यता की अवधि बढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में सामान की लागत व वर्कशाप की लागत में पर्याप्त वृद्धि हो गयी थी। इसलिए 14 दिसम्बर 2011 में एक नया बजट पेशकश का मामला तैयार किया गया। विभिन्न स्तरों पर बातचीत करके विभाग ने पत्र क्र. 49/ईई(ई)एम-33केवी 2012-13 द्वारा कार्य सौंपने का पत्र जारी किया और जून 2013 में ट्रांसफार्मर की मरम्मत की गयी।

आडिट की टिप्पणी:

(i) ट्रांसफार्मर का निर्माण 2003 में हुआ और 2008 में फेल हो गया, अर्थात् 5 वर्ष में

(ii) डिविजन ने दस्तावेज में इस बात का कारण दर्ज नहीं किया कि अल्पावधि में ही ट्रांसफारर्मर खराब क्यों हो गया।

(iii) सलाहकार (ऊर्जा) का भी विचार है कि डिविजन ने ट्रांसफार्मर के खराब होने का साधारण कारण बताया है और खराबी होने के समय जांच की जानी चाहिए थी।

(iv) सलाहकार (बिजली) की टिप्पणी पर डिविजन ने (अप्रैल 2012) बताया कि खराब की असलियत सुनिश्चित करने के लिए डीजीए टेस्ट नहीं किया गया।

प्रभाग ने (नवम्बर 2013) उत्तर दिया कि विभागीय/कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने और खोई फाईल खोजने/फाईल फिर बनाने में 3 वर्ष का समय लग गया।

4.2.1.6 सफाई/झाडू लगने के लिए अनुबंध

(ए) निविदा आमंत्रण के लिए भ्रामक सूचना

(i) स्टेडियमों, स्कूलों, वाणिज्यिक कम्पलैक्सों, कार्यालय भवनों आदि की सफाई/झाडू कार्य के निष्पादन हेतु **बीएम-1 प्रभाग** जिम्मेदार है। सफाई/झाडू कार्य के वास्तविक कार्य ''भवन रखरखाव'' नाम से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। 70% ठेके (मै0 आर.के.जैन एण्ड सन्स हास्पीटेलिटी सर्विसेस प्रा0लि0) द्वारा प्राप्त किये जाते हैं क्योंकि निविदा आमंत्रण के लिए भ्रामक सूचना प्रकाशित की जाती है। कुल ठेकों में से ₹3.62 करोड़ के ऐसे 10% की आडिट द्वारा जांच की गयी। शौचालयों की सफाई/झाडू लगाने के कार्य हेतु वर्ष 2010-12 के दौरान बीएम-1 प्रभाग (सिविल) द्वारा ठेके दिए, जिसकी सूची निम्न प्रकार से है:-

	कॉन्ट्रक्ट नम्बर	**एजेंसी**	**संक्षिप्त कार्य का नाम**	**प्रस्तुत मात्रा**
1.	38/बीएम-1/2010-11	मै0 आर.के.जैन एण्ड सन्स हास्पीटेलिटी सर्विसेस प्रा0लि0	नवयुग स्कूल में रखरखाव कार्य	**18.20**
2.	52/बीएम-1/2010-11	मै0 आर.के.जैन एण्ड सन्स हास्पीटेलिटी सर्विसेस प्रा0लि0	गोल मार्किट में नागरिक	**9.54**
3.	92/बीएम-1/2011-12	मै0 एस बी एसोसिएट्स	एन.पी. बाल सीनियर सैकेंडरी स्कूलऔर मिनी स्टेडियम, मंदिर मार्ग में रखरखाव कार्य	**28.16**

4.	62/बीएम-1/2011-12	मै0 एस बी एसोसिएट्स	एसबीएस प्लेस, गोल मार्किट में रखरखाव कार्य	1.82
5.	90/बीएम-1/2011-12	मै0 एक्सपर्ट कंस्ट्रक्शन कम्पनी	सैकेंडरी स्कूल, हैवलॉक स्क्वायर में रखरखाव	19.19
6.	88/बीएम-1/2011-12	मै0 आर.के.जैन एण्ड सन्स हास्पीटेलिटी सर्विसेस प्रा0लि0	रोहिणी आवासीय परिसर में रखरखाव कार्य	1.72
7.	85/बीएम-1/2011-12	मै0 आर.के.जैन एण्ड सन्स हास्पीटेलिटी सर्विसेस प्रा0लि0	तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में रखरखाव कार्य	115.16
8.	89/बीएम-1/2011-12	मै0 आर.के.जैन एण्ड सन्स हास्पीटेलिटी सर्विसेस प्रा0लि0	मोहन सिंह प्लेस में रखरखाव कार्य	33.08
9.	06/बीएम-1/2011-12	मै0 आर.के.जैन एण्ड सन्स हास्पीटेलिटी सर्विसेस प्रा0लि0	मेजर ध्यानचन्द नेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में रखरखाव कार्य	73.00
10.	07/बीएम-1/2011-12	मै0 आर.के.जैन एण्ड सन्स हास्पीटेलिटी सर्विसेस प्रा0लि0	डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी तरणताल कॉम्प्लेक्स	62.00

झाडू और सफाई वैसे कार्य नहीं हैं जिसके लिए भवन रखरखाव के समान सम्मत शर्तो की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इन कार्यो के निष्पादन के लिए इंजीनियरिंग दक्षता य पर्यवेक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। भ्रमित सूचना वाली निविदाएं आमंत्रित करने से हाउसकीपिंग कार्यो में लगे संभावित दो बोलीदाता से कम निविदाएं प्राप्त हुई।

(बी) पुनः सफाई/झाडू कार्य के लिए निविदा प्रारूप वहीं है जो भवन रखरखाव के लिए है। जबकि सफाई/झाडू कार्य भिन्न प्राकृति का है। इस कार्य के कुछ नियम जलापूर्ति और वसूली सम्बंधी हैं जिन्हें ठेकेदारों से प्राप्त किया जाता है। धारा 31-ए से स्पष्ट है यह कुल निवल निष्पादन कार्य का एक प्रतिशत वसूलने सम्बंधी हैं। हर मास ठेकेदार की तरफ से एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आपूर्ति वाला पानी निर्माण के लिए ठीक है कि उसे कार्य के लिए कोई वसूली नहीं की जा रही है। चूंकि शौचालय सफाई भिन्न प्रकृति का कार्य है और निर्माण के लिए पानी का प्रयोग किया गया, उस बारे में प्रमाण पत्र मांगना तर्कसंगत नहीं है।

(सी) अनुबंधों की शर्तो के सामान्य नियमों और निर्देशों (मद दर निविदा के लिए) की धारा-15 और धारा-38 में यह प्रावधान है कि ठेकेदार द्वारा भुगतान करने का प्रमाण-पत्र दिए जाने पर सम्बंधित विभाग द्वारा सेवाकर की प्रतिपूर्ति की जाती है। चार्टेड एकाउन्टेंट से बनवाया गया प्रमाण/प्रस्तुत करने पर मै0 आर.के.जैन एण्ड सन्स हास्पीटेलिटी सर्विसेज लि0 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम (करार क्र. 85/बीएम-1/2011-12) रखरखाव कार्य के लिए प्रतिपूर्ति की जाती रही थी, जिसमें यह वर्णन किया था कि सफाई/झाडू कार्य सहित ठेकेदार ने सेवा-कर का भुगतान कर दिया है। ठेकेदार ने दावा रखा और भुगतान किये गये बिलों का 7% प्रतिपूर्ति राशि थी। वित्तीय अधिनियम, 2005 के लागू होने के कारण सेवा-कर में अनियतता पैदा होने के कारण प्रतिपूर्ति की गयी। गैर-वाणिज्यिक भवनों को सफाई सेवाओं को सेवा करों से बाहर विशिष्टीकरण किया गया था।

(डी) मै0 एक्सपर्ट कन्सट्रक्शन कं0 जिसको नवयुग स्कूल, पेशवा रोड में सफाई/झाडू का काम सौंपा गया था, जो कि भवन और अन्य निर्माण कार्य नहीं करता, जो कि अनुबंध पंजीकरण की एक शर्त है। ठेकेदार ने पहले ही तर्क

दिया था कि सफाई/झाड़ू का कार्य निर्माण कार्य नहीं है। आडिट की दृष्टि से यह निष्कर्ष निकालना जरूरी है कि सफाई/झाड़ू कार्य अलग प्रावधानों के अंतर्गत होने चाहिए।

4.2.1.7 मानीटरिंग/क्वालिटी नियंत्रण मैकेनिज्म

(ए) उपयोगकर्ता के संतोष के अनुकूल पद्धति का न होना।

यद्यपि आवासीय कालोनियों के सुधार का कार्य आवासीय कल्याण एसो0/निवासियों से प्रस्तुत आवेदन पर शुरू किया गया, तथापि ठेकेदारों से काम निष्पादन के बाद उपयोगकर्ताओं की संतुष्टि निश्चित करने के लिए और कोई विकल्प नहीं था।

(बी) इंजीनियर द्वारा खाली टेस्ट निरीक्षण विवरण पर हस्ताक्षर करना

जांच से पता चला था कि चालू बिलों के भुगतान के लिए एई/ईई ने खाली जांच निरीक्षण विवरण पर हस्ताक्षर किये थे जिससे संकेत मिलता है कि आवश्यक जांच निरीक्षण नहीं किये गये थे। निम्न ठेकों में अनियमितताएं मिली–

प्रभाग	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	चालू कार्य
बीएम–2	पालिका आवास हाउसिंग कम्पलैक्स, सरोजनी नगर का सुधार	67/ईई बीएम–2/2012–13	प्रथम
बीएम–2	बापूधाम कम्पलैक्स डिस्पेन्सरी का सुधार	25/ईई–बीएम–2/2011–12	प्रथम
पीके	पालिका कुंज हाउसिंग कम्पलैक्स में सिरामिक ग्लैज्ड फर्स और वाल–टाइल्स लगाना।	30/ईई–बीएम–पीके/एबी2012–13	प्रथम

उक्त टिप्पणियों के संदर्भ में विभाग को मानीटरिंग मैकेनिज्म को सशक्त करना चाहिए।

4.3 कार्यो का विभाजन

आडिट से पता चला कि कार्य को हिस्सों में बांटा गया और कार्य को इस तरह से दिया गया कि वित्तीय अधिकार ई.ई. की सीमा में हो जाएं।

4.3.1 निम्न तालिका से पता चलता है कि कार्य को टुकडों /छितराकर दिया गया जो कि डिविजन में 72 से 87% तक था।

मण्डल का नाम	अनुबंध ₹5 लाख तक	कुल अनुबंध	₹5 लाख तक अनुबंध %
बीएम–1	206	245	84
बीएम–2	218	250	87
बीएम–3	138	191	72
बीएम–पीके	**211**	**245**	**86**

उक्त कालम 3 में 2010–13 के दौरान प्रभाग–वार वर्ष–वार, लागत–वार रोके गये अनुबंधों का विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है।

प्रभाग	वर्ष	कुल अनुबंध	₹2 लाख तक कुल अनुबंध	₹2 लाख से ₹5 लाख तक अनुबंधों की संख्या	₹2 लाख तक अनुबंधों का प्रतिशत	₹2 लाख से ₹5 लाख तक के अनुबंधों का प्रतिशत
बीएम-1	2010-11	88	48	23	55	26
	2011-12	107	90	6	84	6
	2012-13	50	25	14	50	28
	कुल	245	163	43		
बीएम-2	2010-11	80	55	5	69	6
	2011-12	61	54	4	89	7
	2012-13	109	48	52	44	48
	कुल	250	157	61		

प्रभाग	वर्ष	₹5 लाख तक	₹5 लाख से अधिक और ₹10 लाख तक	₹10 लाख से अधिक और ₹25	₹25 लाख से अधिक और 50 लाख तक	₹50 लाख से अधिक
बीएम-3	2010-11	28	10	16	1	1
	2011-12	42	4	6	4	0
	2012-13	68	7	3	1	0
	कुल	138	21	25	6	1
बीएम-पीके	2010-11	77	5	6	4	5
	2011-12	61	0	1	0	2
	2012-13	73	3	3	4	1
	कुल	211	8	10	8	8

कार्यों के बिखरे होने के कारण भी क्यूसीटीए विंग, सिविल इंजी. विभाग द्वारा किये जाने वाले क्वालिटी जांच करने से रह गये जिसका निरीक्षण कदाचित किया जाता है, जिसकी लागत ₹5 लाख आती है। कार्यों के बिखरे होने के कारण ₹5 लाख की लागत क्यूसीटीए कार्य से अतिरिक्त होती है।

4.3.2 वर्ष 2010-13 के दौरान पीएसओआई, सत्यमार्ग विवरण **अनुलग्नक-XXXI** के अलावा मूल सिविल कार्यों के सुधार के लिए 20 ठेकेदारों को दर्ज किया गया। कार्यों पर ₹94.15 लाख व्यय हुआ। टुकड़ो में हुए कार्य निष्पादन से यह संकेत मिलता है कि आवश्यकता का गैर-योजना प्रक्षेपण हुआ और उससे जीएमआर, 2005 के नियम 130 का उल्लंघन हुआ, जिस पर उच्च प्राधिकारी के अनुमोदन की जरूरत है। पीएसओआई क्लब के सुधार के लिए टुकड़ों में कार्य की स्वीकृति लेने से उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिए किया गया जिससे खराब परंपरा बनी। पुन: कार्यों को मिलाने से कार्यों की प्रतियोगी दरें क्वालिटी नियंत्रण प्राप्त होता है और करार में समय व प्रयास बेकार नहीं होते। **(बीएम-3 डिविजन)**

4.3.3 न.दि.न.परिषद् ने निर्णय लिया कि यूएनआईसीईएफ द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार न.दि.न.परिषद् स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार किया जाए। तद्नुसार 2009-10 के दौरान नगरपालिका प्राथमिक स्कूल 1 एवं 2, सरोजनी नगर से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर बीएम-3 ने इन दोनों स्कूलों में परियोजना के कार्यान्वयन के लिए ₹8.04 लाख की अनुमानित लागत तैयार की एवं करार क्र. 74 (2009-10) के अन्तर्गत ₹9.32 लाख की लागत से कार्य निष्पादन किया। तदनन्तर 2010-12 के दौरान ₹1.44 करोड़ की लागत से शेष स्कूलों में शेष कार्य के लिए उसी ठेकेदार को कार्य निष्पादन के लिए कार्य सौंपा गया। पुन: 2009-10 में बाला परियोजना को स्वीकार किया गया, जिसे कि एक परियोजना के रूप में शुरू किया जाना चाहिए था, न कि टुकड़ों में स्वीकृति। **(बीएम-3 डिविजन)**

4.3.4 अप्रैल 2012 में लागू प्रदत्त वित्तीय अधिकारों के अनुसार ₹10 लाख तक के मूल कार्यों के लिए ई.ई. निविदा द्वारा कार्य सौंपने के लिए अनुमति है। धोबीघाटों के रखरखाव/सुधार के लिए छुटपुट कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:

	करार संख्या	कार्य	ठेकेदार	अवधि	राशि (₹ में)
1	32	धोबीघाट, राजा बाजार	मै0 वरुन नरूला	13.07.12 से 12.09.12	5,34,903
2	36	धोबीघाट, तुगलक क्रिसेंट	मै0 वरुन नरूला	13.07.12 से 12.09.12	4,48,384
3	37	धोबीघाट, साउथ एवेन्यू	मै0 वरुन नरूला	13.07.12 से 12.09.12	8,28,776
4	44	धोबीघाट, तुगलक क्रिसेंट	मै0 मोहिन्दर कन्स्ट	14.07.12 से 13.09.12	6,11,299
5	45	धोबीघाट, कृष्णा मेमन मार्ग	मै0 मोहिन्दर कन्स्ट	14.07.12 से 13.09.12	7,50,403
6	46	धोबीघाट, के कामराज लेन	मै0 मोहिन्दर कन्स्ट	14.07.12 से 13.09.12	4,73,658
		कुल			36,47,423

आडिट से पता चला कि अधिशासी अभियंता को ₹10 लाख तक के अधिकार प्राप्त हैं। डिविजन ने कार्यों को हिस्सों में बांटा और ₹10 लाख की सीमा में कार्य को 6 टुकड़ों में बांटा ताकि सी.ई. की स्वीकृति से बचा जाए जिसको इसके लिए अधिकार प्राप्त हैं। **(बीएम-पीके डिविजन)**

ये बिखरे कार्य वित्तीय दृष्टि से विवादास्पद नहीं है, अपितु इससे अधिक व्यय, समय और परिश्रम लगा।

4.3.5 कार्यों की स्वीकृति में अनियमितता

न.दि.न.परिषद्, स्वीकृति जारी करने के उद्देश्य हेतु अतिरिक्त/वैकल्पिक मदों को विभाजित करने में अनियमितता बरत रही है । अधीनस्थ अधिकारी, अपनी प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकार तक अतिरिक्त मदों का अनुमोदन करते है, जबकि इन मदों पर कुल व्यय प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक है। उदाहरण के लिए कार्य के निष्पादन में यदि कुल अतिरिक्त मद/अतिरिक्त मात्रा ₹20 लाख है, ₹1 लाख ई.ई. द्वारा स्वीकृत होता है, ₹4 लाख एस.ई. द्वारा स्वीकृत होता है, ₹12 लाख मु.अभि. द्वारा तथा शेष ₹3 लाख अनुमोदन हेतु सचिव द्वारा की जाती है।

यह प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के विपरीत है और कुल ₹20 लाख के लिए अध्यक्ष की स्वीकृति की जरूरत होने के बादवजूद स्वीकृति के लिए उसको विभाजित कर दिया गया।

4.4 निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन नहीं

4.4.1 वित्तीय शक्तियों का असंगत प्रतिनिधित्व

विभिन्न गतिविधियों की क्रियान्वयन गणना का वित्तीय अधिकार हेतु अध्यक्ष, न.दि.न.परिषद् को अप्रैल 2012 वित्तीय अधिकार हेतु प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। प्रतिनिधितव निर्धारित करता है क जीएफआर के प्रावधान केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश, परिषद् के प्रस्ताव एवं सीपीडब्ल्यूडी नियमावली का अनुकरण अधिकारों के इस्तेमाल के समय किया जाना चाहिए।

(ए) अनुलग्नक-ए पर प्रतिनिधित्व की शक्तियों के क्र.सं. 2 के अनुसार, मुख्य अभियंता, न.दि.न.परिषद् किसी निविदा को कारण लिखकर रद्द कर सकता है जबकि सीपीडब्ल्यूडी नियमावली 20.04.8 में कहा गया है कोई भी ऐसी निविदा जिसे केन्द्रीय कार्यशाला बोर्ड/महानिदेशक (कार्यशाला)/अतिरिक्त महा-'निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाना है, किसी भी प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं कया जाना चाहिए।

सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के अनुसार उच्च प्राधिकारी (इंजी-इन-चीफ/सचिव/अध्यक्ष) के अधीन आने वाले मामले में मुख्य अभियंता को निविदा रद्द करने का अधिकार प्रदान करने से अप्रैल 2012 में प्रतिनिधित्व जारी करने में असंगति पैदा हो गयी थी।

(बी) पालिका ग्राम हाउसिंग कम्पलैक्स, सरोजनी नगर के सुधार कार्य में एल-1 निविदा (₹97.42 लाख) जून 2012 में प्राप्त हुई, जिसे नवम्बर 2012 में मुख्य अभियंता (बीएम-2) ने इस टिप्पणी के साथ रद्द कर दिया कि, ''पिछले कार्य में ठेकेदार की घटिया निष्पादन रहा और निविदा जारी करते समय दिल्ली कन्टोनमेंट, बोर्ड, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के सम्बंध झूठे दस्तावेज दिए हैं। मूल्य बोली खोलने के बाद निविदा रद्द करना सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के पैरा 15.7.1.1 में प्रावधानों के अनुसार इसमें विरोधाभास पैदा हो गया जिससे यह रूप सामने आता है पात्रता संबंधी दस्तावेजों का मूल्यांकन होना चाहिए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पार्टी को योग्य/अयोग्य किया जाए। तदुपरांत अधिसूचित समय पर योग्य निविदाओं की वित्तीय बोलियाँ खोली जाएं।

वित्तीय पेशकश खोलने से पूर्व ही अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। अतः वित्तीय बोली खोलने के बाद अयोग्य करना अनियमित/असंगत था।

4.4.2 सीपीडब्ल्यूडी नियमावली के तहत अद्यतन बदलाव का अनुकण नहीं।

अधिकार प्रदान करने सम्बंधी अनुलग्नक-ए के क्र.सं. 13 के अंतर्गत, विभिन्न कार्यो के लिए अधिकार दिए गये हैं, उनसे निविदा में निर्धारित मदों की अतिरिक्त मात्रा और अलावा स्वीकृति/पूरक मदों का कार्य दिया जा सकता है। 7 दिसम्बर, 2012 को रूपांतरित सीपीडब्ल्यूडी कार्य नियमावली के अनुसार अधिकतम 30% की बजाय 25% अतिरिक्त का प्रावधान सीमित है।

सीपीडब्ल्यूडी में दिसम्बर 2012 से प्रभावी इस आदेश या ऐसे ही परिवर्तन न.दि.न.परिषद् में भी मई 2013 से लागू है।

सामान्य महत्वपूर्ण आदेशों और उनके कार्यान्वयन के लिए इंजीनियरिंग अधिकारी द्वारा बिना विलम्ब के डिविजनों का जारी किये जाने हैं। तथापि आडिट से पता चला कि उक्त आदेश समय पर डिविजिनों को जारी नहीं किये गये जैसा कि ईई (बीएम-II) दिनांक 6 नवम्बर के नोट में प्रमाण है कि पालिका ग्राम हउसिंग कम्पलैक्स, सरोजनी नगर में न.दि.न.परिषद् द्वारा ठेकेदारों के लिए अपनाई गयी नीति को डिविजन द्वारा परिचालित नहीं किया गया।

अध्याय - 5

सिविल इंजीनियरिंग विभाग

5.1 सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) सुविधाभोगी के विरूद्ध ₹16.58 लाख के लाइसेंस शुल्क की वसूली न होना।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने मैसर्स पी आर बिल्डर्स के साथ (जून 2005 में) पुरूषों हेतु चार यूरिनल ब्लॉक्स (शिवाजी स्टेडियम के समीप 2 तथा ऑल इंडिया इस्टिट्यूट ऑफ मैडिकल साइंस के समीप 2) के निर्माण के लिए बनाओ, चलाओ और सौंपों (बीओटी) आधार पर 7 वर्षों की अवधि हेतु एक करार किया है।

करार की शर्तों के अनुसार सुविधाभोगी को निम्न प्रकार से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना था:-

(क) पहले दो वर्षों हेतु ₹ 36,000/- प्रति वर्ष प्रति यूरिनल ब्लॉक।

(ख) अगले दो वर्षों हेतु ₹ 36000/- जमा 10 प्रतिशत प्रति यूरिनल ब्लॉक।

(ग) अगले दो वर्षों हेतु ₹ 36,000/- जमा 20 प्रतिशत प्रति वर्ष प्रति यूरिनल ब्लॉक।

(घ) सातवें वर्ष हेतु ₹ 36,000/- जमा 30 प्रतिशत प्रति वर्ष प्रति यूरिनल ब्लॉक।

ये सभी भुगतान अग्रीम रूप से तिमाही में किए जाने थे।

तथापि, सुविधाभोगी द्वारा केवल तीन शौचालय खण्डों का निर्माण किया गया था- एम्स के समीप अरबिन्दो मार्ग पर दो तथा शिवाजी स्टेडियम के समीप एक। चौथा शौचालय खण्ड जिसकी शिवाजी स्टेडियम के लिए योजना थी, इसके पास साइट की उपलब्धता न होने के कारण निर्माण नहीं किया जा सका। तत्पश्चात् तत्कालीन अध्यक्ष ने जनवरी 2006 में शहीद भगत सिंह प्लेस, गोल मार्किट में चौथे यूरिनल ब्लाक के निर्माण का अनुमोदन किया था। तथापि, उक्त का भी उस स्थान पर निर्माण नहीं किया गया था। जब कारक[6] के क्लाज 15 के अन्तर्गत जुर्माना लगाने के मुद्दे पर विधि विभाग तथा वित्त विभाग के साथ विचार विमर्श किया गया तो यह पाया गया था कि विभाग के पास ऐसा

[6]प्रत्येक स्थल के वास्तविक कब्जे का सौंपने की तिथि से 3 मास की अवधि के भीतर सुविधा-भोगी को निर्माण पूरा करना आवश्यक हैं। निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण होने में बोलीदाता की ओर से असफल होने पर संबंधित जन-सुविधा की कुल अनुमानित लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत की शर्त पर जन-सुविधाओं की कुल अनुमानित लागत के 1 प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर पर मुआवजा देने हेतु सुविधा भोगी उत्तरदायी हैं।

कोई रिकार्ड नहीं था जो यह प्रमाणित करता कि शहीद भगत सिंह प्लेस, गोल मार्किट पर साइट को वास्तविक रूप से सुविधाभोगी को सौंप दिया गया था। परिणामस्वरूप चौथे यूरिनल ब्लॉक का न ही निर्माण किया जा सका और न ही ब्लॉक का निर्माण न होने पर सुविधाभोगी पर कोई जुर्माना ही लगाया गया।

आडिट ने पुन: बताया कि विभाग द्वारा बनाए गए मांग तथा संग्रहण रजिस्टर के अनुसार जुलाई 2012 को सुविधाभोगी के विरूद्ध लाइसेंस शुल्क का भुगतान न होने के कारण देय ब्याज के अतिरिक्त ₹16.58 लाख का लाइसेंस शुल्क बकाया है।

मांग तथा संग्रहण रजिस्टर में रिकार्ड के अनुसार देय बकाये का विवरण निम्न प्रकार से है:–

तक देय बकाया	राशि (₹ में)
31 मार्च 2009	3,51,645
31 मार्च 2010	6,38,465
31 मार्च 2011	10,06,699
31 मार्च 2012	14,85,649
31 जुलाई 2012	**16,57,778 अर्थात् ₹ 16.58 लाख**

जुलाई 2012 के बाद, पश्चातवर्ती मासों के लिए बकाया देय राशि बिना कोई कारण बताये अग्रेनीत नहीं किया गया तथा अगस्त, 2012 से अगले मासों का ब्यौरा नहीं दिया गया तथा मांग एवं संग्रहण रजिस्टर में इसे अंकित नहीं किया गया। जाँच करने पर, विभाग ने पुष्टि की है कि इस देय राशि की अब तक वसूली नहीं हुई है।

मामले को विभाग के नोटिस में जुलाई 2014 में लाया गया था। इस संबंध में विभाग से टिप्पणियाँ/स्पष्टीकरण अब तक प्रतीक्षारत है। (अक्टूबर 2014)

अध्याय-6

सम्पदा विभाग

6.1 सेलूलर तथा बेसिक टेलीकॉम रेगूलटर्स द्वारा 8 वर्षों के लिए कम्यूनिकेशन टावरों के संस्थापन हेतु लाइसेंस शुल्क का संशोधन न होना तथा पूर्व संशोधित न्यूनतम दरों पर ₹1.64 करोड़ के लाइसेंस शुल्क की वसूली न होना।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने अपने प्रस्ताव सं. 3(XXVIII) दिनांक 08.08.2002 द्वारा सेलूलर तथा बेसिक टेलीकॉम रेगूलेटर्स द्वारा कम्यूनिकेशन टावर्स के संस्थापन हेतु ₹25 प्रति वर्ग फुट की मासिक लाइसेंस शुल्क प्रतिमास पर अनुमति प्रदान करने की तिथि से न्यूनतम देय ₹25,000/- प्रति मास की शर्त पर अनुमति प्रदान की गई। तद्नुसार, शुरू-शुरू में तीन वर्षों की अवधि हेतु अथवा टेलीकॉम विभाग द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस की अवधि जो भी पहले हो, के लिए साइटों का आवंटन वर्ष 2002 में आवंटन किया गया था।

इस संबंध में आडिट ने पाया कि:-

(क) यद्यपि, टेलीकॉम कम्पनियों को प्रदान की गई अनुमति की वैधता की अवधि बहुत पहले अगस्त 2005 में समाप्त हो गई थी, लाइसेंस शुल्क की दरें अगस्त 2002 में निर्धारित की गई थी, 8 वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद भी संशोधित नहीं की गई है परिणामस्वरूप इस खाते से अत्यधिक राजस्व अर्जित करने के अवसर को खो दिया है।

(ख) विभिन्न संबंधित विभागों जैसे सम्पदा-1, वास्तुविद एवं पर्यावरण तथा सिविल इंजीनियरिंग के बीच सामंजस्य न होने के कारण, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् मोबाइल कम्पनियों द्वारा स्थापित टावरों की वास्तविक संख्या तथा इस प्रयोजन हेतु उनके द्वारा उपयोग किए जा रहे क्षेत्र की गणना करने में भी समर्थ नहीं है। इन विवरणों के अभाव में, न.दि.न.परिषद् ₹25000/- प्रति मास प्रति साइट की न्यूनतम राशि वसूल रही है।

(ग) सम्पदा-1 विभाग 06 कम्पनियों से परिचालित न्यूनतम दर[7] आधार पर लाइसेंस शुल्क वसूलने में असफल रहा। 31 मार्च, 2013 को ₹1.64 करोड़ की राशि का लाइसेंस शुल्क, निम्न वर्णन अनुसार छः वर्णित कम्पनियों से वसूलनीय है:-

[7] ₹25000/- प्रतिमास प्रति साइट

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	बकाया की अवधि	बकाया राशि (₹ में)
1.	मै0 रिलायन्स इन्फो. का.लि.	2001-02	29,91,364
2.	मै0 टाटा टेली सर्विस लि.	2009-10	35,67,581
3.	मै0 आइडिया	2001-02	47,09,075
4.	मै0 भारती सेलूलर लि.	2005-06	19,44,137
5.	मै0 हच (वोडाफोन)	2005-06	5,07,962
6.	मै0 एमटीएनएल	2005-06	27,28,799
	जोड़		**1,64,48,898 ₹ 1.64 करोड़**

पार्टी अनुसार तथा वर्षानुसार **अनुलग्नक -XXXII** में राशि का बकाया वर्णित है।

मई, 2014 में सम्पदा-**I** विभाग के नोटिस में मामला लाया गया; प्रत्युत्तर प्रतीक्षारत् है ।

अध्याय-7

प्रवर्त्तन विभाग

7.1 पार्किंग अनुबन्ध के लाइसेंस शुल्क की अनियमित कटौती।

परिषद् के प्रवर्तन विभाग ने (मार्च-2011) इनर तथा आऊटर सर्कल, कनाट प्लेस (ग्रुप-1) पर 19572 वर्ग मी. परिमाप के पार्किंग स्थल को श्री पिन्टू (ठेकदार) को अप्रैल 2011 से प्रारम्भ दो वर्षो की अवधि हेतु ₹34,56,999/- प्रति मास की दर जमा लागू कर पर आवंटित किया था। ठेकेदार को ₹2,07,41,994/- दो मासिक अग्रीम लाइसेंस शुल्क के साथ में (₹69,13,998/- तथा प्रतिभूति के रूप में ₹1,38,27,996/- चार मासिक लाइसेंस शुल्क के समान) की राशि भी जमा करानी अपेक्षित थी।

साइट का कब्जा लेने के बाद, ठेकेदार ने प्रवर्तन विभाग को (अप्रैल-2011) सूचित किया कि पार्किंग स्थल हेतु उपलब्ध वास्तविक क्षेत्र निविदा दस्तावेजों में इंगित क्षेत्र से कम है शिकायत के आधार पर, प्रवर्तन विभाग ने आंतरिक रूप से पार्किंग स्थल उपलब्ध वास्तविक क्षेत्र को पुन: रखा गया तथा उक्त को 2776 प्रति वर्ग मी. (जुलाई-2011) से कम किया गया तथा परिणामस्वरूप लाइसेंस शुल्क ₹34,56,999/- प्रति मास से कम होकर ₹29,66,675/- प्रति मास हो गया। इस प्रक्रिया की पारदर्शिता तथा निस्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए किसी स्वतंत्र समिति का गठन नहीं किया गया था। अध्यक्ष महोदय की सहमति भी नहीं ली गई थी।

आगे, सितम्बर 2012 में ठेकेदार के अनुरोध पर, कनाट प्लेस के पुनर्विकास से संबंधित चल रहे कार्यो के कारण प्रभावित क्षेत्र को भी निकाला गया था इससे ठेकेदार को अप्रैल 2011 से नवम्बर 2011 की अवधि हेतु ₹45,09,788/- की छूट की भी अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 01.04.2011 से 15.05.2011 तक। ई आई एल के कब्जे में पार्किंग क्षेत्र हिस्सों के कारण लाइसेंस शुल्क की कटौती हेतु आधार की प्रमाणिकता/जांच मुख्य अभियंता द्वारा न कर अधिशासी अभियंता (ईई) द्वारा की गई थी।

विभाग को पद्धति की व्याख्या करने का कहा गया, जिसमें निर्धारित समय फ्रेम के भीतर पांर्किग क्षेत्र के मामले पर निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बगैर, सफल निविदादाता को लाभ दिया गया ।

आडिट ने अवलोकन किया कि:-

(क) पार्किंग स्थल का क्षेत्र अनुबंध का मुख्य विषय होते हुए भी निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के जारी होने से पूर्व निर्धारित होना चाहिए। यदि निविदा में क्षेत्र का सही प्रकार से निर्धारण नहीं हुआ था तो इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए था।

(ख) यदि पार्किंग स्थल के भाग के रूप में आवंटन हेतु निविदा क्षेत्र का 14 प्रतिशत उपलब्ध नहीं पाया गया था तो विभाग को निविदा प्रक्रिया को निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाने के लिए पुनः निविदा प्रक्रिया की जानी चाहिए थी।

विभाग ने प्रत्युत्तर दिया (अक्टूबर 2014):

(i) तत्कालीन निदेशक (प्रवर्त्तन) जो निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार इन मामलों में सक्षम प्राधिकारी थे, ने पार्किंग क्षेत्र के पुनः निर्धारण का अनुमोदन किया तथा प्रो-राटा के आधार पर पार्किंग लाइसेंस फीस में कटौती की ।

(ii) यह माना गया कि दिनाँक 01.04.2011 से दिनाँक 15.05.2011 तक की अवधि हेतु ई.आई.एल. की स्थिति हेतु रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिशासी अभियंता सक्षम प्राधिकारी है, जिसके आधार पर ठेकेदार को ₹4509788/- की छूट दी गई है जैसाकि रिपोटिंग इंजि. स्टॉफ को पदानुक्रम संबंधित कोई निर्देश विभाग को नहीं दिए गए ।

(iii) पार्किंग लाट्स को नापने तथा निविदा जारी करने की प्रक्रिया को समय में सीमित नहीं लिया जा सकता । निविदा में वर्णित क्षेत्र में अंतर तथा ठेकेदार को सौंपना शेष रहता है क्योंकि क्षेत्र को नापने तथा निविदा आमंत्रण सूचना को जारी करने के साथ-साथ ठेकेदार को पार्किंग लाट्स का कब्जा सौंपने के मध्य अन्तराल अवधि रहती है।

(iv) निविदा खोलने की तिथि तक, जैसा कि विभाग के पास कोई सूचना नहीं थी, कि क्या उस क्षेत्र में कोई अंतर है जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, तथा सफल निविदादाता को वास्तविक क्षेत्र सौंपा गया है, निविदा रद्द किया जाना संभव नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त नई निविदा आमंत्रण में काफी समय, एवं राजस्व लागत की हानि होगी ।

तथ्य यह है कि:

(अ) विभाग ने निविदाएँ आमंत्रित की तथा पार्किंग लाट्स के वास्तविक क्षेत्र का निर्धारण किए बगैर अनुबंध सौंपा गया, जो कि अनुबंध का मुख्य विषय था।

(ब) क्षेत्र में कटौती की अनुमति दी गई तथा परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस में कटौती हुई, जो दो वर्ष हेतु ₹1.18 करोड़ है जिसे एक स्वतंत्र समिति के द्वारा किया जाना चाहिए था।

(स) पुनः विभाग को अधिशासी अभियंता (कनाट प्लेस परियोजना) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर दिनाँक 01.04.2011 से दिनाँक 15.05.2011 तक की अवधि के दौरान कनाट प्लेस के पुनःविकास के चालू कार्य के साथ ई.आई.एल. के कब्जे में क्षेत्र के संबंध पर ठेकेदार को ₹45.10 लाख की राशि की लाइसेंस फीस में कटौती की अनुमति दी गई ।

(द) इस प्रकार, विभाग ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्यवाही के अवलोकन के बगैर ठेकेदार को ₹1.63 करोड़ के कुल लाभ में विस्तार किया ।

अध्याय-8

प्रवर्तन भवन नियमन विभाग

8.1 ढ़हाऊ प्रभारों की दरों को नियत करने में अनुचित विलम्ब तथा अनधिकृत निर्माण पर जुर्माने की वसूली न होना

न.दि.न.परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 247 के अनुसार, परिसरों के स्वामी/कब्जाधारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है जहाँ अनधिकृत निर्माण की सूचना होती है तथा तर्कसंगत अवसर देने के बाद, अधिनियम के अनुसार, विहित समय के भीतर स्वामी/कब्जाधारी द्वारा स्वयं गिराने के लिए अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा ढ़हाऊ आदेश पास किया गया है।

जब ऐसे परिसरों के स्वामी/कब्जाधारी अपनी लागत पर स्वयं अनकृित निर्माण को गिराने में असफल होने पर, न.दि.न. परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 247(6) के अन्तर्गत न.दि.न.परिषद् द्वारा उक्त को गिराया जाता है तथा न.दि.न. परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 355 के अन्तर्गत स्वामी/कब्जाधारी से ऐसे ढहाने के व्यय की वसूली की जाती है। पुन: न.दि.न.परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 369(1) के अन्तर्गत, जुर्माना, जोकि ₹5,000/- तक हो सकता है, ऐसे प्रत्येक उल्लंघन के लिए वसूला जा सकता है।

आडिट ने पाया कि:-

अप्रैल 2008 से मार्च 2013 की अवधि के दौरान न.दि.न.परिषद् के प्रवर्तन भवन नियमन विभाग ने न.दि.न.परिषद् अधिनियम 1994 के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु 100 परिसरों को सील किया तथा 188 परिसरों को गिराया गया था। किन्तु अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानों में स्पष्ट रूप से होने के बावजूद कोई जुर्माना नहीं लगाया गया। न.दि.न.परिषद् ₹ 14.40 लाख (₹5000/- प्रति मामला) तक जुर्माने लगा सकती थी।

वर्ष	परिसरों को सील करने की संख्या	परिसरों को गिराने की संख्या	बकाया जुर्माना (₹)
2008-09	50	27	3.85 लाख
2009-10	13	87	5.00 लाख
2010-11	11	34	2.25 लाख
2011-12	16	19	1.75 लाख
2012-13	10	21	1.55 लाख
कुल	**100**	**188**	**14.40 लाख**

न.दि.न.परिषद् को वित्तीय लाभ के अतिरिक्त, जुर्मानों को लगाने के लिए न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण को रोकने के रूप में भी जांच कर सकती थी ।

ढ़हाऊ प्रभारों को वसूलने के संबंध में जहाँ स्वामी अनधिकृत निर्माण को गिराने में स्वयं असफल होता है तब तथा परिषद् द्वारा नियत किसी दर के न होने पर, उक्त को न.दि.न.परिषद् द्वारा किया जाता है। अनधिकृत निर्माण के स्वामी/कब्जाधारी से ऐसा कोई प्रभार वसूला नहीं जा रहा है। समान मामलों में, दिल्ली नगर निगम अप्रैल 2001 से ₹5,250/- प्रति घण्टे की दर पर ढहाऊ व्यय के प्रभार ले रहे हैं। यद्यपि, तत्कालीन अधिशासी अभियंता (ईबीआर) ने फरवरी 2009 में ₹10,000/- प्रति घण्टे की दर पर अधिकतम ₹80,000/- प्रतिदिन की शर्त पर ढ़हाऊ प्रभार को लगाना प्रस्तावित किया था, इस संबंध में न.दि.न.परिषद् द्वारा (जून 2014) तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

न.दि.न.परिषद् के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्र के रूप में मुख्य महत्त्व का है, अनधिकृत निर्माणों पर लगाये जाने वाले ढहाऊ प्रभारों की दरों के संबंध में एक नीति निर्णय को प्राथमिकता आधार पर लिए जाने की आवश्यकता है।

विभाग ने बताया (दिसम्बर, 2014) कि (i) सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत निर्माण को गिराने का कार्य सम्पदा विभाग द्वारा किया गया (ii) अनाधिकृत निर्माणों को गिराने हेतु वसूली की पद्धति तथा जुर्माना लगाने हेतु एकरूप नीति अपनाए जाने की आवश्यकता है और (iii) ऐसे जुर्माने लगाने हेतु शक्तियॉ अधिकारियों को प्रत्यायोजित करने/निर्णय लेने हेतु भी आवश्यक हैं।

ई.बी.आर. विभाग, सभी संबंधित से परामर्श में, परिषद् के तथा साथ ही नई दिल्ली के नगरपालिका क्षेत्र के उत्तम हित में शीघ्र ही अनाधिकृत निर्माणों पर गिराने के प्रभारों को लगाने के लिए दरों के निर्धारण हेतु नीति तैयार करें ।

अध्याय - 9

वित्त एवं लेखा विभाग

9.1 विविध अग्रीमों का समंजन न होना ₹ 4.83 करोड़

सामान्य वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 292(1) के अनुसार, कार्यालय प्रमुख को सामग्री तथा सेवाओं के क्रय अथवा कार्यालय के प्रबंधन हेतु आवश्यक कोई अन्य विशेष उद्देश्य हेतु सरकारी कर्मचारियों को अग्रीम स्वीकृति करने के लिए अधिकृत होता है।

पुन: नियम 292(2) उपबंधित करता है कि शेष के साथ विविध अग्रीम के बिल समंजन को, यदि कोई है, सरकारी कर्मचारी द्वारा अग्रीम को प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर जमा कराना होगा, जिसके न होने पर अग्रीम अथवा शेष की वसूली उसके अगले वेतन से की जाएगी।

आडिट ने पाया कि विभिन्न प्रयोजनों हेतु विभिन्न विभागों/प्रभागों के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बड़ी संख्या में विविध अग्रीमों का किया गया भुगतान पर्याप्त समय के लिए समायोजन लंबित है। **अनुलग्नक-XXXIII** में इंगित अनुसरण कुछ विभागों/प्रभागों की जांच से ज्ञात हुआ कि मार्च 1987 से मार्च 2013 के मध्य **₹4.83** करोड़ की कुल राशि ली गई थी तथा 1 से 27 वर्षों से असमंजित पड़े हुए पाए गए। ये सभी मामले पुराने हैं तथा कुछ तो दशकों पुराने हैं, इनकी विस्तृत रूप से समीक्षा की किए जाने की आवश्यकता है तथा अव्ययित राशि, यदि कोई है, तो उसे लागू दरों पर ब्याज के साथ पूरी तरह वसूला जाए।

नीचे दी गई तालिका में अग्रीमों की मात्रा तथा अवधि जब से अग्रीमों का भुगतान/प्राप्ति की गई थी, को दर्शाया गया है।

प्राप्ति की अवधि	**मामलों की संख्या**	**अग्रीम बकाया की राशि (₹)**
मार्च 1987 से मार्च 2000	14	1,67,658
अप्रैल 2000 से मार्च 2005	36	10,81,231
अप्रैल 2005 से मार्च 2010	147	92,23,754
अप्रैल 2010 से मार्च 2013	319	2,06,77,664
अवधि विनिर्दिष्ट नहीं है	113	1,71,28,397
जोड़	**629**	**4,82,78,704 ₹ 4.83 करोड़**

यद्यपि, ऐसे मामलों की रिपोर्ट ऑडिट द्वारा नियमित रूप से संबंधित विभागाप्रमुखों को स्थानीय आडिट रिपोर्ट, बकाया अग्रीमों की मात्रा तथा आसामान्य लम्बे समय से लम्बिंत अवधि अप्रर्याप्त मानिटरिंग क्रिया प्रणाली की सूचक है जिसमें अंतत: परिणामस्वरूप विभागों द्वारा समय पर की गई कार्यवाही की कमी है।

पुन: जैसेकि कुछ अग्रीम बहुत पुराने हो गए हैं, संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नौकरी छोड़ने अथवा मृत्यु, सेवानिवृति के कारण अव्ययित राशि के पुन: वसूली के अवसर भी रद्द नहीं किये जा सकते जैसेकि सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अन्तर्गत बट्टे खाते में डालने की कार्रवाई अपेक्षित है।

लेखा विभाग ने सूचित किया कि 31 मार्च, 2013 को कुल बकाया अग्रिम ₹45.27 करोड़ निकाला गया, (दिसम्बर, 2014) को घोषित किया कि बकाया अग्रिमों की सूची संबंधित विभागों/प्रभागों को शीघ्र निपटान हेतु भेजी जा रही है।

संबंधित विभाग प्रमुख, उनके अन्तर्गत कार्यरत् लेखा पदाधिकारियों के सहयोग से उनके विभाग के साथ लम्बित ऐसे सभी मामलों की पूर्णत: जांच तथा अनिवार्य संमजन/वसूलियॉ अथवा बट्टे खाते में डालने, जैसा भी मामला है, समयबद्ध पद्धति में किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय- 10

10.1 बोलियों के लिए समय सीमा निश्चित किए बिना ही प्रथम आमंत्रण में एक मात्र बोलीदाता से ₹15 लाख में 25 पावर लॉन मोअर्स की खरीद अवैध और जल्दबाजी में की गई कार्यवाही ।

उद्यान विभाग ने 25 नग 20'' पावर लॉन मोअर्स के क्रय का निर्णय लिया गया तथा इसलिए (4 जनवरी 2012) जनसम्पर्क विभाग को उक्त हेतु समाचारपत्रों में निविदा सूचना प्रकाशन का प्रबंध करने के लिए अनुरोध किया था।

दिनांक 9 जनवरी 2012 को समाचारपत्रों में निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि 23 जनवरी 2012 के साथ निविदा का प्रकाशन हुआ था। प्रत्युत्तर में, केवल एक निविदा मैसर्स इंडियन रबर इंडस्ट्रीज से प्राप्त की गई थी। पुनः निविदा कराए बिना ''20'' आकार के पावर लॉन मोअर्स की आपूर्ति'' का कार्य मै. इंडियन रबर इंडस्ट्रीज को दिनांक 14 मई 2012 को उनकी उद्धत राशि ₹15.00 लाख पर सौंप दिया था आपूर्तिकर्ता ने 27 जून 2012 को आपूर्ति कर दी थी तथा आपूर्तिकर्ता को 24 जुलाई 2012 को भुगतान कर दिया था।

इस संबंध में, आडिट ने पाया कि:-

(i) जीएफआर 2005 के नियम 150(वी) के अन्तर्गत विहित अनुसार बोलियाँ को प्रस्तुतीकरण हेतु न्यूनतम समय निविदा सूचना के प्रकाशन की तिथि से 3 सप्ताह है तथापि, विभाग ने इस अनुबंधित समय सीमा का अनुपालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप केवल एक पेशकश प्राप्त की गई थी।

यह केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिशा-निर्देशों (धारा 6.2) का भी उल्लंघन है जिसमें कि प्रकाशन तिथि से 4-6 सप्ताह पहले आपात मामलों को छोड़कर, निविदाएं खोलना निषिद है, जिसमें उचित समय दिया जाना चाहिए । खरीदे गए मदों (लॉन मोअर्स) को आपात मदों के रूप में नहीं सुझाया गया ताकि उसके लिए निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि से 4-6 सप्ताह तक प्रतिक्षा नहीं की जा सकती थी । पुनः दस्तावेज में यह बात भी दर्ज नहीं है कि इन मदों तुरन्त जरूरत थी ।

(ii) यद्यपि निविदा सूचना 09 जनवरी, 2012 को छपी तथा 23 जनवरी, 2012 को खुली, परन्तु निविदा खोलने से 5 मास से भी अधिक समय में दिनाँक 27 जून, 2012 को आपूर्ति प्राप्त हुई। विभाग द्वारा लिखा गया कि अत्यावश्यकता को देखते हुए बोली पर प्रक्रिया की गई, परन्तु जरूरी मदों की आपूर्ति में वस्तुतः विलम्ब हुआ।

(iii) प्रथम आमंत्रण होते हुए भी विभाग को केवल एक बोली प्राप्त हुई, इस तरह की प्रतियोगी दरों से निविदा में कोई लाभ नहीं हुआ। यह परिषद् के प्रस्तावों का उल्लंघन है जिसमें पर्याप्त प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए थी अथवा विभिन्न मदों की खरीद हेतु एक बोली रद्द की जाती है ।

(iv) लेखा परीक्षा से पता चला कि लॉन मोअर्स एकदम सामान्य मदें हैं मार्किट में इसके अनेक आपूर्तिकर्त्ता हैं। नई दिल्ली और एन.सी.आर. में 25 से अधिक पुराने आपूर्तिकर्त्ता हैं । अत: प्रथम आमंत्रण में एकमात्र बोली को स्वीकारने का कोई औचित्य नहीं है ।

(v) न.दि.न.परिषद् में उद्यान विभाग द्वारा प्राप्त शक्तियों के प्रयोग के अनुसार एकमात्र बोली को स्वीकार करने के लिए विभागाध्यक्ष को ₹ 2 लाख तक की खरीद के लिए, संबंधित सहायक लेखा अधिकारी के परामर्श से प्राधिकृत है। ₹15 लाख की एकमात्र बोली खरीद के लिए निदेशक (उद्यान) के समक्ष नहीं है। सहायक वित्तीय सलाहकार (वित्त) का विचार भी यह है कि विभाग को इसके लिए पुन: कोशिश या प्राप्ति व व बोली को खोलने की समय सीमा बढ़ानी चाहिए थी । तथापि दरों की उचितता और न्यायसंगत की सूचना तथा निदेशक (उद्यान) की विशेष सिफारिश को दृष्टिगत् रखते हुए वित्त विभाग प्रस्ताव पर संस्वीकृति प्रदान करता है।

(vi) विभाग का मुख्य तर्क था कि एक बोलीदाता से कुल 25 नगों के प्रस्तुत ₹59,999/- प्रति नग दर औचित्य से कम थी और सहायक वित्तीय सलाहकार (वित्त) ने की उसी तर्क के आधार पर प्रस्ताव पर अपने संस्वीकृति दे दी थी । तथापि ऑडिट ने पाया कि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दरें प्रचलित मार्किट दरों से अधिक थी। इस पर भी, बोलीदाता द्वारा अपने सूची में इस मद की भी कीमत पर्याप्त (₹50,000/- प्रति नग) अंकित की थी ये दरें 25 पावर लॉन मोअर्स को इक्कठ्ठे खरीदने पर नीचे जा सकती थी।

(vii) निविदा दस्तावेज की धारा 2.3 की शर्तों व नियमों के अनुसार इस लेखे में कोई भी भुगतान करने से पूर्व आपूर्तिकर्त्ता को न.दि.न.परिषद् में पंजीकृत किया जाना चाहिए था। न.दि.न.परिषद् में पंजीकृत न किये जाने पर भी उसे ₹15 लाख का पूर्ण भुगतान कर दिया गया ।

विभाग ने बताया कि (अक्टूबर 2014):

(i) सी.पी.डब्ल्यू.डी. नियमावली 2012 में निविदा प्रचार के लिए समय सीमा संबंधी धारा 17.5 में तत्संबंधी निविदा प्रचारार्थ अनुपालन किया गया।

(ii) सम्पूर्ण मशीनरी/तकनीकी संबंधी ई-निविदा हेतु सीमित डील में और निर्माताओं को देखते हुए तथा प्रस्तुत दरों का औचित्य अनुमान से कम होने के कारण वित्त विभाग ने तत्संबंधी प्रस्ताव पर सहमति दी है।

जल्दबाजी में खरीद का औचित्य दिये बिना प्राप्त अधिकारों केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश, जी.एफ.आर. के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वर्तमान मार्किट दरों में अपेक्षाकृत अधिक दरें बोलीदाता से पॉवर लॉन मोअर्स उद्यान विभाग द्वारा खरीदने का तथ्य शेष रहता है। पुन: आपूर्तिकर्त्ता को न.दि.न.परिषद् में पंजीकृत किए बिना उसे पूर्ण भुगतान कर दिया जबकि निविदा दस्तावेजों की शर्तों व नियम की धारा 2.3 के अनुसार पंजीकरण अनिवार्य था।

10.2 के.लो.नि.वि. कॉलोनी पार्कों के रखरखाव प्रभार हेतु दावे का कार्यान्वयन ना करना।

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 11 के अनुसार, परिषद् के अनिवार्य कार्यों में वर्णित से संबंधित मामलों के लिए पर्याप्त प्रावधानों को करने के लिए परिषद् पर इसकी जिम्मेदारी होगी। तथापि, जहाँ किसी भी कार्य का निष्पादन सार्वजनिक हित में केन्द्र सरकार के सचिव की मांग पर किसी भी समय किए जाने की आवश्यकता स्पष्ट समझौते के साथ ऐसे निष्पादन के लिए कार्य की लागत का व्यय अस्थाई रूप से नगरपालिका परिषद् की विधि से किया जा सकता है तथा केन्द्र सरकार द्वारा उक्त के निष्पादन में नियुक्त स्थापना को भुगतान किया जाएगा एवं अधिनियम की धारा 51 के नियमों के अन्तर्गत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् निधि में जमा किया जाएगा।

19 जुलाई 2007 को आयोजित न.दि.न.परिषद् की अधिकृत समिति की बैठक में जहाँ है जैसा है के आधार पर दिनांक 1 अप्रैल 2007 शांति पथ के लॉन सहित कॉलोनियों के खुले हरित क्षेत्र को छोड़कर 254 एकड़ के क्षेत्र सहित के.लो.नि. विभाग की 35 कॉलोनियों के 981 पार्कों के रखरखाव कार्य को करने का निर्णय लिया। अधिकृत समिति बैठक में निम्नलिखित निर्णय भी लिए गए थे:-

(क) शहरी विकास मंत्रालय ने शांति पथ तथा हस्तांतरित कॉलोनी पार्कों के रखरखाव तथा उन्नयन पर व्यय को करने के लिए सेवा प्रभार तथा अनुदान सहायता के रूप में निधि प्रदान करने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

(ख) के.लो.नि.वि. के हस्तांतरित कालोनी पार्कों के रखरखाव पर व्यय की बुकिंग के लिए उप-लेखा शीर्ष को खोला जा सकता है।

परिषद् ने दिनांक 21 नवम्बर 2007 के अपने प्रस्ताव में पारित किया कि विभाग प्रारम्भ में नगरपालिका निधि से खर्च का कार्य को पूरा करने के लिए आगे की कार्रवाई करे किन्तु बाद में दिल्ली सरकार तथा/अथवा शहरी विकास मंत्रालय के साथ परियोजना के लिए अनिवार्य निधि प्रदान करने की जिम्मेदारी लें।

न.दि.न.परिषद् ने 1 अप्रैल 2007 से दैनिक मजदूरों को नियुक्त कर पार्कों का रखरखाव आरम्भ कर दिया। के.लो.नि. विभाग कालोनी पार्कों के रखरखाव तथा उन्नयन हेतु निधि आवसन हेतु मामले को फरवरी 2008 में लिया गया था। मार्च 2013 तक, इन पार्कों के रखरखाव पर ₹12.27 करोड़ व्यय किए गए। किन्तु कालोनी पार्कों के रखरखाव पर अत्यधिक व्यय करते समय न.दि.न.परिषद् के साथ शहरी विकास मंत्रालय ने मामले पर सक्रियता से कार्यान्वयन नहीं किया गया था। हालांकि इस कार्य हेतु शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कोई निधि/अनुदान सहायता नहीं प्रदान की गई है। पर्याप्त राशि (₹ 12.27 करोड़) के रूप में शहरी विकास मंत्रालय से वसूली जानी बकाया है उचित स्तर पर कठिन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

विभाग ने बताया कि (दिसम्बर 2014) यह मामला शहरी विकास मंत्रालय को भेजा गया और उन्हें यह सूचित किया गया कि न.दि.न.परिषद् के लिए के.लो.नि.वि. से न.दि.न.परिषद् क्षेत्र में के.लो.नि.वि. और कॉलोनी के पार्कों के हस्तांतरण और शांति पथ के लिए न.दि.न.परिषद् से राजपथ लॉन के स्थानांतरण के दौरान यह समझा गया कि रखरखाव करने वाली एजेंसियाँ इसका व्यय वहन करेगी । जोकि बाद में न.दि.न.परिषद् के द्वारा रखरखाव किया गया और इसी प्रकार शांतिपथ और कॉलोनी पार्कों के रखरखाव का व्यय न.दि.न.परिषद् वहन करेगी । के.लो.नि.वि. कॉलोनी/पार्कों पर किये गये व्यय की वसूली के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

शहरी विकास मंत्रालय से वसूली के संबंध में परिषद् के प्रस्ताव नवम्बर 2007 की दृष्टि से विभाग का स्पष्टीकरण मान्य नहीं है। पुनः नवम्बर 2012 के बाद बकायों की वसूली के लिए विभाग ने कोई प्रयास नहीं किया ।

अध्याय- 11

जनसम्पर्क विभाग

11.1 नेहरू पार्क में सांस्कृति कार्यक्रमों के आयोजन पर ₹22.36 लाख का अनियमित व्यय

कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देना तथा नागरिकों की जीवन शैली का उन्नयन परिषद् के विवेकाधीन कार्यो में से एक है जैसेकि न.दि.न.परिषद् अधिनियम 1994 की धारा 12 में वर्णित है इस विवेकाधीन कार्य को दृष्टिगत, परिषद् ने दिनांक 11 अक्टूबर 2002 के अपने प्रस्ताव सं. 3(XIV) में प्रायोजकों की सहायता से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की योजना का अनुमोदन किया इस प्रकार नगर निकाय पर वित्तीय दायित्व का कोई भार नहीं हो सकता है।

परिषद् द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, कार्यक्रमों से संबंधित सभी व्यय प्रायोजनक द्वारा वहन किए जाने है तथा परिषद् केवल कार्यक्रम के लिए बिजली खपत की लागत को वहन करेगी।

आडिट ने पाया कि स्पीक मैके ने नेहरू पार्क में संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वर्ष 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान, न.दि.न.परिषद् ने इन कार्यक्रमों पर निम्नलिखित व्यय किया:-

क्र.सं.	व्यय का नाम	न.दि.न.परिषद् द्वारा किया गया व्यय (₹ में)		
		2011-12	2012-13	कुल
1.	लाइट एण्ड साउंड	4,43,600	3,30,000	7,73,600
2.	टेन्टेस सर्विस	5,07,429	3,00,000	8,07,429
3.	विज्ञापन	2,62,839	1,50,000	4,12,839
4.	होर्डिगस/बैनरस	55,874	30,000	85,874
5.	विविध	20,000	40,000	60,000
6.	उद्यान विभाग द्वारा मेहमानों के स्वागत के लिए फूलों के गुच्छे	---	96,000	96,000
कुल		**12,89,742**	**9,46,000**	**22,35,742** **अर्थात ₹ 22.36 लाख**

दिनाँक 11 अक्टूबर 2002 के परिषद् क प्रस्ताव के अनुसार उपरोक्त मदों पर व्यय का दायित्व प्रायोजक (स्पीक मैके) का था ना कि न.दि.न.परिषद् का तथा उक्त की परिषद्के कार्योत्तर अनुमोदन की अनियमित आवश्यकता हो रही है।

जनसम्पर्क (ज.स.) विभाग ने बताया कि (अगस्त 2014) सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु ₹12,89,742/- तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु ₹9,46,000/- का वास्तविक व्यय इन संगीतमय कार्यक्रमों पर खर्च हुआ ।

चूंकि विद्यमान परिषद् प्रस्ताव के उल्लंघन में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने में विसंगति है, इसे परिषद् के नोटिस में लाने की आवश्यकता है।

अध्याय 12

लेखा परीक्षा के कहने पर वसूलिया

12.1 लेखा परीक्षा के कहने पर वसूलियाँ

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के विभिन्न विभागों ने लेखा परीक्षा के कहने पर ₹8.68 करोड़ की राशि की वसूलियाँ की।

लेखा पारीक्षा द्वारा बताए जाने तथा नियमित अनुसरण पर, विभिन्न विभागों द्वारा निम्नलिखित वसूलियाँ की गई थी:-

क्र.सं.	विभाग	संक्षिप्त विवरण	वसूली की राशि (₹ लाख में)
1.	वास्तुविद एवं पर्यावरण	i) वर्ष 2007 का 5.1:- होटल जनपथ पर अस्थाई पंडाल के निर्माण के लिए मोहिनी होजरी मिल्स से अनुमति शुल्क की वसूली।	2.50
2.	वाणिज्यिक	i) वर्ष 2004 का 2.1 :- काटे गए विद्युत कनैक्शन से बकाया ii) वर्ष 2010 का 3.1:- अस्थाई कनैक्शन (नई दिल्ली बार एसोसिएशन) से बकाया। iii) वर्ष 2010 का 3.4:- विद्यमान विद्युत/जल कनैक्शन से बकाया की वसूली/निपटान	42.45 124.00 695.00
3.	वित्त विभाग	i) वर्ष 2008 का 1.7.4.1:- पैथालॉजी प्रभारों के संबंध में अधिक भुगतान ₹7159/- ii) वर्ष 2008 का 1.7.4.4 (आर):- अस्पताल के कमरे को किराये के लिए अतिरिक्त भुगतान ₹3000/- iii) वर्ष 2008 का 1.7.4.6 (आर):- आई ओ एल हेतु अतिरिक्त भुगतान ₹1.07 लाख iv) वर्ष 2008 का 1.7.4.8 (आर):- आई ओ एल हेतु अतिरिक्त भुगतान ₹6210/- v) वर्ष 2008 का 1.7.4.9 (आर):- बिस्तर शुल्क के लिए अतिरिक्त भुगतान ₹2000/- vi) वर्ष 2005 का 2.2:- 1. पेंशन का अधिक भुगतान ₹82,509 2. पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान :- ₹1.85 लाख	3.93
कुल			**867.88** **₹8.68 करोड़**

नई दिल्ली (वर्षा तिवारी)

दिनाँक मुख्य लेखापरीक्षक

अनुलग्नक - I

31 मार्च 2013 को एनडीएमसी की देयता और परिसम्पत्ति की विवरणी

अध्याय-1 (भाग-2)

विवरण	अनु.	2011-12	2012-13
देयताएं		(₹ करोड़ में)	
रिजर्व एवं अधिशेष			
नई दिल्ली नगरपालिका निधि	बी-1	6150.38	6425.20
चिन्हित निधियां	बी-2	-0.39	-0.39
रिजर्व	बी-3	0.17	0.17
कुल रिजर्व एवं अधिशेष		**6150.15**	**6424.97**
अनुदान विशिष्ट सेवाओं के लिए अंशदान	बी-4	**112.98**	**122.43**
कर्जे			
प्रतिभूत कर्जे	बी-5	0.00	0.00
अप्रतिभूत कर्जे	बी-6	0.00	0.00
कुल कर्जे		**0.00**	**0.00**
चालू देयताएं एवं प्रावधान			
प्राप्त जमा	बी-7	157.58	166.83
जमा निर्माण कार्य	बी-8	58.39	61.35
अन्य देयताएं	बी-9	48.31	49.17
प्रावधान	बी-10	29.09	26.43
कुल चालू देयताएं एवं प्रावधान		**293.37**	**303.78**
कुल देयताएं		**6556.49**	**6851.18**
परिसम्पत्तियां			
स्थायी परिसम्पत्ति			
सकल ब्लॉक	बी-11	265.53	277.51
घटा: संचित मूल्यह्रास	बी-11ए	-45.25	-59.32
चालू पूंजीगत निर्माण कार्य	बी-11बी	1429.84	1663.49
कुल स्थायी परिसम्पत्ति		**1650.12**	**1881.68**
निवेश			
निवेश- सामान्य निधि	बी-12	3494.24	3733.06
निवेश- अन्य निधियां	बी-13	0.88	0.88
कुल निवेश		**3495.12**	**3733.94**
चालू परिसम्पत्तियां, कर्जे एवं अग्रिम			
हस्तगत स्टॉक (सूचियां)	बी-14	16.61	23.08
विविध देनदार (प्राप्य)	बी-15	2163.89	2300.15
घटा संदिग्ध के प्रति संचित प्रावधान	बी-15ए	-1071.41	-1495.93
पूर्व प्रदत्त खर्चे	बी-16	0.00	0.00
नकद एवं बैंक शेष	बी-17	77.09	173.44
कर्जे, अग्रिम एवं जमा	बी-18	66.99	45.27
घटा: कर्जों के प्रति संचित प्रावधान	बी-18ए	0.00	0.00
जोड़		**1253.17**	**1046.01**
अन्य			
अन्य परिसम्पत्तियां	बी-19	25.02	30.05
विविध व्यय (बट्टे खाते न डाले गए की सीमा तक)	बी-20	0.00	0.00
निधि से पूंजीगत व्यय	बी-21	133.06	159.50
जोड़		158.07	189.54
कुल परिसम्पत्तियां		**6556.49**	**6851.18**

अनुलग्नक - II

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष पर प्रतिकूल शेष दर्शाने वाले लेखाशीर्ष

अध्याय-1 (भाग-2)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्णन	राशि (₹ में)
1	3117002	नई पेंशन योजना 2004	3943872.00 डेबिट
2	3501001	देय आपूर्तिकर	135366367.00 डेबिट
3	3501004	विशिष्ट योजनाओं के प्रति भुगतान योग्य	126247.00 डेबिट
4	3501007	खर्चों के प्रति भुगतान योग्य	64158.00 डेबिट
5	3501101	निवल भुगतान योग्य वेतन	177990588.00 डेबिट
6	3501102	निवल भुगतान योग्य वेतन	2519400.00 डेबिट
7	3501107	भुगतान योग्य कल्याण खर्चे	8219718.00 डेबिट
8	3501108	भुगतान योग्य एसएलजीआईएस (स्त्रोत पर)	28825.00 डेबिट
9	3501109	अन्य	601478.00 डेबिट
10	3501112	स्त्रोत पर सीजीईआईएस/यूटीजीआईएस (0)	270.00 डेबिट
11	3501120	स्त्रोत पर समिति वसूली (0)	10003.00 डेबिट
12	3501124	स्त्रोत पर जीपीएफ अग्रिम/जीपीएफ (0)/यूपीएच (0)	39000.00 डेबिट
13	3501132	स्त्रोत पर न्यायालय कुर्की	55187.00 डेबिट
14	3501134	सचिव क्रेडिट एवं थ्रिफट समिति एनडीएमसी	368756.00 डेबिट
15	3501136	स्त्रोत पर सी एवं टी विद्युत, समिति वसूली (एनडीएमसी)	1390084.00 डेबिट
16	3501137	स्त्रोत पर जीपीएफ कटौती, एनडीएमसी	12214416.00 डेबिट
17	3501138	स्त्रोत पर आयकर (टीडीएस), एनडीएमसी	48757119.00 डेबिट
18	3501139	स्त्रोत पर जनता दुर्घटना बीमा, एनडीएमसी	925.00 डेबिट
19	3501140	स्त्रोत पर जीवन बीमा, 1,2,3, एनडीएमसी	160560.00 डेबिट
20	3501141	स्त्रोत पर मंटोला बैंक कर्ज वसूली, एनडीएमसी	78400.00 डेबिट
21	3501142	स्त्रोत पर विभिन्न राहत निधियां, एनडीएमसी	126902.00 डेबिट
22	3501145	स्त्रोत पर परोपकारी निधि, (एनडीएमसी)	119140.00 डेबिट
23	3502008	उपकर (कल्याण कर अधिनियम 1996)	7800033.59 डेबिट
24	3502014	संग्रहीत आयकर (स्त्रोत पर)	520611.00 डेबिट

अनुलग्नक- III

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष पर प्रतिकूल शेष दर्शाने वाले लेखा-शीर्ष-परिसम्पत्तियां

अध्याय-1 (भाग-2)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	वर्णन	राशि (₹ में)
1	4301036	हस्तगत शेष : बिजली मीटर	547720.00 क्रेडिट
2	4311033	सीपीडब्ल्यूडी भवन के अतिरिक्त : प्राप्य - चालू वर्ष	1445935823.52 क्रेडिट
3	4311036	निजी परिसम्पत्तियां : प्राप्य - 2 वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से अधिक नहीं	5102466512.05 क्रेडिट
4	4502101	भारतीय स्टेट बैंक	322570668.54 क्रेडिट
5	4502205	बिल्लर सुविधा उद्देश्य के लिए आईसीआईसी बैंक	5485.00 क्रेडिट
6	4601001	ब्याज धारी -गृह भवन अग्रिम	10270943.00 क्रेडिट
7	4601002	ब्याज धारी-वाहन अग्रिम	3984460.00 क्रेडिट
8	4601003	ब्याज धारी-कम्प्यूटर अग्रिम	153756.00 क्रेडिट
9	4601004	ब्याज धारी-कोई अन्य अग्रिम (उल्लेख करें)	278.00 क्रेडिट
10	4601007	अब्याज धारी-दौरा अग्रिम	893034.00 क्रेडिट
11	4604004	पट्टा किराया	51243.00 क्रेडिट
12	4604006	स्थायी परिसम्पत्तियों के लिए	8580782.00 क्रेडिट
13	4605007	उपयोग सेवाओं के लिए सरकाकरी एजेंसियों को अग्रिम	195323838.00 क्रेडिट
14	4606001	बिजली	470000000.00 क्रेडिट
15	4606003	पानी	33721.00 क्रेडिट

अनुलग्नक - IV

स्थायी परिसम्पत्तियां

अध्याय-1 (भाग-2)

(₹ करोड़ में)

लेखा-कोड	लेखा-शीर्ष	1 अप्रैल, 2012 को बकाया	डेबिट	क्रेडिट	31 मार्च 2013 को बकाया
41010	भूमि	2.68	0	0	2.68
41020	भवन	58.65	0	0	58.65
41030	सड़कें एवं पुल	79.79	0.00	0.00	79.79
41031	मलजल एवं निकासी	8.71	0.00	0.00	8.71
41032	जल मार्ग	8.12	0.00	0.00	8.12
41033	सार्वजनिक प्रकाश	1.03	0.00	0.00	1.03
41040	संयंत्र एवं मशीनरी	30.46	0.51	0	30.97
41050	वाहन	7.93	1.47	0	9.40
41060	कार्यालय एवं अन्य उपस्कर	39.16	2.05	0.00	41.21
41070	फर्नीचर, जुड़नार आदि	6.90	0.03	0.00	6.93
41080	अन्य स्थायी परिसम्पत्तियां	22.10	7.91	0.00	30.01
		265.53	**11.97**		**277.50**

अनुलग्नक- V

पूंजीगत कार्य में प्रगति की व्यवस्था नहीं करना

अध्याय-1 (भाग-2)

पूंजीगत कार्य में प्रगति, न कि पूंजी की व्यवस्था करना		
जीएल कोड	संख्या	राशि (₹ में)
4121001	10	242286800
4121002	33	1091139563
4121003	5	3625323.9
4121004	14	16486715.35
4121005	1	65164
4121006	15	700793558.2
4121007	4	10920292
4121008	2	26619061
4121010	10	1783395028
4121013	2	0
4122001	14	47495451
4122002	13	28235519.59
4122003	8	9571890
4122004	7	4338420.1
4122006	1	29360579.49
4122007	4	2919645
4122008	2	-1271120
4123002	1	77858
4124000	3	2001722
4124001	74	353372833.2
4124002	47	503790890.70
4124003	25	37396029.48
4124004	21	5759083.82
4124005	43	29092167.37
4124006	37	46122646.67
4124007	31	70305403.83
4124008	30	28916903.19
4124009	28	26265427.49
4124010	17	203613681.4
4124011	9	4188278.4
4124012	8	5559337.21
4124013	7	65044655.82
4124014	1	1632075
4129012	3	0
4129031	7	0
4129032	2	0
4129033	3	0
	542	**5379120884**

अनुलग्नक - VI

वर्ष 2012-13 के लिए आय एवं व्यय विवरणी

अध्याय-1 (भाग-2)

विवरण	अनु.	2012-13 (₹ करोड़ में)		2011-12 (₹ करोड़ में)	2011-12 की तुलना में 2012-13 में भिन्नता	
		(₹ करोड़ में)	(%हिस्सा)		(₹ करोड़ में)	(%)
आय						
कर राजस्व	I-1	528.41	21.11	413.30	115.11	27.85
सौंपे गए राजस्व और प्रतिपूर्तियां	I-2	75.78	3.03	60.22	15.56	25.84
नगरपालिका सम्पत्तियों प्राप्त किराया आय	I-3	322.18	12.87	263.98	58.19	22.04
शुल्क एवं प्रयोक्ता प्रभार	I-4	1079.94	43.15	934.55	145.39	15.56
बिक्री एवं किराया प्रभार	I-5	1.97	0.08	0.34	1.62	473.47
राजस्व अनुदान, अंशदान एवं परिदान	I-6	71.90	2.87	64.67	7.23	11.18
निवेश से आय	I-7	417.56	16.68	384.22	33.34	8.68
अर्जित ब्याज	I-8	0.44	0.02	/0.25	0.19	76.08
अन्य आय	I-9	4.50	0.18	4.65	-0.15	-3.27
जोड़- आय		**2502.67**	**100.00**	**2126.18**	**376.49**	**17.71**
व्यय						
स्थापना व्यय	I-10	812.83	36.48	761.37	51.46	6.76
प्रशासनिक व्यय	I-11	71.99	3.23	65.86	6.13	9.30
परिचालन एवं अनुरक्षण	I-12	876.83	39.36	875.59	1.24	0.14
ब्याज एवं वित्त प्रभार	I-13	-8.07	-0.36	0.00	-8.07	487294.11
कार्यक्रम व्यय	I-14	1.61	0.07	1.58	0.03	2.09
राजस्व अनुदान, अंशदान एवं परिदान	I-15	34.08	1.53	32.00	2.08	6.51
प्रावधान एवं बट्टा खाता	I-16	424.52	19.05	100.97	323.55	320.44
विविध व्यय	I-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मूल्यह्रास	I-17a	14.06	0.63	14.61	-0.54	-3.73
कुल -व्यय		**2227.86**	**100.00**	**1851.99**	**375.88**	**20.30**
पूर्वावधि मदों के पश्चात् व्यय के प्रति आय का सकल अधिशेष (घाटा)		274.80		274.19		
जमा : पूर्वावधि मदें (निवल)	I-18	-0.02		41.72		
पूर्वावधि मदों के पश्चात् व्यय के प्रति आय का सकल अधिशेष (घाटा)		274.82		232.47		
घटा : आरक्षित निधियों को अन्तरण	I-19	44.00		174.00		
अधिशेष होने पर निवल शेष/नगरपालिका निधि को अग्रेनीत घाटा		230.82		58.47		

अनुलग्नक - VII

वर्ष 2012-13 के लिए मास-वार आय एवं व्यय तथा अधिशेष/घाटे का सार

अध्याय-1 (भाग-2)

(₹ करोड़ में)

मास	आय	व्यय	अधिशेष/घाटा
अप्रैल, 2012	81.69	193.64	-111.95
मई, 2012	116.81	150.39	-33.58
जून, 2012	115.01	166.76	-51.76
जुलाई, 2012	201.28	145.5	55.79
अगस्त, 2012	156.42	192.82	-36.4
सितम्बर, 2012	137.76	154.26	-16.5
अक्टूबर, 2012	694.44	148.66	545.78
नवम्बर, 2012	190.01	133.77	56.23
दिसम्बर, 2012	205.83	54.61	151.23
जनवरी, 2013	173.59	96.02	77.57
फरवरी, 2013	123.10	144.06	-20.96
मार्च, 2013	306.73	647.37	-340.64
जोड़	**2502.67**	**2227.86**	**274.80**

अनुलग्नक - VIII

लेखाओं के कोड का गलत वर्गीकरण

अध्याय-1 (भाग-2)

जेवी/चालान सं.	तिथि	लेखा कोड	राशि (₹ में)	वर्णन
12012130900001J	03.09.2012	4104030 स्थायी परिसम्पत्तियां प्रयोगशाला-उपकरण एवं उपस्कर	7356	उपकरण सामग्री जांच प्रयोगशाला के उन्नयन हेतु अगस्त 2012 के लिए आरएमआर आधार पर श्री अरूण कुमार को भुगतान ।
31812130300466J	14.03.2013	4107017 स्थायी परिसम्पत्तियां: अन्य फर्नीचर	7977	पुस्तकालय किताबों की आपूर्ति के लिए भुगतान।
31812130300468J	14.03.2013		16014	
31812130300470J	14.03.2013		16889	
31812130300467J	14.03.2013		8600	लाइब्रेरी कार्डो, विभागों और बकाया तिथि स्लिप पैड की आपूर्ति के लिए मैसर्स गौरव प्रिन्टिंग पाइन्ट को भुगतान

अनुलग्नक - IX

वर्ष 2012-13 के लिए फंक्शन-वार आय एवं व्यय (राजस्व) का

अध्याय-1 (भाग-2)

आय: **(₹ हजार में)**

फ.	फंक्शन वर्णन	ब.अ. 2012-13 (राजस्व)	स.अ. 2012-13 (राजस्व)	आय 2012-13 (राजस्व)	निम्न के संदर्भ में % आय 2012-13	
					ब.अ. 2012-13	सं.अ. 2012-13
00 सामान्य प्रशासन						
1	नगर पालिका निकाय	0	0	0	----	----
2	प्रशासन	32371	70810	71041	219.5	100.3
3	वित्त, लेखे, लेखापरीक्षा	3752784	4025415	4177466	111.3	103.8
4	चुनाव	0	0	0	----	----
5	रिकार्ड रूम	0	0	0	----	----
6	सम्पदा	2658400	2956071	3233378	121.6	109.4
7	भण्डार एवं खरीद	21255	17532	19041	89.6	108.6
8	वर्कशॉप	20	380	355	2305.0	93.4
9	मतगणना	0	0	0	----	----
10 योजना एवं विनियम						
11	शहर एवं नगर योजना	44285	32785	45986	103.8	140.3
12	भवन नियमन	4002	15002	10580	264.4	70.5
13	आर्थिक योजना	0	0	0	----	----
14	अतिक्रमण हटाना	16500	18105	19719	119.5	108.9
15	टेड लाइसेंस/विनियम	5000	3800	4249	85.0	111.8
20 लोक निर्माण कार्य						
21	सड़कें एवं खड़ंजा	8195	13869	24721	301.7	178.2
22	पुल एवं फ्लाईओवर	0	0	25	----	----
23	उपमार्ग एवं फ्लाईओवर	0	0	0	----	----
24	स्ट्रीट लाइटिंग	55	216	292	530.8	135.2
25	तूफानी जल नाले	0	0	0	----	----
26	यातयात संकेतक	0	0	0	----	----
27	अतिथि गृह	0	0	0	----	----
30 स्वास्थ्य						
31	जन-स्वास्थ्य	6221	5929	7130	114.6	120.3
32	महामारी/रोकथाम नियंत्रण	0	0	0	----	----
33	परिवार कल्याण	0	0	0	----	----
34	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल	0	0	0	----	----
35	अस्पताल सेवाएं	3000	2500	2562	85.4	102.5
36	दफन एवं दाह-संस्कार	0	0	0	----	----
37	अनिवार्य आंकड़े	0	0	0	----	----
38	खाद्य-मिलावट की रोकथाम	0	0	0	----	----
39	एम्बुलेंस/अर्थी सेवाएं	10	0	0	0.0	----
40 सफाई एवं ठोस अवशेष प्रबंधन						
41	ठोस अवशेष प्रबंधन	750	755	755	100.7	100.0
42	सार्वजनिक सुविधा	17500	25000	29996	171.4	120.0
43	पशुपालन सेवाएं	70	0	51	72.5	----
44	पशुबाड़ा	0	42	-17	----	-40.2
45	बूचड़खाना	0	0	0	----	

फं.	फंक्शन वर्णन	ब.अ. 2012-13 (राजस्व)	सं.अ. 2012-13 (राजस्व)	आय 2012-13 (राजस्व)	निम्न के संदर्भ में: आय 2012-13	
					ब.अ. 2012-13	सं.अ. 2012-13
50	सिविल सुविधाएं					
51	जल आपूर्त्ति	1129550	1209070	995030	88.1	82.3
52	मलजल	510200	493615	469464	92.0	95.1
53	अग्नि सेवाएं एवं आपदा प्रबंधन	500	250	161	32.2	64.4
54	कला एवं संस्कृति	0	0	0	----	----
55	सामुदायिक/विवाह केन्द्र	30000	40820	41340	137.8	101.3
56	मनोरंजन	30700	30500	24470	79.7	80.2
57	म्यूजियम	0	0	0	----	----
58	नगरपालिका मार्किट्स	213135	155212	98128	46.0	63.2
60	शहरी वनविद्या					
61	पार्क, गार्डन	1610	3260	3255	202.2	99.9
62	खेल के मैदान	0	0	0	----	----
63	झील एवं तालाब	0	0	0	----	----
64	शहरी वनविद्या	0	0	0	----	----
65	पर्यावरण संरक्षण	0	0	0	----	----
66	चिड़ियाघर	0	0	0	----	----
70	शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज कल्याण					
71	महिला कल्याण	300	360	364	121.2	101.0
72	शिशु कल्याण	0	0	0	----	----
73	वृद्ध कल्याण	0	0	0	----	----
74	विकलांग -जन कल्याण	200	200	226	112.9	112.9
75	एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण	1000	1000	1000	100.0	100.0
76	स्लम सुधार	0	0	24	----	----
77	हाऊसिंग	0	0	0	----	----
78	शहरी गरीबी उन्मूलन	0	0	0	----	----
79	अन्य	810	800	796	98.3	99.5
80	अन्य सेवाएं					
81	बिजली	7025328	8377752	9037549	128.6	107.9
82	शिक्षा	600860	663527	665722	110.8	100.3
83	परिवहन	0	0	0	----	----
84	तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधा	0	0	0	----	----
90	राजस्व					
91	सम्पत्ति कर	2900000	3350000	5368563	185.1	160.3
92	डेक्रॉय/प्रवेश उपकर	0	0	0	----	----
93	विज्ञापन कर	0	0	0	----	----
94	व्यावसायिक कर	0	0	0	----	----
95	पशुओं पर कर	0	0	0	----	----
96	वाहन पर कर	0	0	0	----	----
97	चुंगी	0	0	0	----	----
99	अन्य कर	529900	631000	673234	127.0	106.7
	जोड़	**19544511**	**22145577**	**25026655**	**128.0**	**113.0**

व्यय

(₹ हजार में)

फं.	फंक्शन वर्णन	ब.अ. 2012-13 (राजस्व)	स.अ. 2012-13 (राजस्व)	आय 2012-13 (राजस्व)	% निम्न के संदर्भ में : आय 2012-13	
					ब.अ. 2012-13	सं.अ. 2012-13
00	सामान्य प्रशासन					
1	नगर पालिका निकाय	15203	14372.00	17246	113.4	120.0
2	प्रशासन	3874242	4649577.00	4230504	109.2	91.0
3	वित्त, लेखे, लेखापरीक्षा	149901	143592.00	126744	84.6	88.3
4	चुनाव	0	0.00	0	----	----
5	रिकार्ड रूम	1024	566.00	508	49.6	89.7
6	सम्पदा	65311	72355.00	2532468	3877.6	3500.1
7	भण्डार एवं खरीद	109041	104100.00	92183	84.5	88.6
8	वर्कशॉप	116725	118471.00	104243	89.3	88.0
9	मतगणना	0	0.00	0	----	----
10	योजना एवं विनियम					
11	शहर एवं नगर योजना	42034	41760.00	37471	89.1	89.7
12	भवन नियमन	0	1000.00	559	----	55.9
13	आर्थिक योजना	0	0.00	0	----	----
14	अतिक्रमण हटाना	53610	56982.00	196420	366.4	344.7
15	टेड लाइसेंस/विनियम	6210	5747.00	6269	100.9	109.1
20	लोक निर्माण विभाग					
21	सड़के एवं खड़ंजा	596152	534249.00	499816	83.8	93.6
22	पुल एवं फलाईओवर	0	0.00	827	----	----
23	उपमार्ग एवं सेतुक	900	900.00	1456	161.8	161.8
24	स्टीट लाइटिंग	146521	130035.00	120772	82.4	92.9
25	तूफानी जल नाले	15889	13446.00	10572	66.5	78.6
26	यातायात संकेतक	0	0.00	0	----	----
27	अतिथि गृह	0	0.00	0	----	----
30	स्वास्थ्य					
31	जन-स्वास्थ्य	96548	94810.00	75556	78.3	79.7
32	महामारी/रोकथाम नियंत्रण	127852	124857.00	116935	91.5	93.7
33	परिवार कल्याण	15651	23837.00	23361	149.3	98.0
34	प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल	218071	217943.00	202847	93.0	93.1
35	अस्पताल सेवाएं	330649	357372.00	341401	103.3	95.5
36	दफन एवं दाह-संस्कार	0	0.00	0	----	----
37	अनिवार्य आंकड़े	8569	10536.00	9567	111.6	90.8
38	खाद्य-मिलावट की रोकथाम	0	0.00	0	----	----
39	एम्बुलेंस/अर्थी सेवाएं	0	0.00	0	----	----
40	सफाई एवं ठोस अवशेष प्रबंधन					
41	ठोस अवशेष प्रबंधन	845451	828190.00	771489	91.3	93.2
42	सार्वजनिक सुविधा	700	800.00	381	54.5	47.7
43	पशुपालन सेवाएं	12792	12774.00	11195	87.5	87.6
44	पशु बाड़ा	0	0.00	0	----	----
45	बूचड़ खाना	0	0.00	0	----	----

फं.	फंक्शन वर्णन	ब.अ.(2012-13) (राजस्व)	सं.अ. 2012-13 (राजस्व)	आय 2012-13 (राजस्व)	निम्न के संदर्भ में %आय 2012-13	
					ब.अ. 2012-13	सं.अ. 2012-13
50	सिविल सुविधाएं					
51	जल आपूर्त्ति	730741	786565.00	724719	99.2	92.1
52	मलजल	345409	365768.00	354788	102.7	97.0
53	अग्नि सेवाएं एवं आपदा प्रबंधन	99025	101859.00	100547	101.5	98.7
54	कला एवं संस्कृति	6050	3500.00	2815	46.5	80.4
55	सामुदायिक/विवाह केन्द्र	17900	25255.00	21034	117.5	83.3
56	मनोरंजन	42772	83122.00	59871	140.0	72.0
57	म्यूजियम	0	0.00	0	----	----
58	नगरपालिका मार्किट्स	286394	242502.00	229814	80.2	94.8
60	शहरी वनविद्या					
61	पार्क, गार्डन	485525	577185.00	559795	115.3	97.0
62	खेल के मैदान	0	0.00	9	----	----
63	झील एवं तालाब	0	0.00	0	----	----
64	शहरी वनविद्या	0	0.00	0	----	----
65	पर्यावरण संरक्षण	0	0.00	0	----	----
66	चिड़िया-घर	0	0.00	0	----	----
70	शहरी गरीबी उन्मूलन एवं समाज-कल्याण					
71	महिला कल्याण	19968	20431.00	18233	91.3	89.2
72	शिशु कल्याण	39235	36607.00	33913	86.4	92.6
73	वृद्ध कल्याण	519	560.00	551	106.2	98.4
74	विकलांग -जन-कल्याण	2759	2722.00	2082	75.5	76.5
75	एससी/एसटी/ओबीसी कल्याण	1000	1310.00	1000	100.0	76.3
76	स्लम सुधार	10000	5000.00	4839	48.4	96.8
77	हाऊसिंग	0	0.00	0	----	----
78	शहरी गरीबी उन्मूलन	0	0.00	0	----	----
79	अन्य	107149	112161.00	108964	101.7	97.1
80	अन्य सेवाएं					
81	बिजली	6491107	8167206.00	7457946	114.9	91.3
82	शिक्षा	1236700	1256823.00	1140579	92.2	90.8
83	परिवहन	0	0.00	0	----	----
84	तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा	0	0.00	0	----	----
90	राजस्व					
91	सम्पत्ति कर	37614	33637.00	2366121	6290.5	7034.3
92	डेक्रॉय/प्रवेश उपकर	0	0.00	0	----	----
93	विज्ञापन कर	0	0.00	0	----	----
94	व्यावसायिक कर	0	0.00	0	----	----
95	पशुओं पर कर	0	0.00	0	----	----
96	वाहन पर कर	0	0.00	0	----	----
97	चुंगी	0	0.00	0	----	----
99	अन्य कर	0	0.00	0	----	----
	जोड़	**16808913**	**19380484**	**22718413**	**135.2**	**117.2**

अनुलग्नक -X

01.04.2012 से 31.03.2013 तक की अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

अध्याय-1 (भाग-2)

प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

		2012-13	2011-12	अधिशेष/घाटा
	अथशेष			
ए	अग्रदाय सहित नकद शेष	76.87	68.49	8.38
बी	बैंकों/कोषागार में शेष (निर्दिष्ट बैंक लेखाओं में शेष सहित)	0.00	0.00	0.00
		76.87	**68.49**	**8.38**
	प्राप्तियां			
	ऑपरेटिंग प्राप्तियां			
110	कर राजस्व	419.62	311.78	107.84
120	सौंपा गया राजस्व एवं प्रतिपूर्तियां	75.78	60.22	15.56
130	नगरपालिका सम्पत्तियों से किराया आय	237.62	268.43	-30.81
140	शुल्क एवं प्रयोक्ता प्रभार	1068.73	850.06	218.67
150	बिक्री एवं किराया प्रभार	1.97	0.34	1.62
160	राजस्व अनुदान, अंशदान एवं परिदान	71.90	64.67	7.23
170	निवेश से आय	417.91	384.22	33.70
171	अर्जित ब्याज	0.44	0.25	0.19
180	अन्य आय	4.50	4.65	-0.15
सी	**कुल ऑपरेटिंग प्राप्तियां**	**2298.46**	**1944.61**	**353.85**
	नॉन ऑपरेटिंग प्राप्तियां			
330-31	प्राप्त कर्जे			
310	सामान्य निधि (खण्ड)	44.00	173.61	-129.61
311	जमा प्राप्त	0.00	0.00	0.00
340	जमा प्राप्त	9.31	23.06	-13.75
320	अनुदान और विशेष उद्देश्य के लिए योगदान	9.45	4.54	4.91
	1) परिसम्पत्तियों से बिक्री प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00
412	2) निवेश की उगाही- सामान्य निधि	0.00	0.00	0.00
	3) निवेश की उगाही -अन्य निधियां	0.00	0.00	0.00
341	जमा निर्माण कार्य	2.96	7.84	-4.87
350	अग्रिम में संग्रहित राजस्व	0.95	0.00	0.95
	1) कर्मचारियों को कर्ज एवं अग्रिम (वसूली)	0.00	0.00	0.00
	2) अन्य कर्जे एवं अग्रिम (वसूली)	0.00	0.00	0.00
	3) बाह्य एजेंसियों के पास जमा (वसूली)	0.00	0.00	0.00
	आयकर/बिक्री कर एवं उपकर आदि	0.00	0.38	-0.38
360	अन्य प्राप्तियां (उल्लेख करें) खर्चे के लिए प्रावधान	-2.67	-6.99	4.32
डी	**कुल नॉन ऑपरेटिंग खर्चे**	**64.01**	**202.44**	**-138.43**
ई	**कुल प्राप्तियां (a+b+c+d)**	**2439.34**	**2215.53**	**223.81**

भुगतान

(₹ करोड़ में)

		2012-13	2011-12	वृद्धि/कमी
	भुगतान			
	ऑपरेटिंग भुगतान			
210	स्थापना खर्चे	812.83	761.37	51.46
220	प्रशासनिक खर्चे	71.99	65.86	6.13
230	परिचालन एवं अनुरक्षण	866.92	900.88	-33.96
240	ब्याज एवं वित्त प्रभार	1.02	0.00	1.01
250	कार्यक्रम खर्चे	1.61	1.58	0.03
260	राजस्व अनुदान, अंशदान एवं परिदान	34.08	32.00	2.08
430	भण्डार की खरीद	6.46	0.14	6.33
	राज्य तथा केन्द्र सरकार की ओर से अन्य संग्रहण	0.00	0.00	0.00
एफ	**कुल ऑपरेटिंग भुगतान**	**1794.92**	**1761.84**	**33.08**
	नॉन ऑपरेटिंग भुगतान			
350	अन्य भुगतान	0.00	0.00	
350	भुगतान योग्य प्रतिदाय	0.00	0.00	
	1) कर्जों की चुकौती	0.00	0.00	0.00
	2) जमा की वापसी	0.00	0.00	0.00
410	स्थायी परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण/खरीद	11.97	16.25	-4.28
412	चालू पूंजीगत निर्माण कार्य	233.65	188.82	44.82
470	जमा निर्माण कार्य	5.03	21.03	-16.00
420	निवेश- सामान्य निधि	238.82	-240.36	479.18
421	निवेश -अन्य निधियां	0.00	0.00	0.00
460	कर्मचारियों को कर्जे एवं अग्रिम	-21.71	7.82	-29.53
440	पूर्व प्रदत्त खर्चे	0.00	0.00	0.00
	अन्य कर्जे एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00
490	अन्य भुगतान उल्लेख करें (490)	26.44	43.12	-16.67
431	अन्य भुगतान उल्लेख करें (431)	-66.97	165.96	-232.93
290	निधियों को अन्तरण	44.00	174.00	-130.00
280	अन्य भुगतान (पूर्व अवधि मदें) (280)	-0.02	0.00	-0.02
	अनुदान और परिदान			
जी	**कुल नॉन ऑपरेटिंग भुगतान**	**471.20**	**376.63**	**94.57**
एच	**कुल भुगतान (एफ+जी)**	**2266.12**	**2138.47**	**127.65**
	अन्त शेष (ई+एच)	**173.22**	**77.06**	**96.16**
	अप्रदाय एवं डाक टिकटें	0.00	0.20	**-0.20**
		173.21	76.86	
	बैंकों/कोषागार सहित अग्रदाय शेष सहित नकद शेष (निर्दिष्ट बैंक लेखाओं में शेष सहित)	**173.21**	**76.86**	**96.36**

अनुलग्नक - XI

31 मार्च, 2013 में समाप्त वर्ष हेतु नकद प्रवाह विवरणी अध्याय -1 (भाग-2)

	विवरण		**(₹करोड़ में)**
ए	**ऑपरेटिंग क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	व्यय के प्रति सकल अधिशेष (घाटा)		230.82
	निम्नलिखित के लिए समायोजन :-		
	जमा :		
	मूल्यह्रास	14.06	
	ब्याज एवं वित्त खर्चे	-8.07	5.99
	घटा :		236.82
	अन्य आय	4.50	
	ब्याज आय	0.44	
	निवेश आय	417.56	422.50
	चालू परिसम्पत्तियों तथा चालू देयताओं तथा सामान्य		-185.68
	मदों में बदलाव करने से पूर्व व्यय के प्रति समायोजित आय		
	चालू परिसम्पत्तियों तथा चालू देयताओं में बदलाव	288.26	
	विविध देनदारों में (वृद्धि)/कमी	-6.46	
	हस्तगत स्टॉफ में (वृद्धि)/कमी	21.71	
	अग्रिम में कमी/वृद्धि/प्रीपेड खर्च		303.51
			117.83
	प्राप्त जमा (कमी)/वृद्धि	9.25	
	जमा निर्माण कार्य में कमी/(वृद्धि)	2.96	
	अन्य चालू देयताओं में कमी/(वृद्धि)	-5.03	
	प्रावधान में (कमी)/वृद्धि	0.86	
	असमान्य मदें (उल्लेख करें)	-2.67	5.38
	क) परिचालन क्रियाकलापों से/(प्रयुक्त)सृजित नकद प्रवाह		
			123.21
बी	**निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	स्थायी परिसम्पत्तियों एवं सीडब्ल्यूआईपी की (खरीद)	-245.62	
	विशेष निधियों/अनुदानों में वृद्धि)/कमी	9.45	
	चिन्हित निधियों में (वृद्धि)/कमी	17.56	
	निवेश में खरीद	-238.82	-457.43
	जमा		
	परिसम्पत्तियों के निपटान से प्राप्तियां		
	निवेश के निपटान से प्राप्तियां		
	अन्य आय	4.50	
	प्राप्त निवेश आय	417.56	
	प्राप्त ब्याज आय	0.44	422.50
	ख) निवेश क्रियाकलापों से (प्रयुक्त) सृजित निवल नकदी		-34.93
सी	**वित्त क्रियाकलापों से नकद प्रवाह**		
	जमा :		
	बैंकों/अन्य से प्राप्त कर्जे		
	घटा :		
	अवधि के दौरान चुकाया गया कर्जा		
	कर्मचारियों को कर्जे एवं अग्रिम		
	अन्य को कर्जे		
	वित्त खर्चे	-8.07	-8.07
	ग) वित्तीय क्रियाकलापों से (प्रयुक्त)सृजित निवल नकदी		8.07
	नकदी तथा नकदी समान निवल वृद्धि/कमी (ए+बी+सी)		96.35
	अवधि के (शुरू) में नकदी तथा नकदी समान		77.09
	अवधि के अन्त में नकदी तथा नकदी समान		**173.44**

अनुलग्नक - XII

अवकाश, एलटीसी दावों का निपटान, अवकाश नगदीकरण, बाल शिक्षा भत्ता के विलम्ब का विवरण

अध्याय -3 [पैरा 3.2.1 (i)]

ए वास्तुविद् एवम् उद्यान स्थापना

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पद (एमएस/श्री)	कर्मचारी कोड	मामले की प्रकृति	आवेदन की तिथि	समापन तिथि	देरी (लगभग)
1	नीरज कान्त शर्मा, अनुभाग अधिकारी	306801	रियायती यात्रा भत्ता	16.7.12	25.2.13	7 मास
2	आनन्द एम अथले, मुख्य वास्तुविद	196619	रियायती यात्रा भत्ता	4.1.11	15.4.11	3 ½ मास
3	आनन्द पी टिग्गा, सहायक वास्तुविद	259805	सीइए	4.5.10	4.8.10	3 मास
4	अशोक सिंह, सहायक वास्तुविद	308329	अर्जित अवकाश	30.5.11 13.6.11	8.9.11 -यही-	3 मास -यही-
5	पूनम अैधी, वास्तुविद सहायक	196768	रियायती यात्रा भत्ता	7.1.11	8.4.11	3 मास
6	औंकार माली	301987	रियायती यात्रा भत्ता नकदीकरण	20.1.11 28.12.10	18.5.11 28.3.11	4 मास 3 मास
7	रीटा सेठी, सहायक वास्तुविद	196742	नकदीकरण	23.11.12	7.1.13	2 मास
8	कमलेश कुमारी, वास्तुविद सहायक	239279	अर्जित अवकाश	30.5.11	1.7.11	1 मास
9	वीना पवार, वास्तुविदक सहायक	239287	प्रतिबद्ध अवकाश अर्जित अवकाश	16.12.10 20.6.11	2.2.11 31.10.11	1 ½ मास 4 मास
10	बिजेन्द्र पाल सिंह, एडी	230706	सीइए	29.3.12	2.5.12	1 मास
11	सत्या देव, माली	300963	रियायती यात्रा भत्ता नकदीकरण अर्जित अवकाश -यही-	3.2.11 22.12.10 13.5.10 2.5.11	2.5.12 28.6.11 30.6.10 8.6.11	15 मास 6 मास 1 ½ मास 1 मास
12	जगदीश लाल, वरिष्ठ सहायक	189549	अर्जित अवकाश -यही-	6.7.10 2.8.11	6.9.10 6.9.11	2 मास 1 मास
13	धर्मबीर चावला, अनुभाग अधिकारी	106428	नकदीकरण	16.9.11	1.11.11	1 ½ मास
14	राजेन्द्र प्रसाद, माली	309482	सीइए -यही-	28.4.10 10.5.12	5.7.10 29.6.12	2 मास 1½ मास

बी शिक्षा स्थापना

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पद (एमएस/श्री)	कर्मचारी कोड	मामले की प्रकृति	आवेदन तिथि	समापन तिथि	
15	टी.डी.शर्मा, प्रधानाचार्य	211607	अर्जित अवकाश नकदीकरण रियायती यात्रा भत्ता	7.5.10 11.6.10	13.10.10 9.9.10	5 मास
16	रीमा कुमारी, ओएस उप-प्रधानाचार्य	265232	सीइए रियायती यात्रा भत्ता	5.4.11 19.7.11	6.10.11 18.1.12	6 मास
17	सुरेश वती, वरि.समाज शिक्षा अध्यापक	276552	अर्जित अवकाश	6.6.12	13.12.12	6 मास
18	आर.एस.शर्मा, प्रबन्धक (एसटीडी)	217019	अर्जित अवकाश	17.9.10	11.3.11	6 मास
19	मंजुषा गुप्ता, क्राफ्ट अनुदेशक	237380	अर्जित अवकाश -यही- रियायती यात्रा भत्ता	13.6.11 22.3.13 10.1.13	10.8.11 15.5.13 17.8.13	2 मास 2 मास 7 मास
20	गिरीश कुमार शर्मा, लैक्चरार	244343	अर्जित अवकाश रियायती यात्रा भत्ता -यही-	31.3.10 3.2.11 27.4.12	22.5.10 27.7.11 9.11.12	1 ½ मास 5 ½ मास 6 मास
21	अंजना रानी, वरि. समाज शिक्षा अध्यापक	276578	अर्जित अवकाश रियायती यात्रा भत्ता -यही-	7.3.11 30.7.12 13.4.11 31.7.12	30.5.11 6.9.12 29.9.11 9.1.13	2 ½ मास 1 मास 5 ½ मास 5 मास
22	पूनम रानी , कनि. समाज शिक्षा अध्यापक	306143	अर्जित अवकाश रियायती यात्रा भत्ता	21.6.10 23.4.13	5.8.10 28.5.13	1 ½ मास 1 मास
23	रेखा रानी, वरि. समाज शिक्षा अध्यापक	306138	अर्जित अवकाश	6.9.10 12.11.12	12.10.10 4.4.13	1 मास 4 ½ मास

24	सुनीता शर्मा, कनि. समाज शिक्षा अध्यापक	306144	अर्जित अवकाश अर्जित अवकाश नकदीकरण	31.8.10 19.11.12	1.10.10 10.4.13	1 मास 4 ½ मास
25	डॉ. अत्तर परवेज, लैक्चरार	222589	अर्जित अवकाश	18.10.12	9.1.13	2 ½ मास
26	मुन्ना लाल, उप प्रधानाचार्य	253336	सीइए	2.5.11	5.7.11	2 मास

सी स्वास्थ्य स्थापना

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पद (एमएस/श्री)	कर्मचारी कोड	मामले की प्रकृति	आवेदन तिथि	समापन तिथि	क्मसंले (ंचचतवगण)
27	डॉ. हरी सिंह गांधी, मु.चि.अधि.	229618	नकदीकरण रियायती यात्रा भत्ता नकदीकरण	19.11.10 28.1.11 12.10.12	29.6.11 11.3.11 14.1.13	7 मास 1 ½ मास 3 मास
28	डॉ. (श्रीमती) सुशील हरित, मु.चि.अधि.	275158	नकदीकरण रियायती यात्रा भत्ता	9.9.10 15.12.10	26.5.11 8.2.11	8 मास 1 ½ मास
29	डॉ. एम.एस. भाटिया, मु.चि.अधि.	195877	नकदीकरण प्रतिबद्ध अवकाश	13.10.10 7.1.11	20.12.10 7.2.11	2 मास 1 मास
30	अरूणा सेठी, स्टाफ नर्स 'ए'	238174	नकदीकरण रियायती यात्रा भत्ता	16.5.12 7.8.12	18.7.12 07.3.13	2 मास 6 मास
31	डॉ. रामफल मित्तल, विशेषज्ञ	306887	नकदीकरण रियायती यात्रा भत्ता	2.8.12 22.8.12	18.12.12 4.10.12	4 मास 1 ½ मास
32	डॉ. (श्रीमती) कुलदीप कौर, विशेषज्ञ ग्रेड-1	257114	अर्जित अवकाश	8.11.12	10.12.12	1 मास
33	सहदेव सिंह आर्य फार्मासिस्ट	273350	नकदीकरण रियायती यात्रा भत्ता	6.5.10 6.5.10	30.6.10 22.7.10	2 मास 2 ½ मास
34	कुसुम रंगा, फार्मासिस्ट	239047	अर्जित अवकाश	11.3.10	5.5.10	1 ½ मास
35	घरआनन्द, हैड कुक	196239	अर्जित अवकाश	13.5.13	18.7.13	2 मास
36	डॉ.(श्रीमती) रूमा चटर्जी, होम्यो फिजिशयन	257453	अर्जित अवकाश (रद्द)	26.3.12	7.5.12	1 ½ मास
37	शीला देवी, एसडब्ल्यूडी बेलदार	281014	रियायती यात्रा भत्ता अर्जित अवकाश	22.9.12 26.12.12	28.6.13 8.7.13	9 मास 6 मास
38	चन्द्रवती, एसडब्ल्यूडी बेलदार	306986	अर्जित अवकाश -यही-	8.9.09 2.7.11	25.11.10 16.1.12	14 मास 6 मास

डी मुख्य स्थापना

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पद (एमएस/श्री)	कर्मचारी कोड	मामले की प्रकृति	आवेदन तिथि	समापन तिथि	क्मसंले (ंचचतवगण)
39	कुमार हरिशीकेश, निदेशक	2118720	सीइए रियायती यात्रा भत्ता	7.5.12 15.1.13	12.9.12 26.6.13	4 मास 5 मास
40	अनिल कुमार, साहा, मु.सु.अधि.	309882	स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	7.1.10	6.6.11	17 मास
41	भोपाल सिंह, कनि. वित्तीय सलाहकार	118423	अर्जित अवकाश नकदीकरण	29.11.10	17.3.11	3 ½ मास
42	चन्दा शर्मा, जेएओ	290114	अर्जित अवकाश	27.5.13	12.7.13	1 ½ मास
43	आर.डी.जोशी, स.लेखा अधि.	272625	सीइए	18.8.11	30.11.11	3 मास
44	उत्तम सिंह, एएफजी	308454	अर्जित अवकाश रियायती यात्रा भत्ता	4.1.13 4.7.11	13.3.13 10.12.11	2 मास 5 मास
45	रीटा गुप्ता, आशुलिपिक	186214	अर्जित अवकाश नकदीकरण रियायती यात्रा भत्ता	5.4.10 13.5.10	10.6.10 11.8.10	2 मास 3 मास
46	पंकज चौहान, हेल्पर	305677	अर्जित अवकाश नकदीकरण रियायती यात्रा भत्ता	29.2.12 11.4.12	11.5.12 28.2.13	3 मास 11 मास
47	बाबू राम, एएलएम	254516	अर्जित अवकाशनकदीकरण रियायती यात्रा भत्ता	16.11.12 24.12.12	18.6.13 20.2.13	7 मास 2 मास
48	राम किशन पाल, वरि. सहायक	119182	अर्जित अवकाश नकदीकरण रियायती यात्रा भत्ता	24.12.10 29.12.10	29.6.11 31.5.11	6 मास 5 मास
49	द्रोपदी बाखरू, आशुलिपिक	185406	रियायती यात्रा भत्ता	28.4.11	18.8.11	3 ½ मास

अनुलग्नक - XIII

स्थापना-वार विषयों का विवरण जहाँ विभिन्न अवसरों पर वेतन का फिक्सेशन/री-फिक्सेशन तथा वेतन के बकायों के भुगतान में 3 माह से अधिक का विलम्ब हुआ

अध्याय-3 [पैरा 3.2.1 (ii)]

ए शिक्षा स्थापना

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पद (एमएस/श्री)	कर्मचारी कोड	वेतन संशोधन के अवसर	प्रभावी होने की तिथि /आदेश	भुगतान की तिथि	
1	आर.के.शर्मा, प्रबन्धक (एसटीडी)	217019	पुर्ननिर्धारण	1.1.06	26.8.13	7 ½ वर्ष
2	पूनम रानी, कनि.समाज.शिक्षा अध्यापक	306143	एमएसीपी पुर्ननिर्धारण	1.3.09 1.1.06	अभी तक भुगतान नहीं हुआ 11.1.13	4 ½ वर्ष 7 वर्ष
3	सुनीता शर्मा, कनि.समाज.शिक्षा अध्यापक	306144	पुर्ननिर्धारण	1.1.06	28.1.13	7 वर्ष
4	रेखा रानी, वरि.समाज.शिक्षा अध्यापक	306138	पुर्ननिर्धारण	1.1.06	14.3.13	7 वर्ष
5	संतरा देवी, बाल सहायिका (31.10.12 को सेवानिवृत)	204876	एमएसीपी	1.9.08	7.1.13	4 ½ वर्ष
6	मुन्ना लाल उप प्रधानाचार्य	253336	एमएसीपी	1.9.08	1.5.12	3 ½ वर्ष
7	टी.डी.शर्मा, प्रधानाचार्य	211607	एमएसीपी	17.3.09 27.4.12	30.11.11 28.9.12	2 ½ वर्ष 5 मास
8	बलिन्द्र सिंह, पीईटी	225864	एमएसीपी	1.9.08	17.12.11	3 वर्ष
9	नियकान्ता टिरकी, मुख्याध्यापक (प्रा.)	244674	एमएसीपी	1.9.08	16.9.11	3 वर्ष
10	सुन्दर लाल सहगल, कनि.संगीत अध्यापक	259467	एमएसीपी	17.11.09	10.4.12	2 ½ वर्ष
11	डॉ. अत्तर प्रवेज, लैक्चरार	222589	एमएसीपी	9.10.10	14.12.11	14 मास
12	राम रती देवी हेल्पर	238693	समयबद्ध पदोन्नति वेतनमान	13.8.12	12.6.13	10 मास
13	कुसुम लैक्चरार	277112	पदोन्नति	15.3.12	31.10.12	7 मास

बी वास्तुविद एवं उद्यान स्थापना

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम पद (एमएस/श्री)	कर्मचारी कोड	मामले की प्रकृति	आदेश की तिथि	बकाया भुगतान की तिथि	
14	बिजेन्द्र पाल सिंह, एडी	230706	एमएसीपी पुर्ननिर्धारण	9.5.11 23.10.12	17.4.13 8.4.13	23 मास 5 ½ मास
15	नीरज कान्त शर्मा, अनु.अधि.	306801	पुर्ननिर्धारण	27.4.12	29.11.12	7 मास
16	रीटा सेठी, सहायक वास्तुविद	196742	तृतीय एमएसीपी	17.8.12	3.1.13	4 ½ मास
17	हरीश कुमार, माली	305813	एसीपी	16.12.11	19.7.12	7 मास
18	पूजा चड्डा, वास्तुविद सहायक	306001	पुर्ननिर्धारण	27.4.12	18.9.12	5 मास
19	सत्येन्दा पाल, एडी	230699	द्वितीय एमएसीपी	16.9.10	4.5.11	7 ½ मास
20	जगदीश लाल, वरिष्ठ सहायक	189549	पुर्ननिर्धारण	5.10.12	31.12.12	3 मास
21	राजेन्द्र प्रसाद माली	309482	-यही-	16.12.11	1.8.12	7 ½ मास

सी स्वास्थ्य स्थापना

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पद (एमएस/श्री)	कर्मचारी कोड	मामले की प्रकृति	आदेश की तिथि	बकायों के भुगतान की तिथि	
22	डॉ. एम.एस.भाटिया, मु.चि.अधि.	195877	पुर्ननिर्धारण	27.4.12	अभी तक भुगतान नहीं हुआ	16 मास
23	डॉ (एमएस) सुशील हरित, मु.चि.अधि.	275158	पुर्ननिर्धारण	27.4.12	28.12.12	8 मास
24	डॉ. (एमएस) कीर्ति नानल, मु.चि.अधि.	172627	पुर्ननिर्धारण	27.4.12	18.10.12	5 ½ मास
25	डॉ. हरि सिंह गांधी, मु.चि.अधि.	229618	पुर्ननिर्धारण	1.3.12	30.5.12	3 मास
26	डॉ. रचना देव, मु.चि.अधि.	195869	पुर्ननिर्धारण	30.12.11 17.8.12	28.5.12 18.1.13	5 मास 5 मास
27	बिमला देवी, होम्यो कम्पाउडर0	173956	द्वितीय एमएसीपी पुर्ननिर्धारण	6.10.10 27.4.12	24.2.11 11.4.13	4 ½ मास 12 मास
28	शकुन्तला हाडा, होम्यो फार्मासिस्ट	193722	पुर्ननिर्धारण	17.8.12	03.6.13	9 ½ मास

29	सहदेव सिंह आर्य, फार्मासिस्ट	273350	पुर्ननिर्धारण	1.10.12	10.1.13	3 मास
30	घरआनन्द, मुख्य कुक	196239	-यही-	16.11.12	18.6.13	7 मास
31	राम गोपाल, एसडब्ल्यूडी बेलदार	230780	-यही-	5.10.12	27.6.13	8 ½ मास
32	डॉ. अनीता खौसवाल, मु.चि.अधि.	264945		23.11.12	April 13	4 मास

डी मुख्य स्थापना

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम और पद (एमएस/श्री)	कर्मचारी कोड	वेतन संशोधन	प्रभावी/आदेश की तिथि	बकायों के भुगतान की तिथि	विलम्ब(लगभग)
33	चन्दा शर्मा, जेएओ	290114	पुर्ननिर्धारण/6 सीपीसी	5.7.10	27.9.12	26 मास
34	विजेन्द्र कुमार, मीटर निरीक्षक	181107	पुर्ननिर्धारण/ तीसरा समयबद्ध वेतनमान	25.10.09	22.12.10	14 मास
35	रत्तन सिंह जरोडिया, उप निदेशक	181917	पुर्ननिर्धारण	27.4.12	11.1.13	8 मास
36	प्रमोद कुमार, एएफजी	308452	पुर्ननिर्धारण/6 सीपीसी	17.5.10	3.1.11	7 मास
37	आर.डी.जोशी, स.ले.अधि.	272625	एमएसीपी	28.6.12	28.11.12	5 मास

ई नागर स्थापना

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पद (एसएस/श्री)	कर्मचारी कोड	वेतन संशोधन	प्रभावी/आदेश की तिथि	बकायों के भुगतान की तिथि	विलम्ब(लगभग)
38	शंकर, बेलदार	245937	द्वितीय एमएसीपी	03.12.12	23.08.13	8 मास
39	राम चन्द्र, बेलदार	305442	प्रथम एमएसीपी	10.03.11	13.08.13	29 मास
40	दूधू	305666	प्रथम एमएसीपी	18.03.11	21.07.13	28 मास
41	नटराजन, बेलदार	307445	प्रथम एमएसीपी	04.06.13	Not paid till Sept. 13	तीन मास से अधिक
42	जय भगवान, बेलदार	209629	प्रथम एमएसीपी	28.04.11	09.02.12	10 मास
43	दिनेश कुमार, बेलदार	308829	डीटीएल	04.05.10	03.08.11	15 मास
44	राकेश, बेलदार	246688	द्वितीय एमएसीपी	24.02.11	04.10.12	20 मास
45	रमेश कुमार, बेलदार	305082	प्रथम एमएसीपी	26.08.11	02.06.12	10 मास
46	हर्ष वर्धन, बेलदार	307164	प्रथम एमएसीपी	28.08.12	02.05.13	08 मास

एफ नागर स्थापना-2

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पद (एमएस/श्री)	कर्मचारी कोड	वेतन संशोधन के अवसर	प्रभावी होने की तिथि	भुगतान की तिथि	विलम्ब (लगभग)
47	सुरिन्द्र कुमार, फिट्टर	306481	प्रथम एमएसीपी	19.12.12	01.08.13	8 मास
48	सुरेश कुमार, कनिष्ठ अभि.	273053	डीटीएल/छटा सीपीसी	01.04.10		
49	रमेश, मेसन	132308	शिव शंकरन् वेतनमान	20.11.11		22 मास से अधिक

अनुलग्नक - XIV

स्थापना वार विभिन्न कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि देने में विलम्ब का विवरण

अध्याय-3 [पैरा 3.2.1 (iii)]

अ शिक्षा स्थापना

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पद (एमएस/श्री)	कर्मचारी कोड	वेतन वृद्धि की देय तिथि	वेतनवृद्धि की तिथि	विलम्ब
1	आर.के.शर्मा, प्रबन्धक (स्टेडिया)	217019	01.7.10 01.7.11 01.7.12	10.10.12 ,, ,,	27 मास 15 मास 3 मास
2	राम रती देवी, हेल्पर	238693	01.7.10 01.7.11 01.7.12	05.9.12 ,, ,,	26 मास 14 मास 2 मास
3	वीरेन्द्र सिंह, योगा अध्यापक	207078	1.7.10	7.12.10	5 मास
4	सुनीता शर्मा, कनि.समाज शिक्षा अध्यापक	306144	1.7.12	29.11.12	4 मास
5	नीलकान्ता टिरकी, एचएम (प्रा.)	244674	1.7.12	19.7.13	12 मास
6	गिरीश कुमार शर्मा, लेक्चरार	244343	1.7.10	4.2.11	7 मास
7	कुसुम लेक्चरार	277112	01.7.10 01.7.11	22.12.11 15.3.12	17 मास 8 मास
8	बलिन्द्र सिंह पीईटी	225864	1.7.11	11.11.11	4 मास

ब वास्तुविद एवं उद्यान स्थापना

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पद (एमएस/श्री)	कर्मचारी कोड	वेतन वृद्धि की देय तिथि	वेतनवृद्धि की तिथि	विलम्ब
9	परशु राम, निदेशक	230243	01.7.10	20.1.11	6 मास 19 दिन
10	आनन्द एम एथले, मुख्य वास्तुविद	196619	1.7.11	8.12.11	5 मास 7 दिन
11	बिजेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक	230706	01.7.10 01.7.11	15.3.11 15.10.11	8 मास 14 दिन 3 मास 14 दिन
12	सत्येन्द्र पाल, सहायक निदेशक	230699	01.7.11 01.7.12	16.3.12 27.8.12	8 मास 15 दिन 1 मास 26 दिन
13	धर्मवीर चावला, अनुभाग अधि.	106428	1.7.10	13.7.11	12 मास 12 दिन
14	वीना पंवार, वास्तुविद सहायक	239287	1.7.11	5.10.11	3 मास 4 दिन
15	पूजा चड्डा, वास्तुविद सहायक	306001	1.7.11	3.8.11	1 मास 2 दिन
16	रीटा सेठी, सहायक वास्तुविद	196742	01.7.10 01.7.11	1.9.10 28.2.12	2 मास 7 मास 27 दिन
17	जगदीश लाल, वरिष्ठ सहायक	189549	1.7.12	22.8.12	1 मास 21 दिन
18	राजेन्द्र प्रसाद, माली	309482	1.7.10	13.9.10	2 मास 12 दिन
19	हरीश कुमार, माली	305813	1.7.11	4.8.11	1 मास 3 दिन
20	सत्या देव, माली	300963	01.7.11 01.7.12	10.8.11 31.7.12	1 मास 9 दिन 1 मास

स स्वास्थ्य स्थापना

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पद (एमएस/श्री)	कर्मचारी कोड	वेतन वृद्धि की देय तिथि	वेतन वृद्धि की तिथि	विलम्ब (मास में)
21	शीला देवी, एसडब्ल्यूडी बेलदार	281014	01.7.10 01.7.11 01.7.12	18.4.13 ,, ,,	33 21 9
22	राम गोपाल, एसडब्ल्यूडी बेलदार	230780	01.7.10 01.7.11	13.10.11 ,,	15 3
23	चन्द्रवाली, एसडब्ल्यूडी बेलदार	306986	01.7.10 01.7.11 01.7.12	21.11.11 ,, 8.2.13	16 4 7
24	डॉ. रामफल मित्तल, विशेषज्ञ	306887	01.7.10 01.7.11 01.7.12	8.3.11 7.11.12 7.11.12	8 16 4

25	डॉ. (श्रीमती) कुलदीप कौर, विशेषज्ञ ग्रेड.I	257114	01.7.10	10.2.11	7
26	डॉ. रचना देव, मु.चि.अधि.	195869	01.7.11	27.3.12	8
27	डॉ. (श्रीमती) सुशील हरीट, मु.चि.अधि.	275158	01.7.10	17.2.11	4
28	डा हरी सिंह गांधी, मु.चि.अधि.	229618	01.7.10 01.7.11 01.7.12	2.2.11 24.12.12 ,,	7 17 5
29	डॉ.(श्रीमती) रूमर चटर्जी, होम्यो फिजिशियन	257453	01.7.10	14.2.11	7
30	डॉ. शिव राज सिंह, वरिष्ठ	275091	01.7.10 01-7-11	1-12-11	17 05
31	श्री राजेन्द्र, एसडब्ल्यूडी बेलदार	259699	01.7.10 01-7-11	3-10-11	09 02
32	सुनीता मोघा, नर्सिग सिस्टर	238180	01-7-11	26-7-12	12
33	नन्दन सिंह, बेरर	280652	01.7.10 01-7-11 01-7-12	1-8-12	24 12 01

द मुख्य स्थापना

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पद (एमएस/श्री)	कर्मचारी कोड	वेतन वृद्धि की देय तिथि	वेतन वृद्धि की तिथि	विलम्ब (मास में)
34	नन्दलाल चावला, उप निदेशक	186488	1.7.10 1.7.11	19.12.11 -यही-	16 5
35	रत्तन सिंह जरोडिया, उप निदेशक	181917	1.7.10 1.7.11	12.10.11 -यही-	15 3
36	राम किशन पाल, वरिष्ठ सहायक	119182	1.7.10 1.7.11	23.12.11 -यही-	16 5
37	बृजमोहन शर्मा, दफतरी	184383	1.7.10 1.7.11	9.2.11 20.7.12	7 12
38	बाबू राम, एएलएम	254516	1.7.10	28.2.11	7
39	संजय कुमार, चपरासी	306054	1.7.10	25.2.11	7
40	पंकज चौहान, हेल्पर	305677	1.7.10 1.7.12	28.2.11 12.9.12	7 2
41	बाबू राम, एएलएम	254516	1.7.10	28.2.11	7
42	रीटा गुप्ता, आशुलिपिक	186214	1.7.10	8.9.10	2
43	प्रमोद कुमार, एएफजी	308452	1.7.11	17.10.11	3
44	कृष्ण, वरिष्ठ सहायक	264771	1.7.10	3.3.11	8
45	स्वाती गोयल, डाटा एंट्री आपरेटर	307984	1.7.11	23.11.11	4
46	पूनम, आशुलिपिक	265521	1.7.10	30.5.11	10
47	धर्मपाल, चपरासी	186561	1.7.10 1.7.11	22.12.11 22.12.11	17 5
48	प्रमोद कुमार भंडरी, एएफए	265828	1.7.10	22.2.11	7
49	कवंलजीत कुमार ओबराय, वरिष्ठ सहायक	269573	1.7.10 1.7.11	14.2.11 4.1.12	7 6

निम्नलिखित मामलों में, जुलाई 2010, 2011 तथा 2012 हेतु वार्षिक वेतन वेतनवृद्धि आदेश रिकार्ड पर नहीं थे :-

शिक्षा स्थापना

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पद (एमएस/श्री)	कर्मचारी कोड
1	टी.डी.शर्मा, प्रधानाचार्य	211607
2	रीमा कुमारी ओ.एस.उप प्रधानाचार्य	265232
3	अंजना रानी, वरि.समाज शिक्षा अध्यापक	276578
4	सुरेश वती -यही-	276552
5	मंजुषा गुप्ता, क्राफ्ट अनुदेशक	237380

6	गोबिन्द सिंह, हेल्पर	175457

वास्तुविद एवं उद्यान स्थापना

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पद (एमएस/श्री)	कर्मचारी कोड
7	नीरज कान्त शर्मा, अनु.अधि.	306801
8	कमलेश कुमारी, वास्तुविद सहायक	239279

स्वास्थ्य स्थापना

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पद (एमएस/श्री)	कर्मचारी कोड
9	डॉ.(श्रीमती) कीर्ति ननल, मु.चि.अधि.(एसएजी)	172627
10	बिमला देवी, होम्यो कम्पाउडर	173956
11	शकुन्तला हाडा, होम्यो फार्मासिस्ट	193722
12	सोहन लाल, एसडब्ल्यूडी बेलदार	232819
13	डॉ. एस.के.मलिक, मुख्य आर्यु.फिजीशिन	269557

अनुलग्नक - XV

समयबद्ध पदोन्नित वेतनमानों को प्रदान करने में विलम्ब

अध्याय -3 [पैरा 3.2.1(iv)]

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम श्री/श्रीमती	पद/कर्मचारी कोड	नियुक्ति की तिथि	प्रथम/द्वितीय/तृतीय समयबद्ध वेतनमान प्रदान करने की निर्धारित तिथि	समयबद्ध वेतनमान प्रदान करने हेतु कार्यालय आदेश की वास्तविक तिथि	मासों/वर्षो का विलम्ब
1	देवेन्द्र कुमार	S.I-IInd grade/275033	11.03.1994	11.03.2012	06.02.2013	11 मास
2	विजय कुमा सत्यार्थी	एसएसए/276255	23.03.1994	23.03.2012	09.01.2013	09 मास
3	सतेन्द्र कुमार गौतम	एसएसए/274986	17.03.1994	17.03.2012	28.01.2013	09 मास
4	रणबीर साह	एसएसए/276099	30.03.1994	30.03.2012	22.10.2012	07 मास
5	विजय कुमार	एसएसए/274994	11.03.1994	11.03.2012	25.09.2012	06 मास
6	सुधीर कुमार	एसएसए/227688	25.08.1984	25.08.2010	25.08.2012	21 मास
7	निजुमदीन	एसएसए/	27.04.1983	11.07.2009	12.08.2011	25 मास

अनुलग्नक - XVI

हितकारी निधि योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षा की सहायता में विलम्ब की सूची

अध्याय-3 [पैरा 3.2.1(v)]

क्र. सं.	प्रस्ताव का पृष्ठ सं./क्र.सं.	कर्मचारी का नाम व पद	कर्मचारी कोड	एल डब्ल्यू ए शाखा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख	प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख	प्रस्ताव की मंजूरी की तारीख	भुगतान की तिथि	प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में महीने में देरी
1	52/111	ओंकार सिंह, शिफट इंचार्ज	-	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
2	52/112	श्री विजेन्द्र सिंह, माली	305213	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
3	52/113	मुनेश देवी, माली	310538	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
4	52/114	वीना पुनिया, सहायक अध्यापक	277261	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
5	53/115	सीमा मुंजाल, सहायक अध्यापक	280313	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
6	53/116	राजपाल सिंह, शिफ्ट इंचार्ज	306611	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
7	53/117	बच्चन बापू शर्मा, शिफ्ट इंचार्ज	248981	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
8	53/118	विनोद कुमार चौहान, सीएंडडी	258039	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06

		मिस्त्री						
9	53/119	प्रेम राज शर्मा, खल्लासी	289604	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
10	53/120	लक्ष्मण सिंह, चौकीदार	236374	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
11	53/121	सुखबीर सिंह, लीडिंग फायरमैन	269945	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
12	53/122	रमेश	190158	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
13	53/123	अजय कुमार मिश्रा, चौकीदार	251918	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
14	53/124	रविन्द्रा नाथ शुक्ला, चौकीदार	242032	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
15	53/125	सत्यापाल सिंह, वायरमेन-II ग्रेड	259003	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
16	54/150	बिमला देवी, वरि.समाज शिक्षा अध्यापक	276586	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
17	54/151	नफे सिंह, कनिष्ठ अभि.	272097	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
18	54/153	मीनू अश्वनी, विशेष शिक्षा अध्यापक	256637	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
19	54/155	मीनू अश्वनी, विशेष शिक्षा अध्यापक	256637	22.06.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	03
20	54/156	केदार नाथ, फिट्टर	236522	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
21	54/157	प्रदीप कुमार, माली	300426	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
23	54/158	जसपाल, खल्लासी	289323	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
24	54/159	अशोक कुमार, कनि.अभि0	113928	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06
25	54/160	पुष्पा त्रिपाठी, बाल सहायिका	306905	08.03.11	23.09.11	07.10.11	18.11.11	06

अनुलग्नक - XVII

हितकारी निधि योजना के तहत मृतक व्यक्ति के परिवार के लिए सहायता की देरी के मामलों की सूची

अध्याय-3 [पैरा 3.2.1(v)]

क्र. सं.	प्रस्ताव का पृष्ठ सं./क्र.सं.	नाम व कर्मचारी का पद	एल डब्ल्यू ए शाखा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख	प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तारीख	प्रस्ताव की मंजूरी की तारीख	भुगतान की तिथि	प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में महीने में देरी
1	452/1	स्व.श्री भूपत सिंह, बेलदार	09.09.10	26.11.10	20.01.11	24.01.11	2.5
2	452/2	स्व.श्री जगदीश चन्द्रा, एएलएम	23.09.10	26.11.10	20.01.11	24.01.11	02
3	452/3	स्व.श्री मोहन सिंह, एएलएम	01.10.10	26.11.10	20.01.11	24.01.11	02
4	452/4	स्व. श्री ओम प्रकाश, वायरमैन, ग्रेड-II	06.10.10	26.11.10	20.01.11	24.01.11	02
5	452/5	स्व. श्री जय सिंह, एस.के.	06.10.10	26.11.10	20.01.11	24.01.11	02
6	452/6	स्व. श्री भागीरथ चन्द, बेलदार	08.10.10	26.11.10	20.01.11	24.01.11	1.5
7	452/7	स्व. श्री कुलदीप, सीवर मेन	11.10.10	26.11.10	20.01.11	24.01.11	1.5
8	452/8	स्व. श्री विजय, एस.के.	11.10.10	26.11.10	20.01.11	24.01.11	1.5
9	453/9	स्व. श्री भागीरथ चन्द, बेलदार	11.10.10	26.11.10	20.01.11	24.01.11	1.5
10	453/10	स्व. श्रीमती किरन कक्कर, सहायक अध्यापक	15.10.10	26.11.10	20.01.11	24.01.11	1
11	453/11	स्व. श्री विनोद गर्ग, कनिष्ठ सहायक	15.10.10	26.11.10	20.01.11	24.01.11	1
12	570/1	स्व. श्री रमेश कुमार, मीटर टैस्टर	14.02.11	02.06.11	09.06.11	21.06.11	04
13	570/2	स्व. श्री बसन्त लाल, एएलएम	14.02.11	02.06.11	09.06.11	21.06.11	04
14	570/3	स्व. श्री रमेश, एएलएम	18.02.11	02.06.11	09.06.11	21.06.11	04
15	570/4	स्व. श्री राजीव कुमार शर्मा, कनिष्ठ सहायक	24.02.11	02.06.11	09.06.11	21.06.11	03
16	570/5	स्व. श्री बिन्द्रा बेन, बेलदार	23.02.11	02.06.11	09.06.11	21.06.11	03
17	570/6	स्व. श्रीमती बुद्धन	23.02.11	02.06.11	09.06.11	21.06.11	03
18	570/7	स्व. कुनका, बेलदार	07.03.11	02.06.11	09.06.11	21.06.11	03
19	570/8	स्व. श्री जयवीर सिंह, सामाजिक कार्यकर्त्ता	07.03.11	02.06.11	09.06.11	21.06.11	03
20	570/9	स्व. श्री पुन्नु स्वामी, बेलदार	07.03.11	02.06.11	09.06.11	21.06.11	03

21	570/10	स्व. श्री मुत्थु स्वामी,	07.03.11	02.06.11	09.06.11	21.06.11	03
22	570/11	स्व. श्री पन्चू, एएलएम	15.03.11	02.06.11	09.06.11	21.06.11	03

अनुलग्नक - XVIII

सितम्बर, 2012 मास में मेडिकल बिल बारी से बाहर की मंजूरी के कर्मचारियों की सूची

चिकित्सा बिल कर्मचारियों की सूची

अध्याय-3 [पैरा 3.2.2 (i)]

क्र.सं.	नाम तथा कर्मचारी का पद	कर्मचारी कोड	चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन के प्राप्त होने की तिथि	राशि (₹)
1	तरूण कुमार गर्ग, कनिष्ठ सहायक	307799	03.09.2012	3297/-
2	अजय कुमार पांडे, बेलदार	310751	05.09.2012	6196/-
3	सुमन लता कपूर, वरिष्ठ सहयक	198160	30.08.2012	9043/-
4	एस. मरीमुत्थु, एलएमवी ड्राईवर	283888	14.08.2012	4723/-
5	पन्नी गुप्ता, अभियंता	100701	30.08.2012	5284/-
6	वीना नारंग, लेखा अधिकारी	191065	19.07.2012	3220/-
7	अनूप कुमार, एएफजी	310619	12.07.2012	691/-
8	मो. इरशाद, फायरमेन	307210	01.08.2012	8800/-
9	संजीव कुमार, सुरक्षा गार्ड	306874	01.08.2012	17340/-
10	ओम प्रकाश, शिफ्ट आफीसर	146507	14.08.2012	43131/-
11	अशोक कोहली, वरिष्ठ सहायक	189341	27.08.2012	6901/-
12	वीना कुमार खुराना	183179	07.09.2012	11330/-
13	अमीता गुलाटी	271114	27.08.2012	73991/-

अनुलग्नक - XIX

सितम्बर-2012 को चिकित्सा बिल, जो लम्बित और मंजूरी देने हेतु कर्मचारियों की सूची

अध्याय-3 [पैरा 3..2.2 (i)]

क्र.सं.	नाम एवं कर्मचारी का पद	कर्मचारी कोड	चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन की तिथि	राशि (₹)	मास में विलम्ब	तीन मास की सामान्य प्रा से अधिक विलम्ब मास में
1	लखी चन्द, माली	305310	16.03.2012	1820/-	06	03
2	राम किशन, बेलदार	105924	28.02.2012	1114/-	07	04
3	मदन लाल शर्मा, बेलदार	291724	01.03.2012	392/-	07	04
4	ब्रहम स्वरूप कौशल, बिल कलेक्टर	187204	17.04.2012	1548/-	05	02
5	शम्भू सरन त्रिपाठी, चौकीदार	305768	29.03.2012	1065/-	06	03
6	भगवान सहाय, एएलएम	258352	21.06.2011	927/-	15	12
7	मुत्थू स्वामी,बेलदार	271007	25.11.2011	6385/-	10	07
8	कमलजीत, आयल फिट्टर आपरेटर	258063	31.10.2011	2261/-	11	08
9	संजय कुमार झा, टीजीटी	293796	30.04.2012	14641/-	05	02
10	सतवीर सिंह, चपरासी	193384	10.04.2012	24009/-	05	02
11	सविता बधान, निजी सहायक	103325	05.03.2012	35210/-	06	03
12	राज कुमार नागर, फायरमेन	269763	25.11.2010	11963/-	10	07
13	गीता शर्मा, मुख्य सहायक	141474	11.11.2011	10269/-	10	07
14	विजेन्द्र सिंह, ड्राईवर	288812	03.01.2012	12827/-	08	05

<u>अनुलग्नक - XX</u>

<u>कर्मचारियों के बच्चों के विवाह हेतु हितकारी निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने में विलम्ब के मामलों की सूची</u>

अध्याय-3 [पैरा 3.2.2.(ii)]

क्र.सं.	पृष्ठ/क्र.सं.	कर्मचारी का नाम एवं मद	बच्चे का नाम	विवाह की तिथि	आवेदन प्राप्त करने की तिथि	फाइल को जमा करने की तिथि	चैक की सहमति की तिथि	आवेदन पत्रों में विलम्ब
1	904/24	श्रीमती सत्यावती, सफाई कर्मचारी	आशीष	17.01.11	25.02.11	07.12.12	30.01.13	22
2	904/13	श्री शूरवीर सिंह, चपरासी	राजू	26.02.12	18.01.12	07.12.12	30.01.13	11
3	904/17	श्री मोती, एएलएम	चन्द्र	15.04.12	17.04.12	07.12.12	30.01.13	08
4	904/18	श्री भूदेव, एएलएम	ज्योति	11.03.12	05.03.12	07.12.12	30.01.13	09
5	905/34	श्री श्रीपाल सिंह, माली	नेहा	17.02.12	22.12.11	07.12.12	30.01.13	12
6	905/41	श्री धर्म प्रकाश, माली	कविता	30.01.12	01.04.12	07.12.12	30.01.13	11
7	780/4	श्री ओमप्रकाश, वायरमेन	सुरेन्द्रा	16.06.09	08.07.09	12.02.10	08.06.10	07
8	792/1	श्री सरजन, एएलएम	पप्पी	16.05.10	03.05.10	18.10.10	15.11.10	05
9	792/3	श्रीमती नन्दी देवी, बाल सहायिका	जीवन	28.05.10	17.05.10	18.10.10	15.11.10	05
10	792/7	श्रीमती स्नेहलता	सुचेता	04.05.10	24.04.10	18.10.10	15.11.10	06
11	827/105	श्रीमती पी. लक्ष्मी, एएलएम	पी. रमेश	29.06.10	28.07.10	21.01.11	08.03.11	06
12	827/120	श्री इलम सिंह, सफाई कर्मचारी	निशा	08.07.10	14.06.10	21.01.11	08.03.11	07
13	829/148	श्री चन्द्रपाल, माली	चन्द्र मोहन	28.06.10	20.05.10	21.01.11	08.03.11	08
14	829/163	श्री बद्री, माली	दिनेश कुमार	31.05.10	12.07.10	21.01.11	08.03.11	06
15	837/1	श्री वेद प्रकाश, सफाई कर्मचारी	पूनम	05.05.11	24.09.10	08.06.11	20.07.11	09
16	838/25	श्री ईश्वर सिंह, चौकीदार	नीतू	08.12.10	17.11.10	08.06.11	20.07.11	07
17	839/36	श्री वेद राज, सफाई कर्मचारी	नीतू	28.11.10	16.11.10	08.06.11	20.07.11	07
18	839/42	श्री राम प्रशाद, बेलदार	अनिल	17.11.10	26.10.10	08.06.11	20.07.11	08
19	846/171	श्री सुरिन्द्र, सफाई कर्मचारी	सपना	20.10.10	04.10.10	08.06.11	20.07.11	08
20	849/214	श्री राधे श्याम, बेलदार	कुलदीप	19.11.10	29.08.10	08.06.11	20.07.11	10
21	850/233	श्री रिशी राज, एएलएम	आशा रानी	27.11.10	09.11.10	08.06.11	20.07.11	07
22	850/234	श्रीमती सिनीता, बेलदार	पूजा	11.12.10	03.11.10	08.06.11	20.07.11	06 -
23	850/236	श्री राकेश कुमार, सफाई कर्मचारी	राहुल	17.11.10	16.11.10	08.06.11	20.07.11	07
24	853/288	श्री केश राम, माली	योगिन्द्र	19.07.10	17.08.10	08.06.11	20.07.11	10
25	863/1	श्री बाबू राम, चौकीदार	पूजा	11.12.10	06.12.10	17.11.11	09.01.12	11
26	863/2	श्री श्याम लाल, मेसन	सुनील	18.06.10	10.05.10	17.11.11	09.01.12	16
27	863/16	श्री राकेश, माली	ममता	16.12.10	08.12.10	17.11.11	09.01.12	11
28	863/9	श्री राम सिंह, मेसन	जय सिंह	07.03.11	15.03.11	17.11.11	09.01.12	08

29	863/15	श्री लक्ष्मण, माली	हेमलता	11.03.11	03.03.11	17.11.11	09.01.12	08
30	863/7	श्री सुरिन्द्रा कुमार, बेलदार	सोनिया	25.03.11	13.04.11	17.11.11	09.01.12	07
31	864/26	श्रीमती मचला, सफाई कर्मचारी	आरती	29.11.10	03.11.10	17.11.11	09.01.12	12
32	864/32	श्री राम कुमार, बेलदार	दलीप	21.01.11	30.12.10	17.11.11	09.01.12	11
33	864/36	श्रीमती मानती, सफाई कर्मचारी	अर्जुन	16.04.10	09.04.10	17.11.11	09.01.12	19
34	865/63	श्री पी.एन.शर्मा, भूतपूर्व अभियंता	अर्चना	04.07.10	26.06.10	17.11.11	09.01.12	17
35	904/4	श्री मिश्री लाल, मेट	रोहित	23.02.12	03.04.12	07.12.12	30.01.13	08

अनुलग्नक - XXI

2013 में सहायक लेखा अधिकारियों की सूची

अध्याय- 3 [पैरा 3.2.3 (अ)]

क्र.स.	अधिकारी का नाम/(श्री/श्रीमती/सुश्री)	कार्यभार संभालने की तिथि	नियुक्ति आदेश की तिथि
1	विजय कुमार राजपूत	04.09.13	19.09.13
2	शशी शेखर	05.09.13	19.09.13
3	सीमा सचदेव	05.09.13	19.09.13
4	अजय कुमार	05.09.13	19.09.13
5	रश्मि शर्मा	05.09.13	19.09.13
6	राम निवास शर्मा	05.09.13	19.09.13
7	सुधीर कुमार	05.09.13	19.09.13
8	स्वप्न कुमार	06.09.13	19.09.13
9	राम सुख	06.09.13	19.09.13
10	जितेन्द्र बत्रा	06.09.13	19.09.13
11	सुधांशु कुमार	09.09.13	19.09.13
12	मनीष कुमार जुयाल	10.09.13	19.09.13
13	विरेन्द्र कुमार	11.09.13	19.09.13
14	अर्चना सेठ	12.09.13	19.09.13
15	संजय शर्मा	13.09.13	30.09.13
16	संजीब कुमार सिंह	13.09.13	30.09.13
17	प्रदीप रावत	13.09.13	30.09.13
18	मनोजीत	16.09.13	30.09.13
19	विकास गुप्ता	16.09.13	30.09.13
20	स्नेहा के.	17.09.13	30.09.13
21	विनय अरोड़ा	17.09.13	30.09.13
22	राकेश बिष्ट	17.09.13	30.09.13
23	रजनी वर्मा	17.09.13	30.09.13
24	रविन्द्रा राजदान	18.09.13	30.09.13
25	सजल देब नाथ	20.09.13	30.09.13
26	मुरलीधर कुशवाहा	24.09.13	31.10.13
27	दीपक कुमार	25.09.13	31.10.13
28	संजीव कुमार भारद्वाज	27.09.13	31.10.13
29	भाग्या लक्ष्मी के.	14.10.13	31.10.13

<u>अनुलग्नक - XXII</u>

स्टाफ की नियुक्ति में विलम्ब

अध्याय- 3 [पैरा 3-2-3 (ब)]

क्र.सं.	नाम एवं पद	जनवरी 11	फरवरी 11	मार्च 11	अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्टू. 11	नवम्बर 11	दिसम्बर 11	(मास/ दिनों की सूची
1	मीरा रानी, कनि.सहायक (अनुबंध)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	12 महीनों से अधिक
2	सचिन गुप्ता, डा.एन्ट्री आपरे. (अनुबंध)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-यही-
3	नीरज कुमार, कनि.सहायक (अनुबंध)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-यही-
4	ओमप्रकाश, कनि.सहायक (अनुबंध)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-यही-
5	गणेश चन्द्र पांडे, हेल्पर (अनुबंध)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-यही-
6	ललित छावरिया, हेल्पर (अनुबंध)	P	P	P	P	P	P	P	P	कोई टिप्पणी नहीं	-	-	-	8 मास
7	सुनील कुमार, हेल्पर	P	P	P	P	P	P	21.07.11	-	-	17.10.11	P	P	6 मास से अधिक
8	मंजु यादव, हेल्पर (अनुबंध)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	6 मास से अधिक
9	सूरज उपाध्याय, हेल्पर (अनुबंध)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-यही-
10	खुशीबरमन, हेल्पर (अनुबंध)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		-यही-
11	सुमन, कनिष्ठ सहायक	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	-यही-
12	कृष्ण पाल, कनि.सहायक	P	P	P	P	P	P	05.07.11	-	-	-	-	-	6 मास से अधिक
13	कबीर सैनी, कनि.सहायक (अनुबंध)	P	P	P	P	P	P	11.07.11	-	-	-	-	-	-यही-
14	हरीश प्रशाद, डा.एन्ट्री आपरे. (अनुबंध)	-	01.02.11	16.03.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5 मास
15	शीतल, डा.एन्ट्री आपरे. (अनुबंध)	-	01.02.11	16.03.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-यही-
16	प्रमोद कुमार, हेल्पर (अनुबंध)	-	18.02.11	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	12 मास से अधिक
17	प्रवीन कुमार, हेल्पर (अनुबंध)	-	24.02.11	22.03.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 मास
18	भास्कर भट्ट	-	23.02.11	16.03.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-यही-
19	नीलम अहमद, डा.ऐन्टी आपरे.	-	-	30.03.11	P	P	P	04.07.11	-	-	-	-	-	3 मास
20	सतीश कुमार, हेल्पर (अनुबंध)	-	-	-	05.04.11	P	P	P	23.08.11	-	-	-	-	4 मास
21	नितीन कुमार, हेल्पर, अनुबंध	-	-	-	06.04.11	P	P	P	P	P	P	P	P	9 मास
22	राजा बाबू, हेल्पर (अनुबंध)	-	-	-	07.04.11	P	P	P	P	P	P	P	P	-यही-
23	नजमुज जम्मा, हेल्पर	-	-	-	07.0	04.	-	-	-	-	-	-	-	1 मास

	(अनुबंध)				4.11	05.11								
24	सुधा, हेल्पर,	-	-	-	08.04.11	04.05.11	-	-	-	-	-	-	-	–यही–
25	गुरदीन मोरीया, चौकीदार	-	-	-	07.04.11	25.05.11	-	-	-	-	-	-	-	–यही–
26	मनविन्दर सिंह, हेल्पर(अनुबंध)	-	-	-	11.04.11	04.05.11	-	-	-	-	-	-	-	–यही–
27	अतुलेश कुमार, हेल्पर (अनुबंध)	-	-	-	20.04.11	04.05.11	-	-	-	-	-	-	-	15 दिन
28	बिजेन्द्र कुमार, हेल्पर (अनुबंध)	-	-	-	20.04.11	04.05.11	-	-	-	-	-	-	-	–यही–
29	दिवाकर मिश्रा, वरिष्ठ सहायक	-	-	-	29.04.11	P	P	P	P	P	उपस्थिति नहीं है	कोई टिप्पणी नहीं	-	6 मास
30	गोविन्द कुमार, हेल्पर (अनुबंध)	-	-	-	-	02.05.11	P	P	P	कोई टिप्पणी नहीं	-	-	-	4 मास
31	नीलम नययर, निजी सहायक	-	-	-	-	18.05.11	P	P	P	P	14.10.11	-	-	5 मास
32	सतपाल रावत, कनिष्ठ सहायक (अनुबंध)	-	-	-	-	27.05.11	P	05.07.11	-	-	-	-	-	1 मास 10 दिन
33	तनवी पाठक, डा.एन्ट्री आपरे. (अनुबंध)	-	-	-	-	-	10.06.11	P	25.08.11	-	-	-	-	2.5 मास
34	योगेश सिंह डा.एन्ट्री आपरे.(अनुबंध)	-	-	-	-	-	10.06.11	उपस्थिति नहीं है	उपस्थिति नहीं है	कोई टिप्पणी नही	कोई टिप्पणी नहीं	-	-	3 मास
35	अमरजीत सिंह, चपरासी	-	-	-	-	-	-	11.07.11						6 मास से अधिक
36	मस्तान चन्द, चौकीदार	-	-	-	-	-	-	21.07.11	P	P	03.10.11	P	P	2 मास से अधिक
37	गुरमीत सिंह, निजी सचिव	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.10.11	P	P	–यही–
38	सुनील कुमार, हेल्पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.10.11	P	P	2 मास से अधिक
39	उदय शर्मा, हेल्पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.10.11	P	P	2 मास से अधिक
40	मीनू, हेल्पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.11.11	21.12.11	22 दिन
41	संदीप किनरा, कनिष्ठ आशुलिपिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.11.11	P	1 मास से अधिक
42	गुलशन कुमार, स.ले. अधि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09.11.11 to 23.11.11	-	–यही–

43	नवीन अग्रवाल, स.ले. अधि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	09.11.11 to 23.11.11	-	–यही–
44	पंकज नारंग, स.ले.अधि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.11.11 to 23.11.11	-	–यही–
45	पुरूषोता एम.स.ले.अधि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.11.11 to 23.11.11	-	9 दिन
46	मनीष गुप्ता, स.ले.अधि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.11.11 to 23.11.11	-	8 दिन
47	अनिल कुमार, स.ले. अधि.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.12.11	2011 में किया कोई पोस्टिंग नहीं
48	सुचित्रा मोहंती, कनिष्ठ सहायक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.12.11	2011 में किया कोई पोस्टिंग नहीं
49	राज कुमार, वरि. सहायक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.12.11	2011 में किया कोई पोस्टिंग नहीं

अनुलग्नक - XXIII

रोके गये उपदान को न देने के मामले

अध्याय-3 (पैरा 3.2.4.1)

क्र.सं.	नाम, कर्मचारी का पद (एम/श्री) कर्मचारी कोड के साथ	मृत्यु/सेवानिवृत्ति की तिथि	सेवानिवृत उपदान से रोकी गई राशि (₹)
1	कमला देवी, क्रैच आया -203450	28.2.11	1,000
2	राज काली देवी, क्रैच अटेंडेंट-259524	31.5.11	6,000
3	गोदावरी शर्मा, नर्सरी अध्यापक -210104	31.8.11	1,000
4	सुधा सिंह, लाइब्रेरी सहायक -238619	31.12.11	1,000
5	अरूणा मंगला, लेक्चरार-211706	30.9.12	20,000
6	मंजू खरे, क्रैच आया -269359	31.12.12	1,000
7	कीर्ति प्रभा श्रीवास्तवा, वरि.संगीत अध्यापक -215154	31.12.12	16,000
8	रतन सिंह जरोडिया, उप निदेशक -181917	31.10.12	50,000
9	सेवा देवी, वरि. सहायक -184185	31.7.10	1,000
10	रमेश, भूतपूर्व-मेसन-132308	13.05.11	5,000
11	बाल किशन, भूतपूर्व-एई-21495	22.01.11	5,000
12	कस्तूरी लाल, भूतपूर्व एई-144741	26.12.06	5,000
12	पूरन चन्द, भूतपूर्व सुपरवाईजर-122127	30.06.10	1,000
13	विजय पाल महाजन, भूतपूर्व एई-113671	31.03.10	1,000
14	थियोदा एका-260638	31.05.11	1,000
15	सुशीला देवी, 213348	08.02.11	1,000
16	रणबीर सिंह -128549	30.04.11	5,000
17	शिव राज-112045	31.07.11	5,000
18	राज कुमारी -119572ए	15.10.10	1,000
19	नरेश कुमार शर्मा -139594	31.10.10	2,000
20	सी.पी.शर्मा, 260638	03.08.10	1,000
21	रतन लाल, 218067	18.10.09	8,000
22	सुशीला देवी, 213348	30.04.10	1,000
23	कन्हैया लाल -120816	31.12.10	5,000
24	कैलाश्ख -294067	13.10.09	5,000
25	रोहतास कुमार, भूतपूर्व बेलदार-251075	18.09.11	10,000
26	हीरा लाल, भूतपूर्व बेलदार-251075	12.01.88	10,000
27	बग्गू, भूतपूर्व बेलदार-131988	29.07.05	1,000
28	गणेश, भूतपूर्व बेलदार -138364	14.01.11	10,000
29	कन्हैया लाल, भूतपूर्व बेलदार-138364	12.10.04	5,000
30	बालू, भूतपूर्व बेलदार-120600	31.07.12	5,000
31	राज बहादुर, भूतपूर्व बेलदार -245200	23.11.11	10,000
32	शिटन, भूतपूर्व बेलदार- 138356	01.07.10	10,000
33	गुल्लू सिंह, भूतपूर्व बेलदार-242686	21.02.06	5,000
			2,15,000

अनुलग्नक - XXIV

बकाया सुरक्षा जमा का विवरण

अध्याय- 3 (पैरा 3.2.4.2)

क्र.सं.	सीआर का क्र.सं.	नाम/पद	सीआर नं./जमा की तारीख	राशि (₹)
1	1	सुश्री बीनीता कश्यप	1/43 – 05.05.2004	20200
2	2	डॉ. विशाल कुमार सिंह	1/89- 23.06.2004	20620
3	3	श्री रविन्द्र कुमार	1/43- 23.07.2004	14048
4	4	श्री दीपक मोदी	1/156- 13.08.2004	8685
5	5	श्री फिरोज खान (ड्राफ्टमैन) सिविल	1/47- 20.08.2004	8685
6	6	श्री अतुल कुमार (ड्राफ्टमेन)	1/90- 23.08.2004	8685
7	7	श्री नीरज अग्रवाल	1/377- 15.09.2004	6000
8	8	सुश्री हरविन्द्र ओबराय	1/63- 20.09.2004	6000
9	9	श्री कुमार विरेन्द्र	1/404- 21.09.2004	6000
10	10	श्री उपेन्द्र नाथ सिंह	1/95- 22.09.2004	6000
11	11	श्री जितेन्द्र खान	1/6- 22.09.2004	6000
12	12	सुश्री उषा यादव	1/312- 08.10.2004	6000
13	14	श्री संजय शर्मा	1/277- 08.10.2004	6000
14	15	श्री राजिन्द्र आर्य	A/284- 02.12.204	1000
15	16	श्रीमती सन्ती	1/194- 10.12.2004	5613
16	17	श्री राम यादव	A-46- 26.05.2005	8945
17	19	श्रीमती लता कुमारी	1/70- 13.09.2005	10323
18	20	श्रीमती रेखा भारगव	1/72- 03.10.2005	16027
19	21	श्री राजेश टंडन	A-336- 26.12.2005	3930
20	22	श्री धमेन्द्रा	1/37- 02.01.2006	7209
21	23	श्री प्रेम नारायण	1/34- 09.01.2006	7209
22	24	श्रीमती वन्दना गुप्ता	A-129- 23.05.2006	7346
23	25	श्रीमती भगवान देवी	1/27- 06.02.2007	6207
24	26	श्रीमती प्रीति भान	1/42- 31.02.2007	6207
25	27	श्रीमती सरोज	1/36- 03.04.2007	6102
26	28	श्री रामजी राम कनि.अभि.(सिविल)	A-38- 23.07.2007	12775
27	29	श्री रोशन लाल कनि.अभि.(सिविल)	A-8- 25.07.2007	12775
28	30	श्री विकाश कुमार पंकज	1283- 09.08.2007	10200
29	31	श्री प्रवीन चन्द्र उपाध्याय	1293- 09.08.2007	10200
30	32	श्री सूरज कुमार, झा	1285- 09.08.2007	10200
31	33	श्री संदीप कुमार कनि.अभि.(नागर)	007211- 14.11.2007	13225
32	34	श्री वेदान्त सेठी	84675- 12.06.2008	11087
33	35	श्री सुनील यादव	03360- 09.09.2008	10920
34	36	श्री मोहम्मद तारीक	33685- 09.09.2008	8298
35	38	श्री राज कुमार चौधरी	0034074- 09.10.2009	7803
36	39	श्री पंकज	041427- 19.11.2009	6498

37	42	श्री रवि शौकीन	042333- 30.11.2009	6498
38	43	श्री अक्षय कुमार	042409- 01.12.2009	6498
39	45	श्री अनूप कुमार	042441- 01.12.2009	6498
40	46	श्री कंचन लाल	062392- 11.03.2010	8215
41	47	श्रीमती चरनजीत कौर	063605- 18.03.2010	8215
42	48	श्रीमती धरनवती	063841- 22.03.2010	6842
43	49	श्री विनोद कुमार	000928- 07.04.2010	8215
44	50	श्री सोरभ सूद	009654- 18.05.2010	6842
45	51	श्री गंगा धर, कनिष्ठ सहायक	14921- 16.06.2010	10395
46	52	सुश्री पूजा सैनी, कनिष्ठ सहायक	014978, 16.06.2010	10395
47	53	श्री अनीस अहमद, कनिष्ठ सहायक	015161- 18.06.2010	10395
48	57	सुश्री प्रेमा देवी, कनिष्ठ सहायक	15501- 22.06.2010	10395
49	58	सुश्री प्रियंका धीमन, कनिष्ठ सहायक	015595- 23.06.2010	10395
50	59	श्री नवीन कुमार, कनिष्ठ सहायक	015731- 24.06.2010	10395
51	61	सुश्री किरन देवी, कनिष्ठ सहायक	022386- 04.08.2010	10395
52	62	श्री कुश कुमार वर्मा	026782- 25.08.2010	13379
53	63	सुश्री सुमन, कनिष्ठ सहायक	047088- 22.10.2010	10395
54	64	श्री राजीव कुमार, कनिष्ठ सहायक	005410/417484- 01.05.2012	13161
55	65	सुश्री मोनिका सैनी, कनिष्ठ सहायक	004184/416247- 16.04.2012	13161
56	66	श्रीमती कौसर प्रवीन, हेल्पर	004486/416568- 18.04.2012	10017
57	67	श्री रवि कुमार, कनिष्ठ सहायक	004744/416703- 20.04.2012	13161
58	69	श्री कपिल, कनिष्ठ सहायक	004751/416808	13161
59	71	श्री राजीव कुमार, कनिष्ठ सहायक	5410- 01.05.2012	13161
			योग	5,53,206

अनुलग्नक - XXV

न.दि.न.परिषद् में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के पेंशन अंशदान और अवकाश वेतन के भुगतान में विलम्ब का विवरण

अध्याय- 3 (पैरा 3.2.5.1)

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री/पद/	अंशदान के लिए निर्धारित तिथि		भुगतान की तिथि	लगभग मासों में विलम्ब
		समय	नियत तिथि		
	वित्तीय वर्ष 2010-11				
1	सुधाकर स्वेन, भूतपूर्व मुख्य कांसटेबल (11.08.05 से 31.07.10)	11.08.05 to 31.03.06	15.04.06	02.08.10	50
		01.04.06 to 31.07.07	15.04.07	02.08.10	38
		01.04.07 to 31.03.08	15.04.08	02.08.10	26
		01.04.08 to 31.03.09	15.04.09	02.08.10	14
		01.04.09 to 31.01.10	15.02.10	02.08.10	02
2	फिलीप बोस, निदेशक (सतर्कता) (08.01.07से 31.07.10	08.01.07 to 31.03.08	15.04.08	20.08.10	28
		01.04.08 to 31.03.09	15.04.09	20.08.10	16
		01.04.10 to 31.07.10	15.08.10	20.08.10	-
3	इन्दू शेखर मिश्रा, भूतपूर्व निदेशक (14.06.05 से 13.03.08)	14.06.05 to 31.03.06	15.04.06	20.08.10	50
		01.04.06 to 31.03.07	15.04.07	20.08.10	38
		01.04.07 to 13.03.08	28.03.08	20.08.10	29
4	कृष्ण पाण्डे, भूतपूर्व निजी सहायक (04.10.05 से 13.03.08	04.10.05 to 31.03.06	15.04.06	30.08.10	52
		01.04.06 to 31.03.07	15.04.07	30.08.10	40
		01.04.07 to 04.07.07	19.07.07	30.08.10	**37**
5	प्रमोद कुमार, भूतपूर्व-कांसटेबल (04.08.05 से 31.03.10)	04.08.05 to 31.03.06	15.04.06	15.09.10	53
		01.04.06 to 31.03.07	15.04.07	15.09.10	41
		01.04.07 to 31.03.08	15.04.08	15.09.10	29
		01.04.08 to 31.03.09	15.04.09	15.09.10	17
		01.04.09 to 31.03.10	15.04.10	15.09.10	05
6	जोसमन टी.के. भूतपूर्व- कांसटेबल (13.08.05 से 31.03.09)	13.08.05 to 31.03.06	15.04.06	15.09.10	53
		01.04.06 to 31.03.07	15.04.07	15.09.10	41
		01.04.07 to 31.03.08	15.04.08	15.09.10	29
		01.04.08 to 31.03.09	15.04.09	15.09.10	**17**
7	रमेश सिंह, भूतपूर्व- कांसटेबल (18.08.05 से 31.03.10)	18.08.05 to 31.03.06	15.04.06	24.09.10	53
		01.04.06 to 31.03.07	15.04.07	24.09.10	41
		01.04.07 to 31.03.08	15.04.08	24.09.10	29
		01.04.08 to 31.03.09	15.04.09	24.09.10	17
		01.04.09 to 31.03.10	15.04.10	24.09.10	05
8	आनन्द कुमार, भूतपूर्व- कांसटेबल (11.08.05 से 31.03.10)	11.08.05 to 31.03.06	15.04.06	24.09.10	53
		01.04.06 to 31.03.07	15.04.07	24.09.10	41
		01.04.07 to 31.03.08	15.04.08	24.09.10	29
		01.04.08 to 31.03.09	15.04.09	24.09.10	17
		01.04.09 to 31.03.10	15.04.10	24.09.10	05
9	एच.आर.मंगेन, भूतपूर्व स.ले.अधि. (01.01.06 से 06.06.08)	01.01.06 to 31.03.07	15.04.07	28.09.10	41
		01.04.07 to 31.03.08	15.04.08	28.09.10	29
		01.04.08 to 06.06.08	22.06.08	28.09.10	**27**
10	ओम प्रकाश, भूतपूर्व- कांसटेबल (05.08.05 से 31.03.10)	05.08.05 to 31.03.06	15.04.06	28.09.10	53
		01.04.06 to 31.03.07	15.04.07	28.09.10	41
		01.04.07 to 31.03.08	15.04.08	28.09.10	29
		01.04.08 to 31.03.09	15.04.09	28.09.10	17
		01.04.09 to 31.03.10	15.04.10	28.09.10	05
11	सत्या पाल, भूतपूर्व- कांसटेबल (02.09.05 से 31.03.10)	02.09.05 to 31.03.06	15.04.06	28.09.10	53
		01.04.06 to 31.03.07	15.04.07	28.09.10	41
		01.04.07 to 31.03.08	15.04.08	28.09.10	29
		01.04.08 to 31.03.09	15.04.09	28.09.10	17
		01.04.09 to 31.03.10	15.04.10	28.09.10	05
12	परिमल राय, भूतपूर्व-अध्यक्ष (14.04.31.08.10)	14.04.07 to 31.03.08	15.04.08	01.10.10	29
		01.04.08 to 31.03.09	15.04.09	01.10.10	17
		01.04.09 to 31.03.10	15.04.10	01.10.10	05
		01.04.10 to 31.08.10	15.09.10	01.10.10	-
13	रजनीश टिंगल, निदेशक (कार्मिक) 07.12.07 से 31.08.10)	07.12.07 to 31.03.08	15.04.08	28.10.10	30
		01.04.08 to 31.03.09	15.04.09	28.10.10	18
		01.04.09 to 31.03.10	15.04.10	28.10.10	06
		01.04.10 to 31.08.10	15.09.10	28.10.10	01

14	सुरेश चन्द गुप्ता, भूतपूर्व कांसटेबल 01.12.05 से 31.03.10)	01.12.05 to 31.03.06 01.04.06 to 31.03.07 01.04.07 to 31.03.08 01.04.08 to 31.03.09 01.04.09 to 31.03.10	15.04.06 15.04.07 15.04.08 15.04.09 15.04.10	29.10.10 29.10.10 29.10.10 29.10.10 29.10.10	54 42 30 18 06
15	संतराम हुडडा, भूतपूर्व कांसटेबल 05.08.05 से 31.03.10)	05.08.05 to 31.03.06 01.04.06 to 31.03.07 01.04.07 to 31.03.08 01.04.08 to 31.03.09 01.04.09 to 31.03.10	15.04.06 15.04.07 15.04.08 15.04.09 15.04.10	29.10.10 29.10.10 29.10.10 29.10.10 29.10.10	54 42 30 18 06
16	बलराम चडडा, भूतपूर्व एस.ई. (01.01.06 से 31.08.06)	01.01.06 to 31.03.06 01.04.06 to 31.08.06	15.04.06 15.09.06	14.12.10 14.12.10	56 **51**
17	राकेश कुमार, भूतपूर्व –स.ले.अधि. (01.01.06 से 10.01.08)	01.01.06 to 31.03.06 01.04.06 to 31.03.07 01.04.07 to 10.01.08	15.04.06 15.04.07 25.01.08	23.02.11 23.02.11 23.02.11	58 46 **37**
18	के.पी.भट्ट, भूतपूर्व वरि.ले.अधि.	01.01.06 to 31.03.06 01.04.06 to 31.03.07 01.04.07 to 31.03.08 01.04.08 to 31.03.09 01.04.09 to 30.11.09	15.04.06 15.04.07 15.04.08 15.04.09 15.12.09	03.03.11 03.03.11 03.03.11 03.03.11 03.03.11	59 47 35 23 **14**
वित्तीय वर्ष 2011-12					
19	मनीष कुमार, वित्तीय सलाहकार (30.07.07 से 30.09.10)	30.07.07 to 31.03.08 01.04.08 to 31.03.09 01.04.09 to 31.03.10 01.04.10 to 30.09.10	15.04.08 15.04.09 15.04.10 15.10.10	29.04.11 29.04.11 29.04.11 29.04.11	36 24 12 06
20	ए.के.बलानी, निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) ((01.04.04 से 09.09.05)	01.04.04 to 31.03.05 01.04.05 to 09.09.05	15.04.05 24.09.05	12.07.11 12.07.11	75 **69**
21	पह.सी.चतुर्वेदी, निदेशक (15.07.08 से 30.04.11)	15.07.08 to 31.03.09 01.04.09 to 31.03.10 01.04.10 to 31.03.11 01.04.11 to 30.04.11	15.04.09 15.04.10 15.04.11 15.05.11	22.07.11 22.07.11 22.07.11 22.07.11	27 15 03 02
22	आर.के.गौर, निदेशक (09.06.09 से 29.04.11)	09.06.09 to 31.03.10 01.04.10 to 31.03.11 01.04.11 to 29.04.11	15.04.10 15.04.11 14.05.11	04.08.11 04.08.11 04.08.11	16 04 03
23	एन.एम.बहल, वरि.ले.अधि. (28.04.2006 से 30.09.2010)	28.04.06 to 31.03.07 01.04.07 to 31.03.08 01.04.08 to 31.03.09 01.04.09 to 31.03.10 01.04.10 to 30.09.10	15.04.07 15.04.08 15.04.09 15.04.10 15.10.10	09.09.11 09.09.11 09.09.11 09.09.11 09.09.11	53 41 29 17 11
24	फिलीप बारा, निदेशक (सतर्कता) 08.01.07 से 31.05.11)	08.01.07 to 31.03.07 01.04.07 to 31.03.08 01.04.08 to 31.03.09 01.04.09 to 31.03.10 01.04.10 to 31.03.11 01.04.11 to 31.05.11	15.04.07 15.04.08 15.04.09 15.04.10 15.04.11 15.06.11	09.09.11 09.09.11 09.09.11 09.09.11 09.09.11 09.09.11	53 41 29 17 05 03
25	मुकेश कुमार गोयल, स.ले.अधि. 31.03.07 से 30.09.09)	31.03.07 to 31.03.07 01.04.07 to 31.03.08 01.04.08 to 31.03.09 01.04.09 to 30.09.09	15.04.07 15.04.08 15.04.09 15.10.09	09.09.11 09.09.11 09.09.11 09.09.11	53 41 29 **23**
26	राजेश मिश्रा, स.ले.अधि. (28.04.2006 से 27.04.11)	28.04.06 to 31.03.07 01.04.07 to 31.03.08 01.04.08 to 31.03.09 01.04.09 to 31.03.10 01.04.10 to 31.03.11 01.04.11 to 27.04.11	15.04.07 15.04.08 15.04.09 15.04.10 15.10.10 12.05.11	09.09.11 09.09.11 09.09.11 09.09.11 09.09.11 09.09.11	53 41 29 17 05 04
27	के.बी. ग्रोवर, स.ले.अधि. (01.01.06 से 30.05.08)	01.01.06 to 31.03.06 01.04.06 to 31.03.07 01.04.07 to 31.03.08 01.04.08 to 31.05.08	15.04.06 15.04.07 15.04.08 15.06.08	29.09.11 29.09.11 29.09.11 29.09.11	65 53 41 **39**

28	आर.पी.एस.वर्मा, स.ले.अधि. (07.01.06 से 11.08.11)	07.01.06 to 31.03.06	15.04.06	29.09.11	65
		01.04.06 to 31.03.07	15.04.07	29.09.11	53
		01.04.07 to 31.03.08	15.04.08	29.09.11	41
		01.04.08 to 31.03.09	15.04.09	29.09.11	39
		01.04.09 to 31.03.10	15.04.10	29.09.11	27
		01.04.10 to 31.03.11	15.04.11	29.09.11	15
		01.04.11 to 11.08.11	26.08.11	29.09.11	01
29	कुलानंद जोशी, निदेशक (28.05.07 से 12.10.08)	28.05.07 to 31.03.08	15.04.08	24.10.11	42
		01.04.08 to 12.10.08	27.10.08	24.10.11	**36**
30	रीटा कुमार, निदेशक (01.10.92 से 04.12.95)	01.10.92 to 31.03.93	15.04.93	31.01.12	**225**
		01.04.93 to 31.03.94	15.04.94	31.01.12	**213**
		01.04.94 to 31.03.95	15.04.95	31.01.12	**201**
		01.04.95 to 04.12.95	19.12.95	31.01.12	**193**
31	संजीव पांडे, निदेशक (11.02.08 से 03.09.08)	11.02.08 to 31.03.08	15.04.08	01.02.12	46
		01.04.08 to 03.09.08	18.09.08	01.02.12	**41**
32	एस.बी.भारद्वाज, स.ले.अधि. (09.04.08 से 31.12.11)	09.04.08 to 31.03.09	15.04.09	06.03.12	35
		01.04.09 to 31.03.10	15.04.10	06.03.12	23
		01.04.10 to 31.03.11	15.04.11	06.03.12	11
		01.04.11 to 31.12.11	15.01.12	06.03.12	02
33	एल.आर. आधीरखा, एस.ई.(नागर) (27.06.09 से 17.05.10)	07.06.09 to 31.03.10	15.04.10	15.12.11	20
		01.04.10 to 17.05.10	01.06.10	15.12.11	**18**
वित्तीय वर्ष 2012-13					
34	डी.एन.सिंह, निदेशक (22.06.04 से 30.11.06)	22.06.04 to 31.03.05	15.04.05	25.04.12	84
		01.04.05 to 31.03.06	15.04.06	25.04.12	72
		01.04.06 to 30.11.06	15.12.06	25.04.12	**64**
35	हरपाल सिंह, स.ले.अधि. (28.04.06 से 27.04.11)	28.04.06 to 31.03.07	15.04.07	28.05.12	61
		01.04.07 to 31.03.08	15.04.08	28.05.12	49
		01.04.08 to 31.03.09	15.04.09	28.05.12	37
		01.04.09 to 31.03.10	15.04.10	28.05.12	25
		01.04.10 to 31.03.11	15.04.11	28.05.12	13
		01.04.11 to 27.04.11	12.05.11	28.05.12	**12**
36	ए.के.विज, वरि.ले.अधि. (01.01.06 से 30.06.09)	01.01.06 to 31.03.06	15.04.06	19.07.12	75
		01.04.06 to 31.03.07	15.04.07	19.07.12	63
		01.04.07 to 31.03.08	15.04.08	19.07.12	51
		01.04.08 to 31.03.09	15.04.09	19.07.12	39
		01.04.09 to 30.06.09	15.07.09	19.07.12	**36**
37	ए.के.कलसी, वरि.ले.अधि. (05.04.08)से 31.03.11)	05.04.08 to 31.03.09	15.04.09	06.08.12	40
		01.04.09 to 31.03.10	15.04.10	06.08.12	28
		01.04.10 to 31.03.11	15.04.11	06.08.12	**16**
38	जी.सुधाकर, निदेशक 29.06.07 से 11.09.11)	28.06.07 to 31.03.08	15.04.08	06.03.13	60
		01.04.08 to 31.03.09	15.04.09	06.03.13	48
		01.04.09 to 31.03.10	15.04.10	06.03.13	36
		01.04.10 to 31.03.11	15.04.11	06.03.13	24
		01.04.11 to 11.09.11	26.09.11	06.03.13	**18**
39	एस.एम.अली, निदेशक (14.01.04 से 01.04.09)	14.01.04 to 31.03.05	15.04.05	19.09.13	101
		01.04.05 to 31.03.06	15.04.06	19.09.13	89
		01.04.06 to 31.03.07	15.04.07	19.09.13	77
		01.04.07 to 31.03.08	15.04.08	19.09.13	65
		01.04.08 to 31.03.09	15.04.09	19.09.13	53
		01.04.09 to 01.04.09	15.04.09	19.09.13	**53**

अनुलग्नक - XXVI

रियायती यात्रा भत्ता के अग्रिम की सूची

अध्याय-3 [पैरा 3.2.7(i)]

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अवधि के वर्ष में जो एलटीसी अग्रिम लिया/ दिनांक	कर्मचारी का नाम	बकाया अग्रिम की राशि
1.	2006-07	श्रीमती सी.शिव पुरी, निदेशक (शिक्षा)	5050/-
2.	2006-07	श्री अनिल कुमार, सक्सैना, बलिफ	1965/-
3.	2006-07	अर्चना, कनिष्ठ सहायक	670/-
4.	2007-08	श्री के.के.मुटरेजा,	62022/-
5.	अप्रैल 2009	श्री ब्रहम पाल, दफतरी (103664)	10467/-
6.	मई 2009	श्री के.मुरूगन, उप निदेशक (सूचना प्रौ0) (309502)	54036/-
7.	29.05.09	श्री जी.सुधाकर, निदेशक (कल्याण) (309144)	44820/-
8.	28.10.10	श्री अमित प्रसाद, निदेशक (सूचना प्रौ0) (309558)	121600/-
9.	08.11.10	श्री अनिल कुमार साहा, सुरक्षा अधिकारी (309882)	60100/-
10.	06.12.10	श्री जी.सुधाकर, निदेशक (वाणिज्य) (309144)	51710/-
11.	23.10.10	श्रीमती ममता आर.अग्रवाल, निदेशक (शिक्षा) (309520)	65808/-
12.	10.05.11	श्री के.मुरूगन, उप निदेशक (सू.प्रौ.) (309502) वाउ.सं. 50/लेखा दि. 10.05.11)	85576/-
13.	02.11.11	श्री एस.पी.सनवाल, निदेशक (जी.ए) (308362) वाउ.सं. 19/लेखा दि. 04.11.11)	81000/-
14.	07.03.12	श्री पंकज चौहान, चपरासी (305677) वाउ सं. 44/लेखा दि0 12.03.12	57600/-
15.	07.03.12	श्री रमेश कुमार सिंह, डा.एन्ट्री आपरे. ग्रेड-बी (290700) वाउ. सं. 43/लेखा दिनांक 12.03.12	33206/-
16.	22.03.12	श्री विनय कौशिक, संयुक्त निदेशक (सम्पदा-1) (310452) वाउ. सं. 97/लेखा दिनांक 23.03.12	58370/-
17.	18.04.12	श्री अश्विनी कुमार, कनि.सहायक (सीबीएस शाखा) (305971) वाउ.सं. 56/एसी दिनांक 19.04.12	3150/-
18.	17.05.12	श्री सुशान्त कुमार दास, उप प्रबन्धक (305902) वाउ.सं. 51/एसी दिनांक 18.05.12	61488/-
19.	14.08.12	श्री मस्तान चन्द, चौकीदार (251554)	2563/-
20.	17.09.12	श्री बिजेन्द्र सिंह, चौकीदार (श्र.क.वि.) (306325) वाउ.सं. 63/एसी दिनांक 21.09.12	50193/-
21.	18.09.12	श्री वीरेन्द्र सिंह, चौकीदार (श्र.क.वि.) (305796) वाउ.सं. 63/एसी दिनांक 21.09.12	66924/-
22.	20.09.12	श्री गज सिंह, मुख्य सहायक, प्रवर्तन विभाग, (198029)	55800/-
23.	09.10.12	श्री के.मुरूगन, संयुक्त निदेशक (सूचना प्रौ0) (309502)वाउ. सं. 31/एसी दिनांक 10.10.12	180115/-
24.	18.10.12	श्री अरूण कुमार मिश्रा, निदेशक (कार्मिक-1) (311582)	27640/-
25.	01.03.13	श्रीमती अंजु खन्ना, निजी सहायक (निदेशक लेखा कार्यालय) (182626)	23823/-
26.	05.03.13	श्री सोमनाथ परूथी, लेखा अधिकारी (आईए) (178287) वाउ सं. 7/एसी दिनांक 7.03.13	30000/-
27.	20.03.13	श्री आनन्द पाल सिंह चपरासी, प्रवर्तन विभाग (306116) वाउ. सं. 78/लेखा दिनांक 21.03.13	98000/-
28.	20.03.13	श्री योगिन्द्र पाल सिंह, सुरक्षा गार्ड (308409)	65520/-
		योग	**14,59,216/-**

अनुलग्नक - XXVII

31.10.2013 से टीए/डीए के बकायों की सूची

अध्याय-3 [पैरा 3.2.7(i)]

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	अग्रिम का वर्ष	वर्षों में अग्रिम	अग्रिम की राशि
1.	श्री ललित प्रशाद, मुख्य कांस्टेबल	रिकार्ड में नहीं है	-	4560
2.	श्री ज्ञानेन्द्र फायरमेन	रिकार्ड में नहीं है	-	400
3.	श्री एच.एस.डोगरे-	(2004-2005)	8	118967
4.	श्री विजय सिंह वरि.लिपिक	(2004-2005)	8	3000
5.	श्री ए.के.महाजन, ईई( )	(2004-2005)	8	9640
	श्री ब्रिज कुमार, एई	(2004-2005)	8	4870
	श्री अनुपम जैन	(2004-2005)	8	4870
	श्री अनिल कुमार शर्मा (286361)	(2004-2005)	8	4346
6.	श्री एच.के.पचौरी, (एडी) (उद्यान)(2004-2005)	(2004-2005)	8	10000
7.	दीपक सचदेवा एई (सुरक्षा)	(2004-2005)	8	4774
	श्री सी.एस.जेनडू जेईई (प्रोटेक्शन)	(2004-2005)	8	5000
8.	श्री एच.एस.डोगरा (इ-इन-सी) श्री वी.के.मोंगा (सीई, सी-II) श्री वी.पी.गुप्ता, (एसई-सी-1) श्री जी.एस.नारंग (ईई,सी-5) श्री कुलदीप सिंह (वास्तु. सलाहकार)	(2004-2005)	8	213227
9.	श्री विजय सिंह, वरिष्ठ सहायक (सम्पदा)	(2004-2005)	8	3000
10.	श्री जी.एस.अग्रवाल, एई (कम्प्यूटर)	(2005-2006)	7	435
11.	श्री ए.के.बलानी, निदेशक (सूचना प्रो.)	(2005-2006)	7	15000
12.	श्री हरजिन्दर सिंह, जेईई डिविजन	(2005-2006)	7	8000
13.	श्री सुरेश कुमार जे.ई.सिविल	(2005-2006)	7	10000
	श्री बी.के.गुप्ता, एई (सी)	(2005-2006)	7	10000
14.	श्री सुनील कुमार (जे.ई(सि.)	(2005-2006)	7	8000
15.	श्री संदीप गौर,	(2005-2006)	7	12000
16.	श्री सुरिन्द्र कुमार, जे.ई.	(2005-2006)	7	6000
17.	श्री एस.के. भारद्वाज ईई(ई)	(2005-2006)	7	25000
18.	श्री अशोक कुमार जेई(ई)	(2005-2006)	7	8000
19.	श्री आर.पी.गुप्ता, एईई (एम/एन)	(2005-2006)	7	8000
20.	डा. पी.के.शर्मा,	(2005-2006)	7	70000
21.	श्री राजपाल जेई(सिविल)	(2005-2006)	7	5500
22.	श्री एस.जैड ईशटेग वरि. ले.अधि.(मुख्य आडिटर)	(2006-2007)	6	27451
23.	श्री डी वर्मा निदेशक (रिकवरी)	(2006-2007)	6	60349
24.	श्री डी वर्मा, निदेशक (रिकवरी)	(2006-2007)	6	118735
25.	श्री डीएन सिंह निदेशक (वाणिज्य)	(2006-2007)	6	6204
26.	श्री सोलंकी इंसुलेशन टेस्टर	(2006-2007)	6	8000
27.	श्री केशव चन्द्रा, सचिव (न.दि.न.परिषद्)	(2006-2007)	6	200000
28.	श्री एस.के.सोलंकी, इंसुलेशन टेस्टर	(2006-2007)	6	5000
29.	श्री मंसूर अली सयैद, सीवीओ	(2007-2008)	5	32802
30.	श्री वी.के.देव दत्त, सचिव (न.दि.न.परिषद्)	(2008-2009)	4	39820
31.	श्री अमित पाल, निदेशक (सू.प्रो.)	(2008-2009)	4	20000
32.	मंसूर अली सयैद, सीवीओ	(2008-2009)	4	16229
33.	श्री संजय मडवाल, स.ले.अधि.	(2008-2009)	4	12000
34.	श्री रवि डाडिच, निदेशक (सम्पदा)	(2009-2010)	3	50364
35.	श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, मुख्य परीक्षक	(2009-2010)	3	100000
36.	श्री अनुराग गोयल, निदेशक (कर एवं	(2009-2010)	3	5000
37.	श्री जी.सुधाकर, निदशक (प्रवर्तन) कर्मचारी कोड 309144	(2010-2011)	2	15000

38.	श्री मनीष कुमार, वित्तीय सलाहकार	(2010-2011)	2	2000
39.	श्री गणेश भारती, सचिव न.दि.न.परिषद्	(2010-2011)	2	87309
40.	श्री आर.एन.शर्मा, निदेशक (सम्पदा)	(2010-2011)	2	45000
41.	श्री के.मुरूगन, उप निदेशक (सू.प्रो.) एवं अमित पाल (सू.प्रो.)	(2011-2012)	1	38237
42.	श्री एस.वी.सनवाल, निदेशक (जीए) कर्मचारी कोड -308362	(2011-2012)	1	10000
43.	श्रीमती ममता आर. अग्रवाल, निदेशक (शिक्षा)	(2011-2012)	1	9670
44.	श्री वी.के.होजा, उप वित्तीय सलाहकार (बजट)	(2011-2012)	1	22880
45.	श्रीमती जूही मुखर्जी, निदेशक (सम्पदा-I) (26.10.12)	(2012-2013)	5 मास	38320
46.	श्री अमित प्रसाद, निदेशक (जनसम्पर्क) -13.12.12 (टेनिस टूर्नामेंट)	(2012-2013)	3 मास	40000
			योग	**1582959.00**

अनुलग्नक - XXVIII

वर्ष 1999-2000 से 2012-13 तक विविध अग्रिम की सूची

अध्याय-3 [पैरा 3.2.7 (i)]

(राशि ₹में)

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम एवं पद	विभाग	स्वीकृति की तिथि /समय	अग्रिम की राशि	वर्षों में लम्बित
1	श्री एस.एम.अग्रवाल, अनु अधि.(ई-1)	सचिव	9-IV 99-2000	100	13
2	श्री एस.एम.अग्रवाल, अनुअधि.(ई-1)	-	10-IV 99-2000	100	13
3	श्री एच.एस.डोगरा, प्रमुख अभियंता	-	25.05.2004	269410	9
4	श्री एस.एस.डोगरा, प्रमुख अभियता	-	25.05.2004	1176	9
5	श्री एच.एस.डोगरा, प्रमुख अभियंता	-	05.06.2004	59000	9
6	श्री डी.एन.वर्मा, निदेशक (रिकवरी)	-	13.04.2006	484716	7
7	श्री एस.के.लाम्बा, एई-II (बीएम-1)	-	09.06.2006	10000	7
8	श्री मंसूर अली सयेद टीपीए, सीवीओ	-	30.11.2006	22000	7
9	श्री एस.के.सोलंकी, जनरल सचिव, एनडीएमसी वर्कर्स यूनियन	-	14.09.2007	4000	6
10	श्री दरयाव सिंह, अनुअधि विद्युत स्था-II	-	05.09.2008	6000	5
11	सचिव, दिल्ली कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग एवं वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड	-	24.05.2010	409000	3
12	श्री अरूण बरोका, सचिव	-	18.09.2002	45000	11
13	श्री सुभाष कुमार, स.ले.अधि.(एबीएएस)	वित्त	2009-10	10000	3
14	श्री एम.एस.खान, एएलओ	विधि	2011-12	5000	1
15	श्री टी.एस.गुलाटी, अनु अधि.(कर)	गृहकर	20.07.2006	400	7
16	श्री मान सिंह, सहा.निदेशक (सम्पदा)	सम्पदा	28.03.2003	1400	10
17	श्री प्रदीप कुमार, खेल अधिकारी	खेल	2001-02	5000	11
18	श्री प्रदीप कुमार, खेल अधिकारी	खेल	2001-02	15000	11
	योग			**1347302**	

अनुलग्नक - XXIX

एचबीए पर कम/ज्यादा ब्याज की वसूली के मामलों का विवरण।

अध्याय-3 [पैरा 3.2.7 (i)]

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम तथा पद	स्वीकृत अग्रिम की राशि ( )	अग्रिम की स्वीकृति की तिथि	न.दि.न.परिषद् द्वारा लगाया गया ब्याज की राशि तथा दर	नियमों के अनुसार लगाया गया ब्याज की राशि तथा दर	कम/(-)/आधिक्य (+) ब्याज की वसूली	टिप्पणी
1.	श्री घासी राम एएसआई (सेवानिवृत)	2,80,000/-	13.08.2003	13 ½ % (छूट सहित) ₹ 75,127/-	11 % (छूट सहित) ₹ 61,215/-	(+) 13,912/-	ब्याज की संशोधित दर से न.दि. न.परिषद् अवगत है। (फाइल का पृष्ठ -21/एन)
2.	श्री विजय कुमार चांदना, ड्राफट्समेन	73,500/-	दिसम्बर, 1993	9% (छूट सहित) ₹ 49380/-	11 ½ (छूट सहित) ₹ 63,096/-	(-) ₹13716/-	फाइल में 2 1/2 प्रति छूट प्रदान करने संबंधी कोई निर्णय नहीं है। यद्यपि छूट बिना अनुमोदन के प्रदान की गई।
3.	श्री अर्जुन पासवान, वरिष्ठ लेब टैक्नीशियन	2,25,000/-	20.11.2002	₹1,12,824/- (including 2 ½ % rebate)	10% (छूट सहित)	-	वर्ष-वार बकाया तथा ब्याज गणना एच बीए रजिस्टर में उपलब्ध नहीं है। इसकी आंतरिक आडिट से जांच की आवश्यकता है ।
4.	श्री एस.एस.राव, निदेशक (सम्पदा-ाा)	3,00,000/-	अप्रैल 2009	8 ½ % (including rebate of 2 ½ %) ₹ 58,437/-	8 ½ % (छूट सहित)	-	दी गई छूट की सत्यतता फाइल उपलब्ध न होने के कारण निर्धारित नहीं की जा सकती। इसकी आतंरिक आडिट से जांच की आवश्यकता है ।
5.	विनय कुमार,	2,00,000/-	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	निर्धारित नहीं किया जा सकता	-	न तो वर्ष वार बकाया और ब्याज गणना एचबीए रजिस्टर में उपलब्ध है और न ही फाइल उपलब्ध है । इसलिए, ब्याज की गणना की आंतरिक आडिट से जांच आवश्यक है ।

अनुलग्नक - XXX

अप्रयुक्त स्टोर मदों तथा गारंटी की हानि

अध्याय -4 [पैरा 4.2.1.5 (बी)]

क्र.सं.	मद का नाम	आपूर्ति आदेश संख्या एवं दिनांक	प्राप्त की गई मात्रा	मद की प्राप्ति की तिथि	स्टॉक में मात्रा (दिनांक 16 अगस्त 2013)	किस विभाग की आवश्यकता	किस विभाग को जारी की गई	बेकार पड़ी (मासों की संख्या)	लगभग लागत (₹)
1	एचटी एक्स एलपीई केबल 150 वर्ग मि.मी./3सी	14 दिनांक 7/6/12	15963 मीटर	3/9/12&11/10/12	13646 mtr.@538.51 per mtr	सी-I,II,IV एवं रखरखाव	सी-III,II, एवं रखरखाव उत्तर	11 मास	7348507
2	एचटी एक्स एलपीई केबल 300 वर्ग मि.मी./3सी	27 दिनांक 26/10/2012	5434 मीटर	10/1/13	4292 mtr	रखरखाव उत्तर	रखरखाव	8 मास	5100000
3	एलटी एसीबी पैनल में टू टायर आई/सी जमा कूपलर	10 दिनांक 28/5/12	13 Nos.	19/12/12, 1/2/2013, &2/2/13	8 No. @ 3.74 lakhs	एम/एन,एम/एस एवं सी-I	सी-II,IV	8 मास	3000000
4	एलटी एसीबी पैनल में टू टायर आई/सी जमा कूपलर (800 ए + 800 ए)	10 दिनांक 28/5/12	46	19/12/12, 1/2/2013, &2/2/13	20 Nos.@ ₹2,32,155	एम/एन,एम/एस एवं सी-I	C-II,IV	8 मास	4643100
5	एलटी एसीबी पैनल में टू टायर आई/सी जमा कूपलर (1600 ए + 1600 ए)	10 दिनांक 28/5/12	9	19/12/12, 1/2/2013, &2/2/13	9 Nos @ ₹2.32 lakh	एम/एन,एम/एस एवं सी-I	जारी नहीं किये गये	8 मास	2100000
6	एलटी एसीबी पैनल में टू टायर आई/सी जमा कूपलर (1600 ए + 1600 ए)	10 दिनांक 28/5/12	5	19/12/12, 1/2/2013, &2/2/13	5 Nos@ ₹2,19,371	एम/एन,एम/एस एवं सी-I	जारी नहीं किया गया	8 मास	1096855
7	एलटी एसीबी पैनल में टू टायर आई/सी जमा कूपलर (800 ए + 800 ए) के लिए 2000 ए	10 दिनांक 28/5/12	29	19/12/12, 1/2/2013, &2/2/13	28 Nos @ 2.00 Lakhs	एम/एन,एम/एस एवं सी-I	सी -I	8 मास	5600,000
8	वितरण टांसफार्मर 1600 केवीए डाई टाइप कास्ट रिजन (निर्मित-एम्स इंपेक्स)	27 दिनांक 3/3/2010	37	6/5/11	15 @ ₹14,97,039 (as on 23/9/13)	सी-II	सी-II	28 मास	22455585
9	वितरण टांसफार्मर 1600 केवीए डाई टाइप कास्ट रिजन (निर्मित -मेगावीन)	45 दिनांक 28/1/2011	20	22/7/11	1 @ ₹15,45,012 (as 23/9/13)	सी-II	C-IV,C-II	26 मास	1545012
								कुल अर्थात	52889059 **₹ 5.29 crore**

अनुलग्नक - XXXI

पालिका सर्विस ऑफिसर्स' संस्थान के सुधार हेतु लिए गए कार्यो की सूची

अध्याय-4 (पैरा 4.3.2)

		2010-2011	
	अनुबंध संख्या	विवरण	निविदा राशि (₹ में)
1.	24	पीएसओआई, नेहरू पार्क में वर्तमान जिम्नेजियम का नवीनीकरण।	326963
2.	32	सत्य मार्ग पर पीएसओआई द्वारा लिए गए रेस्टोरेंट स्थल का नवीनीकरण।	481058
3.	38	नेहरू पार्क स्थित पीएसओआई स्प्रिकल प्रणाली सहित सबमर्सिबल पम्पों, भूमिगत पीवीसी वाटर टैंकों का प्रावधान तथा लगाना।	369532
4.	48	नेहरू पार्क स्थित पीएसओआई में बाउण्डी वाल का निर्माण तथा अन्य विविध महत्वपूर्ण कार्य।	1527855
5.	53	नेहरू पार्क, पीएसओआई, में सिन्थेटिक बैडमिंटन कोर्ट, का निर्माण।	654511
		योग	**3359919**
		2011-2012	
1.	18	विनय मार्ग स्थित पीएसओआई स्टीम रूम के साथ चेंज रूम का परिवर्तन/परिवर्धन।	2254270
2.	36	एस.एस.रेलिंग तथा एसीपी शीट शेड का प्रावधान एवं लगा कर पीएसओआई द्वारा लिए गए रेस्टोरेंट के मुख्य हिस्से का सौंदर्यीकरण।	112413
3.	46	पीएसओआई स्थित सिन्थेटिक बेडमिन्टन कोर्ट के चारों ओर चेन फेसिंग का प्रावधान/लगाना।	141489
4.	49	पीएसओआई क्लब पर स्क्वैश रूम तथा रेस्टोरेंट की छत पर वाटर प्रूफिंग टीटमेंट।	413807
5.	55	पीएसओआई में स्क्वैश कोर्ट की मरम्मत।	428124
		योग	**3350103**
		2012-13	
1.	3	पीएसओआई में तरणताल के चारों ओर पेटिंग, टैक्चर पेटिंग वर्क तथा रिपेयर ग्लास मोसेइक टाइल।	188551
2.	12	सत्यमार्ग स्थित, पीएसओआई की वर्तमान चारदीवारी का सौदर्यीकरण।	392814
3.	15	विनय मार्ग स्थित पीएसओआई में सेरेमिक वाल टाइल तथा कोटा स्टोन फ्लोरिंग तथा अन्य विविध कार्यो का प्रावधान तथा लगाना।	121584
4.	36	विनय मार्ग, पीएसओआई पर पीवीसी शीट का प्रावधान/लगाना तथा बिटीफाइड फ्लोरिंग बेम्बो जाफरी की मरम्मत।	132792
5.	37	विनय मार्ग स्थित पीएसओआई में धुलाई क्षेत्र तथा अस्थाई रसोईघर के समीप खुले क्षेत्र में किचन कि, किचन काउटंर में ग्रेनाइट, सीसी इन्टरलॉकिंग पेवर्स फ्लोरिंग का प्रावधान तथा लगाना।	91795
6.	38	पीएसओआई स्थित प्रस्तावित पार्किंग में सीसी इन्टर लॉकिग पेवर्स का प्रावधान एवं लगाना।	695895
7.	58	पीएसओआई में चिल्डन पार्क में खेलने के उपकरणों का प्रावधान तथा लगाना।	250057
8.	61	विनय मार्ग स्थित पीएसपीओ पर वॉल पेटिंग, एक्सटीरियर पेंट, तथा पालिश कार्य।	143814
9.	68	विनय मार्ग स्थित पीएसपीओ पर तरणताल की ग्लास मोजेइक टाइलों की सतह की मरम्मत तथा ग्रोटिंग।	160634
10.	73	सत्या मार्ग स्थित पालिका क्लब में पार्टी लॉन के लिए प्रथम शौचालय का निर्माण।	527023
		कुल	**2704959**
		सार	
		2010-2011	33,59,919
		2011-2012	33,50,103
		2012-2013	27,04,959
		कुल योग	**94,14,981 अर्थात ₹94.15 lakh**

अनुलग्नक -XXXII

जो वसूल न हुई लाइसेंस शुल्क का विवरण

अध्याय-6 (पैरा 6.1)

1. मैं. रिलायन्स इन्फ. कम्यूनिकेशन लि.

ईपीआईडी	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3517	74410	113053	292917	653225	157034	267842	434946	747968	1359839	117097	--	1118746
3518	92189	171215	397931	719148	321219	477078	681346	1095936	1790607	848	53147	44137
3519	7452	9004	23458	218333	64854	66804	78729	209720	595663	846	36122	29986
3520	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	412764	794138
3521	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36154	26513
3522	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36154	26513
3523	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	412764	794138
3524	89307	94485	154257	366559	224611	317718	369738	537755	962645	810	34258	28687
3525	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36154	26513
3526	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36154	26513
3527	167024	217686	454201	864345	949239	1387903	6012438	2225664	2999912	1257	53625	48967
3528	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36552	26513
												कुल 1 =₹ 2991364

2. मैं. टाटा टेली सर्विस लि.

ईपीआईडी	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3529	--	--	--	--	--	--	--	--	307	--	362797	821393
3530	--	--	--	--	--	--	--	--	250	75500	412764	794140
3531	--	--	--	--	--	--	--	--	277	277	363211	776170
3532	--	--	--	--	--	--	--	--	282	297528	692470	1175878
												कुल 2 = ₹ 3567581

3. मैं. आइडिया

ईपीआईडी	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3533	--	--	3539	43079	156619	53642	27644	442972	771334	1450645	1663637	2239688
3534	142036	30292	155224	283403	156619	90484	512409	833119	929433	1275330	1924047	2469387
												कुल 3 = ₹ 4709075

4. मैं. भारती सेलूलर लि.

ईपीआईडी	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3535	--	--	--	--	25000	26250	160500	172958	571970	945566	1425000	1944137
												कुल 4 = ₹ 1944137

5. मैं. हच (वोडाफोन)											
ईपीआईडी	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3536	--	--	--	--	25000	56500	62500	145215	66546	150589	177687	507962
												कुल 5 = ₹ 507962
6. मैं. एमटीएनएल												
ईपीआईडी	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
3537	--	--	--	--	25000	236250	417500	808215	1432590	1882437	2281798	2728779
												कुल 6 = ₹ 2728779
								कुल योग (1+2+3+4+5+6)			**₹ 16448898**	**अर्थात् ₹ 1.64 Crore**

अनुलग्नक -XXXIII

विविध अग्रिम बकाया के आहरण की अवधि दर्शाति तालिका

अध्याय-9 (पैरा 9.1)

क्र.सं.	आहरण की अवधि दर्शाई नहीं गई		मार्च, 2000 तक अग्रिम के आहरण की अवधि		अप्रैल 2000 से मार्च 2005 तक अग्रिम के आहरण की अवधि		अप्रैल 2005 से मार्च 2010 तक अग्रिम के आहरण की अवधि		अप्रैल 2010 से आगे अग्रिम के आहरण की अवधि	
	नगों	राशि	नगों	राशि	नगों	राशि	नगों	राशि	नगों	राशि
1 सूचना प्रौद्योगिकी	4	**11241521**		-		-	9	**1166551**	3	**6184668**
2 उद्यान		-	3	**49116**	2	**20000**	39	**931562**	206	**4626988**
3 चरक पालिका अस्पताल	96	**5517767**			4	**155545**	8	**718000**	16	**744408**
4 शिक्षा	12	**367109**					1	**30000**	29	**2092190**
5 स्वास्थ्य										
(क) सामान्य प्रभाग		-			7	**317334**	22	**1171081**	19	**794755**
(ख) स्वच्छता संबंधी भण्डार एवं स्वच्छता विभाग					7	**317834**	22	**1170581**	18	**769755**
6 सामान्य प्रशासन (टी एवम् पी) नियम							15	**2022556**	10	**153000**
7 विद्युतीय इंजीनियरिंग										
(क) 11 के.वी. विद्युत भण्डार			1	**4468**		-	2	**1552931**		-
(ख) सी-VI (विद्युत)									1	**22881**
(ग) 33 के.वी. भण्डार	1	**2000**	7	**77345**	12	**235243**				
(घ) ई.ई.(संरक्षण) विद्युत									1	**1293**
8 भवन रखरखाव-II सिविल				-	2	**11775**	5	**388232**		-
9 प्रतिभूति			2	**26990**	2	**23500**	10	**43360**	1	**35000**
10 अग्नि शमन									2	99,690
11 विद्युत -IV							14	**28900**	6	**24150**
12 जलापूर्ति			1	**9739**						
13 परिवहन (वर्कशाप)									7	**5128886**
कुल	**113**	**17128397**	**14**	**167658**	**36**	**1081231**	**147**	**9223754**	**319**	**20677664**
कहा जाये (करोड़ में)		**1.71**		**0.02**		**0.11**		**0.92**		**2.07**

₹ 4.83 करोड़